श माला, खंड 16, अंक 22

सोमवार, 16 अप्रैल, 2001
26 चैत्र, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....51.........
Date.....18/12/01.....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 22, सोमवार, 16 अप्रैल, 2001/26 चैत्र, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 420	2–109
अतारांकित प्रश्न संख्या 4173 से 4402	109–362

लोक सभा

सोमवार, 16 अप्रैल, 2001/26 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे दो भूतपूर्व सम्माननीय सहयोगियों, सर्वश्री जगदीश भट्टाचार्य और देवी लाल के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य 1971 से 1977 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के घटल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल सांसद श्री भट्टाचार्य ने सभा में गरीबों की समस्याओं को उजागर करने में गहन रुचि ली। वह 1973 से 1977 तक रेल अभिसमय समिति के सदस्य रहे और 1974-75, तथा 1975-76 के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य भी थे।

व्यवसाय से शिक्षक रहे श्री भट्टाचार्य विभिन्य शैक्षिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्री भट्टाचार्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनवरत कार्य किया।

श्री जगदीश भट्टाचार्य का निधन 87 वर्ष की आयु में 9 मार्च, 2001 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ।

श्री देवी लाल 1980 से 1982 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1989 से 1991 के दौरान नौवीं लोक सभा के सदस्य भी थे और उन्होंने राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह इस समय राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री देवी लाल 1989 से 1991 के दौरान उप-प्रधानमंत्री और केन्द्रीय कृषि तथा पर्यटन मंत्री रहे। वह एक सक्रिय सांसद थे और कृषि संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

इससे पहले 1952 से 1967 के दौरान श्री देवी लाल अविभाजित पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे और 1963 में विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। हरियाणा राज्य के गठन के बाद वह 1974 से 1980 और 1987 से 1989 के दौरान हरियाणा राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1977 से 1979 और 1987 से 1989 के दौरान दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे।

श्री देवी लाल एक चिरअनुभवी राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे और वह महात्मा गांधी के आह्वान पर 15 वर्ष की कम आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गये थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

श्री देवी लाल एक कृषक परिवार से थे और ग्रामीण जनता के उत्थान संबंधी गांधी जी के दर्शन में पूर्ण विश्वास रखते थे। वह किसानों के हितों के लिए संघर्षरत रहे और उन्होंने 1946-48 में भूमिहीन किसानों के मुजारा आन्दोलन, 1972 में किसान आन्दोलन और 1985 में हरियाणा बचाओ आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था।

श्री देवी लाल के दु:खद निधन से देश ने न सिर्फ एक लोकप्रिय राजनेता खो दिया बल्कि एक सच्चा धरती पुत्र भी खो दिया है। श्री देवी लाल का निधन कुछ समय बीमार रहने के बाद 6 अप्रैल, 2001 को 87 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एअर इंडिया के बेड़े का विस्तार

*401. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के बेड़े का विस्तार करने संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण एअरलाइंस को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) सीमित विमान-बेडे के कारण, एअर इंडिया राजस्व अर्जन के सभी अवसरों को अनुकूलतम उपयोग करने में असमर्थ रही है। विशिष्ट रूप से इसे ही घाटे का कारण नहीं माना जा सकता है क्योंकि घाटा होने के और कई कारण हैं। यद्यपि यह सत्य है कि जब एअर इंडिया को घाटा कम करने के लिए तात्कालिक उपाय करने थे तब सन् 1992 से नए विमानों की खरीद करने के साथ-साथ वर्ष 1996-97 तक एअर इंडिया ने विमानों को वेट लीज पर लेकर विमान-बेड़े को बढ़ाने संबंधी नीति का कार्यान्वयन किया। भारत-अमेरिका, भारत-यूरोप और भारत-यू.के. मार्गों पर प्रचालन के लिए वर्ष 1993-96 के बीच एअर इंडिया ने 6 नये विमानों की खरीद की। सन् 1994 से 1997 के दौरान इसने वेट लीज पर भी विमान लिए। यद्यपि वेट लीज आधार पर प्रचालन करने से अनुमानित राजस्व नहीं प्राप्त होने से पूर्व ही समाप्त करना पड़ा था जिसके कारण एअर इंडिया को घाटा सहना पड़ा। तत्पश्चात् सन् 1997 से 2000 तक इस अवरोध के कारण तथा वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से एअर इंडिया ने अपने विमान-बेड़े विस्तार परियोजनाओं पर रोक लगा दी ताकि सर्वप्रथम यह अपने मौजूदा प्रचालनों को सुदृढ़ कर सके। दो विमानों को ड्राई लीज पर लेकर और दो और विमानों के लिए पट्टे पर हस्ताक्षर करके एअर इंडिया ने पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई की। इन विमानों की मई, 2001 तक डिलिवरी होने की प्रत्याशा है।

विमानपत्तनों पर कार्गो सम्भलाई सुविधाएं

***402. श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात/निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते को ध्यान में रखते हुए देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो सम्भलाई सुविधाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो एककों का नवीकरण करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) आयात/निर्यात की सम्भलाई के लिए कार्गो एककों की क्षमता किस सीमा तक बढ़ाई गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं के कोटि-उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य ऐसी सुविधाओं की मांग और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए, निरंतर जारी रखा जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने चार महानगरों जैसे कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और दिल्ली स्थित हवाई अड्डों पर एक ही छत के नीचे निर्यात और आयात कार्गो के त्वरित प्रसंस्करण के लिए एकीकृत कार्गो टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इन प्रबंधों से जिनमें कंप्यूटरीकरण, शीत भंडारण सुविधाएं, मालवाहक के लिए कार्गो एप्रन इत्यादि से इन हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग पर्याप्त उन्नत और सुप्रवाही (स्ट्रीमलाइन) हो गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागपुर, गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डों पर आधुनिक कार्गो टर्मिलन सुविधाएं उपलब्ध कराया है। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकार के उपक्रमों के स्वामित्व और इनके द्वारा प्रचालन किए जाने वाले कार्गो टर्मिनलों के जरिए बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, वाराणसी, पूणे, कालीकट और त्रिवेन्द्रम में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधाओं के कोटि-उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 14.11 करोड़ रुपए व्यय किया है।

सुविधाओं का कोटि-उन्नयन और साथ-साथ टर्मिनल-प्रोसेसिंग में व्यवस्थित सुधार से महानगरों के चार हवाई अड्डों के कार्गो टर्मिनलों पर हैंडलिंग क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वनों का संरक्षण और विकास

***403. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आदिवासियों और वनों पर निर्भर लोगों के सहयोग से वनों के विकास और संरक्षण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। सरकार को आंध्र प्रदेश में मिडारा समुदायों की समस्याओं और वनों के भीतर अथवा उनके निकट रहने वाले आदिवासियों के हित के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु डा. पी. पुल्ला राव से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) इस संबंध में डा. पी. पुल्ला राव द्वारा आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में आयोजित मिडारा समुदायों की बैठक में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया और उन्होंने पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य का दौरा भी किया। आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे मिडारा समुदायों द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर अनुकूल दृष्टि से विचार करें तथा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें क्योंकि मिडारा समुदाय, जो अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से बांस पर निर्भर करते हैं, उनकी अधिकांश समस्याओं का निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य हेतु वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

इसी बीच, केन्द्रीय सरकार ने "भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को सहयोजित करने" से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले ही तैयार की है जिसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को आठवीं और नौवीं योजनाओं में 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

इस योजना के उद्देश्य हैं:-

1. अवक्रमित वन भूमियों में वन आधारित जीव मात्रा (बायोमास) संसाधन आधार में सुधार लाना तथा निर्धारित समुदायों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए सतत आधार पर उसका प्रबंधन करना।
2. क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखने और स्थानीय लोगों के आहार के लिए अवक्रमित वनों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास में स्थानीय अनुसूचित जनजातियों और अन्य ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।
3. अनुसूचित जनजातियों और अन्य ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के निवास स्थानों के निकट उन्हें लाभकर रोजगार और ठोस आर्थिक आधार सुलभ करना।

15667 हेक्टेयर क्षेत्र के पुनर्वास के लिए नौंवी योजना का कुल परिव्यय 1500 लाख रुपए है। पिछले तीन वर्षों का आबंटन और व्यय नीचे दिया गया है:-

वर्ष	आवंटन (लाख रुपए)	व्यय (लाख रुपए)
1998-99	197.05	146.86
1999-2000	398.33	276.95
2000-2001	538.40	355.66

यद्यपि कुछ राज्यों में यह योजना भली-भांति चल रही है फिर भी कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होना, और उपयोग प्रमाण पत्रों का प्राप्त न होना कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण कुछ राज्यों में इस योजना की निष्पत्ति इतनी संतोषजनक नहीं है।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन उपकरण ठेका

***404. श्री राधा मोहन सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एन.एल.) ने हाल में एक विदेशी कंपनी "ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी आई.एन.सी." को एक ठेका दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा इस कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का एक ठेका दिया गया था जिसकी इस समय सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस कंपनी को नया ठेका दिए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने मोबाइल टेलीफोन उपकरण की खरीद के लिए इस कम्पनी को कोई ठेका नहीं दिया है।

दिल्ली तथा मुम्बई इकाइयों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सेल्यूलर मोबाइल प्रणालियों के लिए मैसर्स आई.टी.आई.

को 82 करोड़ रुपए मूल्य का क्रय आदेश दिया गया था। मैसर्स आई.टी.आई. और मैसर्स ल्यूसेन्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड सर्विसेज इंक. से मिलकर बने संघ (कन्सोर्टियम) की ओर से मैसर्स आई.टी.आई. ही बोलीदाता था। यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नहीं भेजा गया है।

[अनुवाद]

हाई स्पीड डाटा नेटवर्क

***405. श्री सुबोध मोहिते:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "हाई स्पीट डाटा नेटवर्क सांख्य वाहिनी" की स्थापना संबंधी किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नेटवर्क के कब तक काम आरम्भ करने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) सरकार ने तत्कालीन दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत की कतिपय शिक्षण संस्थाओं और आईयूनेट नामक एक विदेशी कम्पनी द्वारा गठित की जाने वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी, सांख्य वाहिनी इंडिया लि. (एसवीआईएल) के गठन का प्रस्ताव अनुमोदित किया था। विदेशी भागीदार, आईयूनेट की इक्विटी 49% तक रखने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण और भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के गठन के कारण बदली स्थिति को देखते हुए यह सुझाव दिया गया था कि इस मामले को सरकार के समक्ष फिर से रखा जाए। इस संबंध में निर्णय लेने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का रख-रखाव

***406. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों/अभयारण्यों/संरक्षित वनों के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं;

(ख) उनके रख-रखाव और देख-भाल के लिये केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ उद्यान/अभयारण्य/संरक्षित वन खराब हालत में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभयारण्यों/राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों इत्यादि के विकास और उनकी देख-भाल के लिये विभिन्न राज्यों से कोई योजनायें/प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यानों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। देश में बहुत बड़ी संख्या में आरक्षित वन मौजूद हैं तथा ये मान्यता प्राप्त हैं और इनकी पहचान और प्रबन्धन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई समेकित सूची का रख-रखाव नहीं करती है।

(ख) भारत सरकार ने चिड़ियाघरों के जीवों के रख-रखाव और देखभाल के लिए चिड़ियाघर मान्यता (नियम) 1992 के अन्तर्गत मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं। इन नियमों को राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. सं. 711 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 1992 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में सभी बड़े मध्यम और लघु चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया है। जिन चिड़ियाघरों की स्थिति अच्छी नहीं है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु प्राप्त प्रस्तावों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हड्डो चिड़ियाघर*	पोर्ट ब्लेयर
2.	आन्ध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	विशाखापट्नम
3.	आन्ध्र प्रदेश	नेहरू प्राणि उद्यान	हैदराबाद
4.	आन्ध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर चिड़ियाघर	तिरूपति
5.	आन्ध्र प्रदेश	अलीसागर हरिण पार्क	अलीसागर
6.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क	चित्तूर
7.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क, कांडालवेरू	निलौर
8.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क, किसोरम सीमेंट	बसंत नगर
9.	आन्ध्र प्रदेश	नगरपालिका हरिण पार्क, राजामुंडरी	राजामुंडरी
10.	आन्ध्र प्रदेश	एनएफसीएल हरिण पार्क, काकीनादा	काकीनादा
11.	आन्ध्र प्रदेश	लघु चिड़ियाघर हिमायत सागर	हिमायत सागर
12.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क, जवाहर झील पर्यटक परिसर, सामीरपत	सामीरपत
13.	आन्ध्र प्रदेश	जी.वी.के. औद्योगिक हरिण पार्क	जेगरूपादू
14.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क केन्नेरसारी	पालोंचा
15.	आन्ध्र प्रदेश	मरूगयानी हरिण पार्क	चिल्कौर
16.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क सत्यम टैक्नालॉजी सेंटर	हैदराबाद
17.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क, हरिण वनस्थली	हैदराबाद
18.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क पिल्लामारी	मेहबूब नगर
19.	आन्ध्र प्रदेश	हरिण पार्क, पाखल	वारंगल
20.	आन्ध्र प्रदेश	प्राणिउद्यान	इटानगर
21.	आन्ध्र प्रदेश	लघु चिड़ियाघर, रोईंग*	रोइंग
22.	आन्ध्र प्रदेश	लघु चिड़ियाघर, मिओ*	मिओ
23.	असम	चिड़ियाघर एवं वनस्पति उद्यान, असम राज्य	गुवाहाटी
24.	बिहार	संजय गांधी वनस्पति उद्यान	पटना

1	2	3	4
25.	छत्तीसगढ़	मठरीबाग चिड़ियाघर	भिलाई स्टील कारखाना, भिलाई
26.	छत्तीसगढ़	लघु चिड़ियाघर, काना पंडारी	बिलासपुर
27.	दादर और नगर हवेली	हरिण उद्यान, सतमालिया	सतमालिया
28.	दमन और दीव	हरिण उद्यान, दमन	दमन
29.	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान	नई दिल्ली
30.	दिल्ली	हरिण उद्यान, हौज खास	नई दिल्ली
31.	गोवा	बांडला चिड़ियाघर	उसगांव
32.	गुजरात	कमला नेहरू प्राणि उद्यान	अहमदाबाद
33.	गुजरात	सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़
34.	गुजरात	सायाजीबाग चिड़ियाघर	बड़ौदरा
35.	गुजरात	इंद्रोदा प्राकृतिक उद्यान	गांधीनगर
36.	गुजरात	राजकोट नगरपालिका चिड़ियाघर	राजकोट
37.	गुजरात	हरिण पार्क फर्टिलाइजर नगर	बड़ौदरा
38.	गुजरात	प्राकृतिक शिक्षा केन्द्र	जामनगर
39.	गुजरात	संन्दरवन प्रकृतिक खोज केन्द्र	अहमदाबाद
40.	गुजरात	नेचर पार्क*	सूरत
41.	हरियाणा	तिलायर चिड़ियाघर	रोहतक
42.	हरियाणा	हिसार हरिण पार्क	हिसार
43.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर भिवानी	भिवानी
44.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर पिपली	पिपली
45.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयी नेचरपार्क	कुफ्री
46.	हिमाचल प्रदेश	धौलाधार नेचर पार्क**	गोपालपुर
47.	हिमाचल प्रदेश	फीजेंटरी कस्तूरी मृग फार्म	सराहन
48.	हिमाचल प्रदेश	फीजेंटरी चैल	चैल
49.	हिमाचल प्रदेश	रेनुका चिड़ियाघर/लायन सफारी, सिरमौर	सिरमौर
50.	हिमाचल प्रदेश	रिवालसर चिड़ियाघर, मण्डी	मण्डी
51.	झारखंड	जवाहरलाल नेहरू जैव पार्क	बोकारो स्टील सिटी, बोकारो

1	2	3	4
52.	झारखंड	भगवान बिरसा जैव पार्क	रांची
53.	झारखंड	टाटा स्टील प्राणि उद्यान	जमशेदपुर
54.	झारखंड	बाल शिक्षा सतसंग चिड़ियाघर	देवघर
55.	झारखंड	बिरसा मृग बिहार	कलामती, रांची
56.	झारखंड	हरिण उद्यान, चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
57.	कर्नाटक	श्री चमाराजेन्द्र प्राणिविज्ञान उद्यान	मैसूर
58.	कर्नाटक	राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट	बंगलौर
59.	कर्नाटक	शेर और बाघ सफारी थियारेकोपा	शिमोगा
60.	कर्नाटक	हरिण उद्यान, भूटानल	बीजापुर
61.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर, गडग	गडग
62.	कर्नाटक	हरिण उद्यान, कदरी हिल्स	मैंगलौर
63.	कर्नाटक	हरिण पार्क जीजीहल आर एफ जाजी कालगुडा	बेल्लारी
64.	कर्नाटक	हरिण पार्क, केम्पाम्बुडी	बंगलौर
65.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर किट्टुरारानी	बेलगाम
66.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर कुद्रेमुख	कुद्रेमुख
67.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर ए. एम. गुडी बालवन चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग
68.	कर्नाटक	बाल उद्यान चिड़ियाघर**	बेल्लारी
69.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर, गुलबर्ग	गुलबर्ग
70.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर गेन्डेनकेटे	हासन
71.	कर्नाटक	हरिण उद्यान नामाडाचिल्मे	तुमकुर
72.	कर्नाटक	लघु चिड़ियाघर तुंगभद्रा	बेल्लारी
73.	कर्नाटक	इंद्रा प्रियदर्शनी संग्रहालय	देवनगिरि
74.	केरल	त्रिवेंद्रम चिड़ियाघर	त्रिवेंद्रम
75.	केरल	राज्य संग्रहालय और चिड़ियाघर*	त्रिचूर
76.	केरल	हरिण उद्यान, पोनमुडी	पोनमुडी
77.	केरल	हरिण उद्यान, हिल पैलेस	त्रिपुनीथुरा
78.	केरल	शेर सफारी, नायर डैम	नायर डैम

1	2	3	4
79.	केरल	हरिण उद्यान कारमेमोलिया हैवन्स	खेकाडी
80.	केरल	सर्प उद्यान मालमपूझा	मालमपूझा
81.	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर
82.	मध्य प्रदेश	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल
83.	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणि संग्रहालय**	इंदौर
84.	मध्य प्रदेश	हरिण पार्क टाटा इंटरनेशनल	देवास
85.	मध्य प्रदेश	हरिण पार्क पंचमणि	पंचमणि
86.	मध्य प्रदेश	एन.सी.आई. मुख्यालय में हरिण उद्यान सिंगरौली	सिंगरौली
87.	महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर	मुम्बई
88.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद नगर पालिका चिड़ियाघर	औरंगाबाद
89.	महाराष्ट्र	महाराजबाग चिड़ियाघर**	नागपुर
90.	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणिविज्ञान उद्यान	पुणे
91.	महाराष्ट्र	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	बोरीवली मुंबई
92.	महाराष्ट्र	दादा साहेब वागरे सर्प उद्यान**	योटमल
93.	महाराष्ट्र	प्रकृति उद्यान कारंजा	आई.एन.एस. तुनीर मुम्बई
94.	महाराष्ट्र	हरिण उद्यान गंगापुर	नासिक
95.	महाराष्ट्र	माहरा शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर
96.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान	शोलापुर
97.	महाराष्ट्र	पाल वन्यजीव अनाथालय	जलगांव
98.	महाराष्ट्र	हरिण उद्यान, चंद्रपुर	चंद्रपुर
99.	महाराष्ट्र	हरिण उद्यान, सेमिनरी हिल्स	नागपुर
100.	महाराष्ट्र	सर्प उद्यान और पक्षीशाला पंपरी चिंचावाड़	पुणे
101.	महाराष्ट्र	सर्प उद्यान शिक्षण मंडल	कोल्हापुर
102.	महाराष्ट्र	सोमनाथ प्रकल्प चिड़ियाघर	चन्द्रपुर
103.	महाराष्ट्र	बसंत मृग विहार	योटमल
104.	महाराष्ट्र	सुरुचि हरिण उद्यान	पनवेल, रायगढ़
105.	मणिपुर	मणिपुर प्राणिविज्ञान उद्यान	इम्फाल

1	2	3	4
106.	मेघालय	लेडी हेडारी पार्क*	शिलोंग
107.	मिजोरम	एजवाल चिड़ियाघर*	बेठलहम, एजवाल
108.	मिजोरम	हरिण उद्यान थेन्जावल*	थेन्जावल
109.	नागालैंड	प्राणि विज्ञान उद्यान कोहिमा*	कोहिमा
110.	उड़ीसा	नन्दन कानन जैव विज्ञान उद्यान	भुवनेश्वर
111.	उड़ीसा	गंधमर्दन हरिण उद्यान	बोलान्गीर
112.	उड़ीसा	घड़ियाल अनुसंधान एकक	टिकापुर
113.	उड़ीसा	एच.ए.एल. हरिण उद्यान सुनाबेदा	कोरापुट
114.	उड़ीसा	इंदिरा गांधी चिड़ियाघर	राऊरकेला इस्पात कारखाना, राऊरकेला
115.	उड़ीसा	कपिलाश चिड़ियाघर	ढेंकनाल
116.	उड़ीसा	कोनरिया हरिण उद्यान	नयागढ़
117.	उड़ीसा	मोतीझरन हरिण उद्यान	संबलपुर
118.	पंजाब	एमसी प्राणि विज्ञान उद्यान	छतबीर, जिला पटियाला (चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर लगभग)
119.	पंजाब	हरिण उद्यान वीर मोती बाग	पटियाला
120.	पंजाब	हरिण उद्यान वीर तालाब	भटिंडा
121.	पंजाब	नीलोन हरिण उद्यान	सरमाला
122.	पंजाब	बाघ सफारी, लुधियाना	लुधियाना
123.	राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर रामबाग	जयपुर
124.	राजस्थान	उमेद बाग चिड़ियाघर	जोधपुर
125.	राजस्थान	उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर
126.	राजस्थान	बीकानेर चिड़ियाघर	बीकानेर
127.	राजस्थान	हरिण उद्यान श्री गोवर्धन ट्रस्ट	उदयपुर
128.	राजस्थान	पंचवटी हरिण उद्यान	पिलानी
129.	राजस्थान	हरिदास जी की मगड़ी हरिण उद्यान	उदयपुर

1	2	3	4
130.	सिक्किम	हिमालयी प्राणि विज्ञान उद्यान	बुलबुले, गंगटोक
131.	सिक्किम	रूस्तमजी हरिण उद्यान	गंगटोक
132.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणि विज्ञान उद्यान	बैन्डालूर, चेन्नई
133.	तमिलनाडु	चेन्नई सर्प उद्यान	गुएन्डी, चेन्नई
134.	तमिलनाडु	चिल्ड्रन कार्नर चिड़ियाघर	गुएन्डी, चेन्नई
135.	तमिलनाडु	मद्रास क्रोकोडायल बैंक	मम्मलापुरम
136.	तमिलनाडु	वी.ओ.सी. उद्यान चिड़ियाघर	कोयम्बटूर
137.	तमिलनाडु	अमरीधी लघु चिड़ियाघर	वेल्लौर
138.	तमिलनाडु	हरिण उद्यान उढ़ागई	ऊटी
139.	तमिलनाडु	गंगई कोन्डल हरिण उद्यान, कट्टाबोमन	तिरूनेलवली
140.	तमिलनाडु	होगेनाकल लघु चिड़ियाघर	धर्मपुरी
141.	तमिलनाडु	कुरूम्बापट्टी प्राणि विज्ञान उद्यान	सेलम
142.	तमिलनाडु	शिवगंगा लघु चिड़ियाघर	थंजावुर
143.	तमिलनाडु	वी.ओ.सी. उद्यान लघु चिड़ियाघर	ईरोड
144.	त्रिपुरा	सेपाहीजाला चिड़ियाघर	अगरतला
145.	त्रिपुरा	हरिण उद्यान, पातिचारी	पातिचारी
146.	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणि विज्ञान उद्यान	कानपुर
147.	उत्तर प्रदेश	प्रिंस आफ वैल्स प्राणि विज्ञान उद्यान	लखनऊ
148.	उत्तर प्रदेश	हरिण उद्यान अरण्य भवन	बुलंदशहर
149.	उत्तर प्रदेश	बन देवी लघु चिड़ियाघर	मऊ
150.	उत्तर प्रदेश	हरिण उद्यान, मुरादाबाद	मुरादाबाद
151.	उत्तर प्रदेश	हरिण उद्यान आंवला इफ्फको, बरेली	बरेली
152.	उत्तर प्रदेश	हरिण उद्यान हिंडालको इंडस्ट्रीज	सोनभद्र
153.	उत्तर प्रदेश	हरिण उद्यान, कुकरेल	लखनऊ
154.	उत्तर प्रदेश	घड़ियाल पुनर्स्थापना केन्द्र, कुकरेल	लखनऊ
155.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा मनोरंजन वन,	लखीमपुर
156.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज हरिण उद्यान	उन्नाव

1	2	3	4
157.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ हरिण उद्यान	वाराणसी
158.	उत्तर प्रदेश	वन प्राणि उद्यान, आई.वी.आर.आई.	बरेली
159.	उत्तर प्रदेश	विनोद वन लघु चिड़ियाघर	गोरखपुर
160.	उत्तर प्रदेश	चीतल पार्क, खटोली	मुजफ्फरनगर
161.	उत्तरांचल	पं. गोविंद बल्लभ पंत उच्च अक्षांश चिड़ियाघर	नैनीताल
162.	उत्तरांचल	मलशी हरिण उद्यान	देहरादून
163.	उत्तरांचल	हरिण उद्यान, नारायण तिवारी, देवाल	अल्मोड़ा
164.	उत्तरांचल	कस्तूरी मृग प्रजनन केन्द्र कंचुला खड़क	चमोली
165.	उत्तरांचल	रामपुर मंडी हरिण उद्यान, कल्सी	चकराता
166.	पश्चिम बंगाल	प्राणि विज्ञान उद्यान, अलीपुर	कोलकाता
167.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता सर्प उद्यान	बधु 24 परगना (उ.)
168.	पश्चिम बंगाल	मद्मजा नायडू हिमालयी चिड़ियाघर	गर्जीलिंग
169.	पश्चिम बंगाल	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	कोलकाता
170.	पश्चिम बंगाल	हरिण उद्यान, झारग्राम	झारग्राम
171.	पश्चिम बंगाल	कुमारी कांगसाबुटी हरिण उद्यान, बोंकपुरिया	बोंकपुरा
172.	पश्चिम बंगाल	लघु चिड़ियाघर विज्ञान शहर	कोलकाता
173.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सर्प उद्यान और प्रयोगशाला	बधु 24 परगना (उ.)
174.	पश्चिम बंगाल	हरिण उद्यान गरमांधारम	चिन्सुराह हुगली
175.	पश्चिम बंगाल	हरिण उद्यान डो हिल	कुर्शियांग
176.	पश्चिम बंगाल	जोगमाया कारपोरेशन उद्यान चिड़ियाघर	हावड़ा
177.	पश्चिम बंगाल	गढ़कुमुक हरिण उद्यान	उलुघाटा हावड़ा
178.	पश्चिम बंगाल	बेलिलियस उद्यान चिड़ियाघर	हावड़ा

टिप्पणी:*नए स्थान पर दुबारा स्थापित किए जाने हैं।
**मान्यता रोकी गई।

मान्यता समाप्त किए गए चिड़ियाघरों की सूची

क्र.सं.	राज्य	चिड़ियाघर का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	साबरी मिनी चिड़ियाघर, पराधिपाडु, मिनर्वा नगर
2.	गुजरात	बाल भवन राजकोट

1	2	3
3.	हिमाचल प्रदेश	मिनी चिड़ियाघर, कालापुल धर्मशाला
4.	हरियाणा	नेहरू फेजन्टरी, मनाली
5.	हरियाणा	हरिण पार्क, चांदी मंदिर
6.	हरियाणा	मिनी चिड़ियाघर, आबू शहर
7.	हरियाणा	चिंकारा प्रजनन सेंटर, केरू
8.	हरियाणा	मिनी चिड़ियाघर, जींद
9.	हरियाणा	हरिण पार्क, एन.एफ.एल. पानीपत
10.	कर्नाटक	अन्थरगंज चिल्ड्रन पार्क, कोलार
11.	कर्नाटक	चिल्ड्रन पार्क, सिरसी डिवीजन, सिरसी
12.	कर्नाटक	चिल्ड्रन मिनी चिड़ियाघर, धरावाड
13.	कर्नाटक	हरिण पार्क, हलियाल टाऊन, उत्तर कन्नड़ जिला
14.	कर्नाटक	हरिण पार्क, एन.एम.डी.सी.एल. लि. बेल्लारी
15.	कर्नाटक	केवारा टापोवाना चिंतामणी तालुक, कोलार
16.	कर्नाटक	केम्पगोज बंधाना सावनदुर्गा मगधी तालुक
17.	कर्नाटक	मिनी चिड़ियाघर, इन्दुवाल नेचर पार्क (प्राकृतिक वन) माण्डया
18.	कर्नाटक	मिनी चिड़ियाघर, कोन्डाजी हरिण पार्क, चित्रदुर्गा
19.	कर्नाटक	मिनी चिड़ियाघर, मिनाकानगुरके, कोलार
20.	कर्नाटक	सोइकयालहल्ली चिल्ड्रन और हरिण पार्क, कोलार
21.	केरल	मगरमच्छ फार्म नेचरडैम तिरूवनन्तपुरम
22.	केरल	परासीन्कीडु सर्प पार्क कन्नूर
23.	केरल	मगरमच्छ फार्म, कोझीकोड
24.	महाराष्ट्र	आमटे पशु पार्क और आरफनेज एवं रेस्क्यू होम गडचियोली, अल्लामपली
25.	महाराष्ट्र	हूतात्मा बाग प्राणी संग्रहालय
26.	महाराष्ट्र	जवाहरलाल नेहरू वन उद्यान पांडव लेन, नासिक
27.	महाराष्ट्र	नेहरूगार्डन, सांगामनेर
28.	महाराष्ट्र	समीर उद्यान चिड़ियाघर सकरवाडी, अहमदनगर
29.	महाराष्ट्र	मलहार स्मृति मंदिर चिड़ियाघर, देवास

1	2	3
30.	महाराष्ट्र	विक्रम वाटिका एम.सी. उज्जैन, उज्जैन
31.	महाराष्ट्र	एस.एफ.आर.आई. चिड़ियाघर, जबलपुर
32.	मेघालय	तुरा चिड़ियाघर, तुरा
33.	उड़ीसा	चिल्का हरिण पार्क, पुरी
34.	उड़ीसा	हरिशंकर हरिण पार्क, बालंगीर
35.	उड़ीसा	पंथनिवास डियर पार्क चांदीपुर, बालासोर
36.	उड़ीसा	हरिण पार्क, बहरामपुर
37.	उड़ीसा	हरिण पार्क, पापादहंडी नवरंगपुर
38.	उड़ीसा	नगरपालिका डियर पार्क, कटक
39.	उड़ीसा	पामबीच गोलापुर, गंजम
40.	उड़ीसा	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर
41.	उड़ीसा	तप्तापानी डियरपार्क परलाखेमुंडी
42.	पंजाब	अग्रसर अथनवे नेचर पार्क, पटियाला कैंट
43.	पंजाब	गेस्टहाऊस मिनी डियर पार्क, थर्मल कालोनी, भटिंडा
44.	पंजाब	मिनी चिड़ियाघर बन्सर बाग, संगरूर
45.	पंजाब	मिनी चिड़ियाघर आरामबाग, अमृतसर
46.	राजस्थान	कोटा चिड़ियाघर, कोटा
47.	तमिलनाडु	सेंट जोसफ मिनी चिड़ियाघर, कुन्नूर
48.	तमिलनाडु	मिनी चिड़ियाघर कोरटाल्लम
49.	तमिलनाडु	मोन्ट फोर्ट स्कूल मिनी चिड़ियाघर येरकाड
50.	उत्तर प्रदेश	चेंतना केन्द्र, रिंघानी रेंज, मेरठ
51.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा पार्क, बिजनौर
52.	उत्तर प्रदेश	मृगविहार वन चेतना केन्द्र, मोठ, झांसी
53.	उत्तर प्रदेश	वन चेतना केन्द्र मसूरी, गाजियाबाद
54.	उत्तर प्रदेश	वन्य जान्ती विहार, डाक पत्थर, देहरादून
55.	उत्तर प्रदेश	व्यान्डुम फाल मिनी चिड़ियाघर, मिर्जापुर
56.	उत्तर प्रदेश	डियर पार्क एयर फोर्स, मिमोरा

1	2	3
57.	उत्तर प्रदेश	वन चेतना केन्द्र, फैजाबाद
58.	उत्तर प्रदेश	वन विहार, जोनपुर
59.	पश्चिम बंगाल	डियर पार्क बेलारी श्रीराम कृष्णा आश्रम, हावड़ा
60.	पश्चिम बंगाल	डियर अनुसंधान केन्द्र साल्टलेक, कलकत्ता
61.	पश्चिम बंगाल	गारमन्दरम हुगली जिला परिषद, हुगली
62.	पश्चिम बंगाल	रामकृष्णा मिशन विद्यालय स्टूडेन्ट होम नरेन्द्र पुर
63.	पश्चिम बंगाल	स्नेक पार्क रेप्टाइल रिसर्च एण्ड स्नेक बाईट ट्रीटमेंट, दीघा, मिदनापुर
64.	पश्चिम बंगाल	डीयर पार्क रेफल एकेडमिक एण्ड वोकेशनल स्कूल दार्जिलिंग

विवरण-II

राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3	4
अंडमान			
1.	कैम्पबैल बे	निकोबार	426.23
2.	गैलेथिया	निकोबार	110
3.	महात्मा गांधी मैराइन	अंडमान	281.5
4.	मिडल बटन	अंडमान	0.44
5.	माऊंट हैरिट	अंडमान	46.62
6.	नार्थ बटन	अंडमान	0.44
7.	रानी झांसी मैराइन	अंडमान	256.142
8.	सैडल पिक	अंडमान	32.536
9.	साउथ बटन	अंडमान	0.03
			1153.938
आंध्र प्रदेश			
1.	कासु ब्रह्मारेड्डी	हैदराबाद	1.42
2.	महावीर हरिना वन स्थली	रंगारेड्डी	14.59
3.	मुर्गावानी	रंगारेड्डी	3.6

1	2	3	4
4.	श्री वेंकटेश्वरा	चित्तूर एवं कुड्डापोह	353.62
			373.23
अरुणाचल प्रदेश			
1.	माऊलिंग	पूर्वी सियांग	483
2.	नापदफा टाइगर रिजर्व	तिराप	1985.23
			2468.23
असम			
1.	काजीरंगा	जोरहाट	430
	(1) एडिशन	जोरहाट	43.78
	(2) एडिशन	जोरहाट	43.78
	(3) एडिशन	जोरहाट	0.69
	(4) एडिशन	जोरहाट	0.89
	(5) एडिशन	जोरहाट	1.15
	(6) एडिशन	जोरहाट	376
2.	मानस (टाइगर रिजर्व)	कानरूप गोलापाडा	500
3.	नामेरी	–	200
4.	डिब्रू सेकोवा	–	340
5.	ओरंग	–	78.808
			1977.788
बिहार			
1.	बाल्मिकी टाइगर रिजर्व	पलामू	335.6
			335.6
छत्तीसगढ़			
	इन्द्रावती (टाइगर रिजर्व)	बस्तर	1258.37
	कंगेर वेल्ली	बस्तर	200
	संजय	सिद्धी सरगुजा	1471.13
			2929.5
गोवा			
1.	भगवान महावीर	गोवा	107
			107

1	2	3	4
गुजरात			
1.	गिर	जूनागढ़	258.71
2.	मेराइन	जामनगर	162.89
3.	वन्सदा	वलसाद	23.99
4.	वेलावदर	भावनगर	34.08
			479.67
हरियाणा			
1.	सुल्तानपुर	गुड़गांव	1.43
			1.43
हिमाचल प्रदेश			
1.	ग्रेट हिमालयन	कुल्लू	754.4
2.	पिन वेल्ली	लाहौल स्पीति	675
			1429.4
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	सिटी फारेस्ट	श्रीनगर	9.07
2.	वचीगम	श्रीनगर	141
3.	हेमिस हाइ अल्टीच्यूट	लेह	3350
4.	किस्तावड़	किस्तावड़	310
			3810.07
झारखंड			
1.	बेतला (पलामू)	पलामू	231.67
			231.67
कर्नाटक			
1.	अंशी	उत्तराखंड	250
2.	बांदीपुर (टाइगर रिजर्व)	मैसूर	874.2
3.	बनेरघाटा	बंगलौरा	104.27
4.	कुद्रेमुख	साउथ कन्नड़ और चिकमंगलूर	600.32
5.	नागरहोल	मैसूर कोडागू	643.39
			2472.18

1	2	3	4
केरल			
1.	इरावीकुलम	इदुक्की	97
2.	पेरियार (टाइगर रिजर्व)	इदुक्की	350
3.	साइलेंट वेल्ली	पालघाट	89.52
			536.52
मध्य प्रदेश			
1.	बांधवगढ़	शहडोल	448.85
2.	फॉसिल	मंडला	0.27
3.	कान्हा टाइगर रिजर्व	मांडला बालाघाट	940
4.	माधव	शिवपुरी	375.22
5.	पन्ना	पन्ना, छत्तरपुर	542.67
6.	पेंच	सियोनी	292.85
7.	सतपुड़ा	होशंगाबाद	585.17
8.	वन विहार	भोपाल	4.45
9.	संजय	सिद्धी सरगुजा	466.87
			3656.35
महाराष्ट्र			
1.	गुगामल (टाइगर रिजर्व)	इमरावती	361.28
2.	नौगांव	भंडारा	133.88
3.	पेंच	नागपुर	257.26
4.	संजय गांधी	बॉम्बे थाणे	86.96
5.	तडोबा (टाइगर रिजर्व)	चन्द्रपुर	116.55
			955.93
मणिपुर			
1.	किबुल लामजो	इम्फाल बिशनपुर	40
			40
मेघालय			
1.	बाल फकरम	पश्चिमी गारो हिल्स	220
2.	नोकरेक	पश्चिमी गारो हिल्स	47.48
			267.48

1	2	3	4
मिजोरम			
1.	ब्लू माउंटेन (फॉंगपुई)	छिम्टपुई "ई"	50
2.	मुरलेन	चम्पाई	150
नागालैंड			
1.	इनटंकी	कोहिमा	202.02
उड़ीसा			
1.	नार्थ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	मयूरभंज	845.7
2.	भीतरकनिका	कटक	145
			990.7
राजस्थान			
1.	सरिस्का टाइगर रिजर्व	अल्वर	276.14
2.	रणथम्भौर	सवाई माधोपुर	392.5
3.	केवलादेव एन.पी.	भरतपुर	28.73
4.	डेजर्ट नेशनल पार्क	जैसलमेर	3162
			3859.37
सिक्किम			
1.	खंगचेंडजोंगा	नार्थ सिक्किम	1784
			1784
तमिलनाडु			
1.	गिंडी	मद्रास	2.82
2.	इंदिरा गांधी	कोयम्बटूर	117.1
3.	गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन	तूतीकोरिन एवं रामनाथ पुरम	6.23
4.	मुदुमलाई	नीलगिरि	103.23
5.	मुकुरथी	नीलगिरि	78.46
			307.84
उत्तर प्रदेश			
1.	दुधवा टाइगर रिजर्व	लखीमपुर खेरी	490.1
			490.1

1	2	3	4
उत्तरांचल			
1.	कार्बेट टाइगर रिजर्व	गढ़वाल नैनीताल	521
2.	गंगोत्री	उत्तरकाशी	1552.73
3.	नन्दा देवी	चमोली	630
4.	वेली ऑफ फ्लावर्स	चमोली	87.5
5.	राजाजी	देहरादून हरिद्वार	820
6.	गोविन्द पशु विहार	उत्तरकाशी	472.08
			4083.31
पश्चिम बंगाल			
1.	न्यौरा वेल्ली	दार्जिलिंग	88
2.	सिंगालिला	दार्जिलिंग	78.6
3.	सुन्दरबन (टाइगर रिजर्व)	24 परगना	1330.1
4.	बक्सा (टाइगर रिजर्व)	जलपाईगुड़ी	117.1
5.	गुरूमाड़ा	जलपाईगुड़ी	79.45
			1693.25

वन्यजीव अभयारण्यों की सूची

अंडमान			
1.	ऐरियल	अंडमान	0.05
2.	बेम्बू	अंडमान	0.05
3.	बैरन	अंडमान	8.1
4.	बट्टीमालवे	निकोबार	2.23
5.	बैली	निकोबार	0.08
6.	बैनेट	निकोबार	3.46
7.	बिंघम	निकोबार	0.08
8.	ब्लिटर	निकोबार	0.26
9.	ब्लफ	निकोबार	1.14
10.	बोंडोविले	निकोबार	2.55
11.	ब्रश	निकोबार	0.23
12.	बुचानन	निकोबार	9.33

1	2	3	4
13.	चेनल	निकोबार	0.13
14.	सिंक	निकोबार	9.51
15.	सिक्षबर्ट बे	अंडमान	5.82
16.	ब्लाइड	निकोबार	0.54
17.	कौन	निकोबार	0.65
18.	कर्लयू	निकोबार	0.03
19.	कर्लयू (बीपी)	निकोबार	0.16
20.	डिफेंस	अंडमान	10.49
21.	डॉट	अंडमान	0.18
22.	डॉटरल	अंडमान	0.13
23.	डंकन	अंडमान	0.73
24.	ईस्ट	अंडमान	6.11
25.	ईस्ट ऑफ इंगलिश	अंडमान	3.55
26.	एग	अंडमान	0.05
27.	एलट	अंडमान	9.36
28.	एंटरेंस	अंडमान	0.96
29.	गलेथिया बे	निकोबार	11.44
30.	गंडेर	अंडमान	0.05
31.	बूज़	निकोबार	0.01
32.	गुरजन	निकोबार	0.16
33.	हम्प	निकोबार	0.47
34.	इंटरव्यू	निकोबार	133.8
35.	जेम्स	निकोबार	2.1
36.	जंगल	निकोबार	0.57
37.	क्वंगतुंग	निकोबार	0.57
38.	किड	निकोबार	8
39.	लैंडफाल	निकोबार	29.48

1	2	3	4
40.	लैटूचे	निकोबार	0.96
41.	लोहा बैरक क्रोकोडाइल अभयारण्य	निकोबार	100
42.	मैंग्रोव	निकोबार	0.39
43.	मास्क/बास्क	निकोबार	0.78
44.	मेव	निकोबार	0.1
45.	मेगापोड	निकोबार	0.12
46.	मोंटोगुमरी	निकोबार	0.21
47.	नारकोंडम	निकोबार	6.812
48.	नार्थ	निकोबार	0.49
49.	नार्थ ब्रदर	निकोबार	0.75
50.	नार्थ रीव	निकोबार	3.484
51.	आलीवर	निकोबार	0.16
52.	आर्चिट	निकोबार	0.1
53.	ऑक्स	निकोबार	0.13
54.	ओएस्टर	निकोबार	0.21
55.	ओएस्टर	निकोबार	0.08
56.	पेगट	निकोबार	7.36
57.	पार्किन्सन	निकोबार	0.34
58.	पैसेज	निकोबार	0.62
59.	पैर्टिक	निकोबार	0.13
60.	पीकोक	निकोबार	0.62
61.	पिटमैन	निकोबार	1.37
62.	प्वाइंट	निकोबार	3.07
63.	पोतनमा	निकोबार	0.16
64.	रेंजर	निकोबार	4.26
65.	रीफ	निकोबार	1.74
66.	रोपर	निकोबार	1.46

1	2	3	4
67.	गोज	निकोबार	0.01
68.	रॉ	निकोबार	0.01
69.	सैंडी	निकोबार	1.58
70.	सी सरपेंट	निकोबार	0.78
71.	शर्मे	निकोबार	7.85
72.	सर ह्यूज रोज	निकोबार	1.06
73.	सिस्टर	निकोबार	0.36
74.	स्नेक	निकोबार	0.03
75.	स्नेक	निकोबार	0.73
76.	स्नार्क	निकोबार	0.6
77.	साउथ ब्रदर	निकोबार	1.24
78.	साउथ रीफ	निकोबार	1.17
79.	साउथ सेंटीनल	निकोबार	1.612
80.	स्पाइक	निकोबार	11.7
81.	स्पाइक	निकोबार	0.42
82.	स्टोट	निकोबार	0.44
83.	सूरत	निकोबार	0.31
84.	स्वैम्प	निकोबार	4.09
85.	टेबल (देलग्रनो)	निकोबार	2.29
86.	टेबल (एक्सलसियर)	निकोबार	1.69
87.	पालाबेचा	निकोबार	3.21
88.	टेम्पल	निकोबार	1.04
89.	टिलनचौक	निकोबार	16.83
90.	ट्री	निकोबार	0.03
91.	ट्रिलबॉय	निकोबार	0.96
92.	ट्रफ	निकोबार	0.29
93.	टर्टल	निकोबार	0.39

1	2	3	4
94.	वेस्ट	निकोबार	6.4
95.	वार्फ	निकोबार	0.11
96.	वाइट क्लिफ	निकोबार	0.47
			466.218
आंध्र प्रदेश			
1.	कोरिंगा	ईस्ट गोदावरी	235.7
2.	अतूरनगरम	वारंगल	803
3.	गुंडला ब्रह्मेश्वरम	करनूल/प्रकाशम	1194
4.	कौंडिन्या	चित्तूर	357.6
5.	कवल	आदिलाबाद	892.23
6.	किन्नेर सानी	खम्माम	635.4
7.	कोल्लेरू	वेस्ट गोदावरी	308.55
8.	कृष्णा	कृष्णा/गंटूर	194.81
9.	लंजा मड्डुगु	आलिलाबाद (करीमनगर)	29.81
10.	मंजीरा	मेडक	20
11.	नागार्जुन सागर	गुंट, पराक, कुर्न, मेह, नाल	3568.09
12.	नेल्ला पट्टू	नेल्लौर	4.59
13.	पखल	वारंगल	860
14.	पापीकोंडा	पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, खम्माम	591
15.	पोचारम	मेडक/निजामाबाद	130
16.	प्रणायटा	आदिलाबाद	136.02
17.	कुलीकैट	नेल्लौर	500
18.	रोलापड्डु	करनूल/प्रकाशम	614.19
19.	श्रीलंका मलेश्वर	कुडप्पा	464.42
20.	श्री पैनुससिला नरसिंम्हा	कुडंप्पा/नेल्लौर	1030.85
21.	श्री वेंकटेश्वरा	चित्तूर/कुडप्पा	525.97
			13096.23

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश			
1.	दिबंग	दिबंग वैली	4149
2.	ईगल नेस्ट	ईस्ट कमंग	217
3.	ईटानगर	पापुमपेर	140.3
4.	कामलंग	लोहित	783
5.	कने	वेस्ट सियांग	55
6.	लाली (डी एरिंग)	ईस्ट सियांग	190
7.	मेहोव	दिबंग वैली लोहित	281.5
8.	पखुई	ईस्ट कमंग	861.95
9.	सेस्सा आर्चिड	वेस्ट कमंग	100
10.	टेल वेली		337
11.	योर्दी सपसे रबसे		491.615
			7606.365
असम			
1.	बर्नाडी	दरंग	26.22
2.	बरोडेबम बीलमुख	लक्ष्मीपुर/दीमाजी	11.248
3.	बुराचा पौड़ी	सोमपुर	49.06
4.	चक्रशिला	डुब्री	45.568
5.	दीपरबील	–	4.14
6.	गरमपानी	सिबसागर	6.05
7.	गिब्बन	जोरहाट	20.98
8.	लखोवा	नौगांव	70.13
9.	पाबीतोरा	नपगपम	38.8
10.	पदमिनी बर्जन बोराजन	तीनसुख	7.28
11.	पानीदीहींग	शिवसागर	33.93
12.	सोनाईरूपा	सोनीपुर	220
13.	ईस्ट कर्बी अंगलोंग	कर्बी अंगलोंग	221.81

1	2	3	4
14.	कर्बी अंगलोंग	कर्बी अंगलोंग	96
15.	नामबोर	कर्बी अंगलोंग	37
			888.216
बिहार			
1.	बरीला झील बर्ड सेंचुरी		1.95
2.	भीमबंध	मंघीर	681.99
3.	गौतमबुद्ध	गया	259.5
4.	कैमूर	रोहतास	1342
5.	कनवरलेख	बेगुसराय	63.11
6.	नागीडैम	मंघीर	1.91
7.	नकती डैम	मंघीर	3.32
8.	राजगीर	नालन्दा	35.84
9.	उदयपुर	चम्पारन	8.87
10.	बाल्मिकी (टाइगर रिजर्व)	चम्पारन	544.67
11.	विक्रम शिला गंगटिक डालफिन	भागलपुर	50
			2993.16
चंडीगढ़			
1.	चंडीगढ़ सिटी बर्ड	चंडीगढ़	0.029
2.	सुखा	चंडीगढ़	25.98
			26.009
छत्तीसगढ़			
1.	अचनाकमर	बिलासपुर	551.55
2.	बादलखोल	रायगढ़	104.45
3.	बर्नाबपारा	रूईपुर	244.66
4.	भैरमगढ़	बस्तर	138.95
5.	गोमारदा	राजगढ़	277.91
6.	पामेड	बस्तर	262.12
7.	सेमरसोट	सरगुजा	430.35

1	2	3	4
8.	सितनदी	रायपुर	553.36
9.	तमोर तिंगला	सरगुजा	608.51
10.	उदन्ती वाइल्ड बफैलो	ताईपुर	247.6
			3419.46
दमन एवं दीव			
1.	फूडम	दीव	2.18
			2.18
दादरा नगर हवेली			
1.	दादरा नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य		92
			92
दिल्ली			
1.	भट्टी	दिल्ली	8.76
2.	इंदिरा प्रियदर्शिनी	दिल्ली	9
			17.76
गोवा			
1.	भगवान महावीर	गोवा	133
2.	बोंडला	गोवा	8
3.	चौराव (डा. सलीम अली)	गोवा	1.78
4.	कोटीगॉ	गोवा	85.65
5.	मेढी	गोवा	208.48
6.	नेट्रावेली	गोवा	211.05
			647.96
गुजरात			
1.	बालाराम अम्बाजी	बनासकंठा	542.081
2.	वर्धा	जूनागढ़, जामनगर	192.31
3.	दुमका (शूल पनेश्वर)	राजपिपला, बरूच	607.7
4.	गागा (जी आई बी)	जामनगर	3.33

1	2	3	4
5.	गिर	जूनागढ़	1153.42
6.	हिंगोलगढ़	राजकोट	6.64
7.	जम्बू गोडा	पंचमहल	130.38
8.	जैसोर	बांसकंथा	180.66
9.	कच्छ डजर्ट	कच्छ	7506.22
10.	खीजादिया	जामनगर	6.05
11.	कुच बस्टर्ड	कुच	2.03
12.	मैराइन	जामनगर	457.93
13.	नालसरोवर	अहमदाबाद और सुरेन्द्र नगर	120.82
14.	नारायण सरोवर	कच्छ	442.91
15.	पानिया	अमरेली	39.63
16.	पोरबंदर	जूनागढ़	0.09
17.	पूर्णा	डैंग्स	160.84
18.	रामपुर	राजकोट	15.01
19.	रतनमहल	पंचमहल	55.65
20.	थोल	मैहज़ाना	6.99
21.	वाइल्ड ऐस	सुरेन्द्र नगर, बनासकंथा, राजकोट, एमसन	4953.7
			16584.391
हरियाणा			
1.	अबूबशेर	सिरसा	115.3
2.	बिंदवास	रोहतक	4.12
3.	बीरबर्बन	जींद	4.19
4.	बीरशिकारगढ़	अम्बाला	6.67
5.	छिलछिला	कुरूक्षेत्र	0.29
6.	कलेसर	–	109.28
7.	खप्परवास	–	0.83
8.	नाहर	रोहतक	2.11
9.	सरस्वती	कुरूक्षेत्र	44.53
			287.32

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	बांदली	मंडी	41.32
2.	चैल	सोलन	108.54
3.	चुरधार	सिरमोर	56.15
4.	दरंगघाटी 1 और 2	शिमला	167.4
5.	दरलाघाट	सोलन	6
6.	धोलाधर अभयारण्य	कांगड़ा	944
7.	गागुंल सिया-बेही	चम्बा	108.85
8.	गोबिन्द सागर	बिलासपुर	100.34
9.	कालाटोप एवं खज्जर	चम्बा	69.26
10.	कनवर	कुल्लू	60.7
11.	क्यास	कुल्लू	14.19
12.	किब्बर	लाहौल स्पीति	1400.5
13.	कुगती	चम्बा	378.86
14.	लिप्पा असरंग	कन्नौर	30.89
15.	मलथल हसरंग	सोलन	39.38
16.	मनाली	कुल्लू	31.8
17.	नैनादेवी	बिलासपुर	122.68
18.	नरगू	मंडी	278.37
19.	पौंगडैम लेख	कांगड़ा	307.29
20.	रक्षनचितकुल (संगला)	किन्नौर	650
21.	रेणुका	सिरमौर	4.02
22.	रूपीभाभा	कन्नौर	269.14
23.	सचुतुआननाला	चम्बा	102.95
24.	सैंच	कुल्लू	90

1	2	3	4
25.	शिकारीदेवी	मंडी	72
26.	शिल्ली	लोसन	2.13
27.	शोखन	कुल्लू	14.05
28.	सिम्बलवाड़ा	सिरमौर	19.03
29.	शिमला वाटर कैचमेंट एरिया	शिमला	10.25
30.	तालरा	शिमला	40.49
31.	तिरथन	कुल्लू	61.12
32.	टुन्डाह	चम्बा	64.22
			5665.92
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	बालताल (थाजवास)	श्रीनगर	203
2.	छंगथंग	लेह	4000
3.	गुलमर्ग	बारामुला	186
4.	हीरापोड़ा	श्रीनगर	110
5.	होकेरयर	श्रीनगर	10
6.	जासरोटा	जम्मू	4
7.	कराकोरम	कारगिल	5000
8.	थाजवास	–	–
9.	लाचीगोड़ा	बारामुला	80
10.	निम्बर	बारामुला	26
11.	नन्दानी	जम्मू	33.34
12.	ओवेरा	श्रीनगर	32
13.	ओवेरा-आरू	श्रीनगर	425
14.	सुरिनसर मनसर	जम्मू	39.13
15.	त्रिकुटा	जम्मू	3
16.	रामनगर राखा	जम्मू	12.2
			10163.67

1	2	3	4
झारखंड			
1.	दलमा	सिंहभूम	193.22
2.	हजारीबाग	हजारीबाग	186.25
3.	कोडेरमा	हजारीबाग और गया	177.35
4.	लावालोंग	हजारीबाग	207
5.	महोदनदनार	पलामू	63.25
6.	पलामू (बेतला)	पलामू	794.33
7.	पालकोट	गुमला	183.18
8.	पारसनाथ	हजारीबाग	49.33
9.	तोपचाची	धनबाद	8.75
10.	उधवा	साहबगंज	5.65
			1868.31
कर्नाटक			
1.	आदिचुनचुनागिरि	मंडी	0.84
2.	अरबीथिट्टु	मैसूर	13.5
3.	अतिवेरी	उत्तर कन्नड और धारवाड़	2.226
4.	भद्रा	शिमोगा और चिकमगलूर	492.46
5.	बिलीगिरि रंगा स्वामी टेम्पल	मैसूर	539.52
6.	ब्रह्मगिरि	मडीकेरी	181.29
7.	कावेरी	मैसूर, मंडया, बंगलौर	510.51
8.	दंदेली	उत्तरा कन्नड़	834.16
9.	डोराजी बीयर सेंचुरी	बेल्लरी	55.873
10.	घटप्रभा	बेलगांव	29.78
11.	गुदावी	शिमोगा	0.73
12.	मेलकोट टेम्पल	दक्षिण कन्नड़	49.82
13.	मुकमबिका	मांडया	247
14.	नुगु	मैसूर	30.32

1	2	3	4
15.	पुष्पागिरि	कोडागु	102.92
16.	रणबेन्नूर	धारवाड़	119
17.	रंगाथिट्टू	मैसूर	0.67
18.	शरावती वेल्ली	शिमोगा	431.23
19.	शेट्टीहली	शिमोगा	395.6
20.	शमेश्वरा	दक्षिण कन्नड़	88.4
21.	तालाकवेरी	कोडागु	105.59
			4231.439
केरल			
1.	अरालम	कन्नानोर	55
2.	चिम्मोनी	त्रिचूर	85
3.	चिनार	इदुकी	90.44
4.	इदुकी	इदुकी	70
5.	नेय्यर	त्रिवेन्द्रम	128
6.	परामबिकुल	पालघाट	285
7.	पीची वाझानी	त्रिचूर	125
8.	पेप्पारा	त्रिवेन्द्रम	53
9.	परियार (टीआर)	इदुकी	427
10.	शेन्दुरूनी	त्रिवेन्द्रम	100.32
11.	थट्टेकड	इदुकी	25
12.	वायनाड	कालीकट व वायनाड	344.44
			1788.2
महाराष्ट्र			
1.	अंबाबारवा	–	127.11
2.	अंधेरी	चन्द्रपुर	509.27
3.	अनेर डैम	धुले	82.94
4.	भमरागढ़	–	104.36

1	2	3	4
5.	भीमशंकर	पुणे/थाणे	130.78
6.	बोर	वर्धा	61.1
7.	चंदोली	सांगली सतारा, रत्नागिरी/कोल्हापुर	308.97
8.	चपराला	गडचिरोली	134.78
9.	देउलगांव रेहेकारी	अहमदनगर	2.17
10.	ध्यानगंगा	–	205.23
11.	गौताला औतराघाट	औरंगबादा/जलगांव	260.61
12.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (नारंग)	सोलापुर/अहमदनगर	8496.44
13.	जयाकवाडी	औरंगाबाद	341.05
14.	कलसुबाई हरीष चन्द्रगढ़	अहमदनगर	361.71
15.	करनाला	राजगढ़	4.48
16.	कतेपुरना	अकोला	52.69
17.	कोयना	सतारा	423.55
18.	मालवान (मैरीन)	सिंधुदुर्ग	29.12
19.	मयुरेश्वरसुप	–	5.145
20.	मेलघाट (टी आर)	अमरावती	1150.03
21.	नागजीरा	भंडारा	152.81
22.	नाईगांव मयुर डब्ल्यू.एल.एस.	–	29.89
23.	नन्दुर मदमेश्वर	नासिक	100.12
24.	नरनाला	–	12.35
25.	पैनगंगा	यवतमाल/नान्देड	324.62
26.	फन्साद	राजगढ़	69.79
27.	राधानगरी	कोल्हापुर	351.16
28.	सागारेश्वर	कोल्हापुर	10.87
29.	तानसा	खाणे	304.81
30.	तिपेश्वर	–	148.63
31.	वान	–	211

1	2	3	4
32.	यवल	जलगांव	177.52
33.	येदशी रामालीन घाट	–	22.38
			14707.485
मध्य प्रदेश			
1.	बगदारा	सीधी	478
2.	बोरी	होशंगाबाद	485.72
3.	पङ्गेन	हांडला	110.74
4.	गांधी सागर	मानसासौर	368.62
5.	गांगाऊ	ग्वालियर	68.14
6.	घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	ग्वालियर	512.33
7.	केरेरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	शिवपुरी	202.21
8.	केन घरियाल	पन्ना छित्तरपुर	45.2
9.	खेवनी	देवास	122.7
10.	नरसिंगढ़	रायगढ़	57.18
11.	नैशनल चंबल	मुरैना	435
12.	नेउरादेही	सागर दमोह, नरसिंगपुर	1194.67
13.	ओरछा	तिमामगढ़	44.91
14.	पंचमढ़ी	होशंगाबाद	417.78
15.	पालपुर (कुनो)	मुरैना	344.68
16.	पानपत्ता	शहडोल	245.84
17.	पेंच	सिवनी/छिन्दवाड़ा	118.47
18.	रालामण्डल	इन्दौर	2.34
19.	रतपानी	सायसेन	823.84
20.	सैलाना	रतलाम	12.96
21.	संजय दुब्री	सीधी	364.59
22.	सरदारपुर	धार	348.12
23.	सिंघोरी	रायसेन	287.91

1	2	3	4
24.	सन घरियाल	सीधी, सतना, शहडोल	83.6
25.	वीरंगाना	दमोह	23.97
			7199.52
मणिपुर			
1.	बुनिंग	तमेंगलोर्ग	150.85
2.	जारी मफरू	तमेंगलोर्ग	198
3.	कैहलम	चुराचंदपुर	151.8
4.	यंगोउपोकपी लोकचाव	चांदी	184.85
5.	जेलाद	तमेंगलोर्ग	21
			706.5
मेघालय			
1.	बाघमारा (पिटचर प्लांट)	वेस्ट गारो हिल्स	0.027
2.	नॉगखायलेम	ईस्ट खासी हिल्स	29
3.	सिज्जु	वेस्ट गारो हिल्स	5.18
			34.207
मिजोरम			
1.	दम्पा (टी आर)	आइजोल	500
2.	ख्वांगलुंग	थेंज्वल	35
3.	लेंगतेंग	चमफाई	80
4.	नगेपुई	नगेंपुई	110
5.	तवी	–	50
			775
नागालैंड			
1.	फकीम	तेंगसंग	6.42
2.	पुलिबेड्ज	कोहिमा	9.23
3.	रंगापहाड़	कोहिमा	4.7
			20.35

1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	बैसीपाल्ली	नायागढ़	168.35
2.	बालुखण्ड कोनार्क	पुरी	71.72
3.	भीतारकनिका	केन्द्रपाड़ा	672
4.	चंदका दामपारा	केन्द्र कटक	175.79
5.	चिल्का	पुरी	15.53
6.	देब्रीगढ़	बरगढ़	346.91
7.	गहिरमाथा मैरिन	केन्द्रपाड़ा	1435
8.	हदगढ़	क्योंझर	191.6
9.	केरलापत	कालाहाण्डी	147.66
10.	खालासुनी	सम्बलपुर	116
11.	कोटगढ़	फूलबनी	399.05
12.	कुलडीहा	बालासोर	272.75
13.	लखारी वैली	गुजापति	185.87
14.	नन्दनकानन	खुर्दा	14.16
15.	सतकोसिया गर्ग	अंगुल	745.52
16.	सिमलीपाल	मयुरभंज	2200
17.	सुनावेदा	नवपादा	500
18.	उषाकोठी (बद्रामा)	संबलपुर	304.03
			7961.94
पंजाब			
1.	अबोहर	फिरोजपुर	186.5
2.	बीर एशवान	संगरूर	4.67
3.	बीर भदसन	पटियाला	10.22
4.	बीर बुनेरीहेरी	पटियाला	6.5
5.	बीर दोसांझ	पटियाला	1.23
6.	बीर गुर्दियापुरा	पटियाला	6.2

1	2	3	4
7.	बीर महेशवाला	पटियाला	5.17
8.	बीर मोतीबाग	पटियाला	6.4
9.	हरीक झील	फिरोजपुर	86
10.	तेखानी रममपुर	होशियारपुर	3.82
			316.71
राजस्थान			
1.	बंधा बरेठा	भरतपुर	199.5
2.	बस्सी	चित्तौड़गढ़	138.69
3.	भेंसरोडगढ़	चित्तौड़गढ़	229.14
4.	दर्दा	कोटा	274.41
5.	जैसामंद	राजसमंद	52.34
6.	जंबा रामगढ़	जयपुर	300
7.	जवाहर सागर	कोटा	153.41
8.	केलादेवी	सवाई माधोपुर	676.4
9.	केसरबाग	धौलपुर	14.76
10.	कुंभलगढ़	उदयपुर	608.57
11.	एम.टी. अबु	सिरोही	112.98
12.	नहारगढ़	जयपुर	50
13.	नैशनल चंबल	कोटा	280
14.	फुलवार-की-नल	उदयपुर और पाली	492.68
15.	रामगढ़ विषधारी	बुन्दी	252.79
16.	रामसागर	धौलपुर	34.4
17.	सज्जनगढ़	उदयपुर	5.19
18.	सरिस्का (टी आर)	अलवर	281.36
19.	सेवई मान सिंह	सेवई माधोपुर	127.76
20.	शेरगढ़	कोटा	98.7
21.	सीता माता	चित्तौड़गढ़	422.94

1	2	3	4
22.	ताल छाप्पर	चूरू	7.19
23.	तोड़गढ़ रवेली	अजमेर	463.03
24.	वन विहार	धौलपुर	25.6
			5301.84
सिक्किम			
1.	बारसेरी (रहाडोदेन्ड्रोन)	ग्यालसिंग	104
2.	फमबुंगला	ईस्ट सिक्किम	51.76
3.	क्योंगनोसाला	रोंगनेक चू	31
4.	ह्याएनाम	साउथ सिक्किम	53.34
5.	शिगबा (रहाडोदेन्ड्रोन)	यामथांग	43
			265.1
तमिलनाडु			
1.	अन्नामलाई (इंदिरा गांधी)	कोयम्बतूर	841.49
2.	चित्रांगुदी	रामनाथापुरम	0.47
3.	कालाकड बाघ रिजर्व	तिरुनेलवेली	223.58
4.	कन्जीरांकुलम	चेंगाई अन्ना	1.04
5.	करायवेत्ती	पेरमबालूर	4.53
6.	कारीकिली	चेंगलपट्टू	0.61
7.	कूंथनकुलम/कंडनकुलम बर्ड	तिरुनेलवेली	1.29
8.	मेलासानुवान्नूर किलासेलवानूर बर्ड	रामानाथापुरम	5.93
9.	मुदूमलाई	नीलगिरी	217.76
10.	मुंडनथुराई बाघ रिजर्व	तिरुनेलवेली	567.38
11.	प्वांइट कालीमेरे	नागापत्तीनम	17.26
12.	पुलीकट बर्ड	तिरुवेल्लोर	153.67
13.	श्रीविल्लीपुथुर ग्रीज्जल्ड स्क्वायरल	विरुधु नगर	485.2
14.	उदयमरथनदापुरम बर्ड बी-326	तिरुवारूर	0.45
15.	वदुवुर	तिरुवरूर	1.28

1	2	3	4
16.	बल्लानदु ब्लैक वक	तुतीकोरीन	16.41
17.	वेदांथांगल बर्ड	चेंगलपट्टु	0.3
18.	वेलोड बर्ड डब्ल्यू.एल.एस.	इरोड	0.77
19.	वेत्तनगुदी	सिवागंगा	0.38
20.	वेत्तनगुदीपट्टी	रामानाथापुरम	1.9
			2541.7
त्रिपुरा			
1.	गुमती	साउथ त्रिपुरा	389
2.	रोआ	नार्थ त्रिपुरा	0.85
3.	सेपाहीजाला	वेस्ट त्रिपुरा	18.53
4.	तृष्णा	साउथ त्रिपुरा	194.7
			603.08
उत्तर प्रदेश			
1.	बखीरा	बस्ती	29
2.	चन्द्रप्रभा	वाराणसी	78
3.	हस्तीनगर	मेरठ, अल्मोड़ानासी महाराजगंज	2073
4.	कैमूर	मिर्जापुर	501
5.	कतरनीघाट	बहराईच	400
6.	किशनपुर	लखिमपुर खीरी	227
7.	लाख बहोसी	फरूखाबाद	80
8.	महावीर स्वामी	ललीतपुर	5
9.	नैशनल चंबल	आगरा/इटावा	635
10.	नवाबगंज	उन्नाव	2
11.	ओखला	गाजियाबाद	4
12.	पार्वतीआगरा	गोण्डा	10.84
13.	पटना	एटा	1.09
14.	रानीपुर	बाँदा	230

1	2	3	4
15.	समन	मैनपुरी	5
16.	समसपुर	रायबरेली	8
17.	संदी	गरदीयु	3
18.	सोहागीबरवा	महाराजगंज	428
19.	सोहेलवा	गोरखपुर	452
20.	सुराहताल	वलिया	0.32
21.	सुसारोवर	आगरा	4.03
22.	तर्टले	वाराणसी	7
23.	विजय नगर	हमीरपुर	2.62
			5185.9
उत्तरांचल			
1.	अस्कोट	पिथौरागढ़	600
2.	बिनसार	अल्मोड़ा	46
3.	गोविन्द पशु विहार	उत्तरकाशी	953
4.	केदारनाथ	चमोली	957
5.	मंसूरी	देहरादून	11
6.	सोननदी	पौड़ी गढ़वाल	301
			2868
पश्चिम बंगाल			
1.	बल्लभपुर	बीरभूम	2
2.	बेटुआदेहारी	नदिया	1.21
3.	बुक्सा (बाघ रिजर्व)	जलपाइगुड़ी	386.99
4.	छपरामारी	जलपाइगुड़ी	9.49
5.	ब्ल्लीडे	24 परगना	5.95

1	2	3	4
6.	जलदापारा	जलपाईगुड़ी	216.51
7.	जोरेपोखरी	दार्जिलिंग	0.04
8.	लोथीयन आइसलैंड	24 परगना	38
9.	महानन्दा	दार्जिलिंग	159.86
10.	नरेन्द्रपुर	24 परगना	0.1
11.	विभूतिभूषण (परमादन)	नदिया, 24 परगना	0.6
12.	रायगंज	वेस्ट दिनाजपुर	1.3
13.	रमना बगान	बर्दवान	0.14
14.	सजनाखाली	24 परगना	362.4
15.	सेंचल	दार्जिलिंग	38.88
			1223.47

विवरण-III

खराब स्थिति वाले चिड़ियाघरों की सूची

क्र.सं.	चिड़ियाघर का नाम
1	2
1.	राज्य म्यूजियम चिड़ियाघर, त्रिसूर, केरल
2.	महाराज बाग चिड़ियाघर, नागपुर, महाराष्ट्र
3.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश
4.	लेडी हाइडरी पार्क, शिलांग, मेघालय
5.	उदयपुर चिड़ियाघर, उदयपुर, राजस्थान
6.	बीकानेर चिड़ियाघर, बीकानेर, राजस्थान
7.	कोटा चिड़ियाघर, कोटा, राजस्थान
8.	विल्ड्रेन्स चिड़ियाघर, बेल्लारी, कर्नाटक
9.	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
10.	हड्डो चिड़ियाघर, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान और निकोबार
11.	सूरत चिड़ियाघर, सूरत, गुजरात
12.	राजकोट चिड़ियाघर, राजकोट, गुजरात
13.	पेशवे पार्क, पुणे, महाराष्ट्र
14.	आइजोल चिड़ियाघर, मिजोरम
15.	जयपुर, चिड़ियाघर, जयपुर, राजस्थान
16.	कोहिमा चिड़ियाघर, कोहिमा, नागालैंड
17.	जोधपुर चिड़ियाघर, जोधपुर, राजस्थान
18.	सायाजी बाग, बड़ोदरा, गुजरात

विवरण-III

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार जारी धनराशियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	1998-99				1999-2000				2000-2001			
		प्रस्ताव प्राप्त हुए		प्रस्ताव अनुमोदित		प्रस्ताव प्राप्त हुए		प्रस्ताव अनुमोदित		प्रस्ताव प्राप्त हुए		प्रस्ताव अनुमोदित	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	14	152.16	12	50.72	13	167	12	87.54	12	202.98	11	186.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	173.73	8	57.91	11	167.7	8	50.983	10	270.27	9	121.12
3.	असम	5	290.25	1	58.05	16	99	10	53.44	18	605.78	18	317.205
4.	बिहार	8	115	0	0	11	204.358	7	27.85	2	27.69	2	21.02
5.	गोवा	5	66.42	4	11.07	7	165.7	4	21.305	6	278.29	1	10.5
6.	गुजरात	9	68.8	4	13.8	9	107	6	22.1	11	337.2	3	65.27
7.	हरियाणा	4	111.6	3	37.2	4	69.39	1	21.55	5	72.89	2	28.35
8.	हिमाचल प्रदेश	22	149.4	17	49.8	19	307.58	10	47.46	23	473.45	8	165.3
9.	जम्मू व कश्मीर	8	79.7	1	7	8	206.92	1	5.55	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	18	252.36	14	84.12	25	1517	12	100.319	25	628.8	12	307.18
11.	केरल	13	148.06	11	49.35	13	428	12	59.975	13	300.24	9	102.62
12.	मध्य प्रदेश	21	251.51	8	35.93	28	1421.43	21	152.203	30	832.47	17	182.195
13.	महाराष्ट्र	20	194.481	11	27.783	22	93.86	12	123.43	8	223.26	4	90.96
14.	मणिपुर	2	78.56	2	19.64	2	30	2	13.28	2	63.48	2	41.784
15.	मेघालय	5	121	0	0	3	47.85	0	शून्य	5	405.64	3	66.36
16.	मिजोरम	5	42.25	3	8.45	5	38.03	4	12.3	7	163.36	7	102.31
17.	नागालैंड	2	55	1	9	2	18.7	1	9.7	4	655.46	3	31.85
18.	उड़ीसा	9	274.92	4	68.73	9	182.4	9	94.74	8	202.16	1	3.5
19.	पंजाब	6	51.9	6	8.65	8	98.05	3	11.57	8	51.95	3	26.39
20.	राजस्थान	15	268.56	10	89.52	9	242	7	66.54	12	742.99	4	116
21.	सिक्किम	5	68	2	11	3	56.29	1	12	6	311.9	6	97.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	तमिलनाडु	19	223.89	14	74.63	13	80	13	61.18	19	268.38	10	89.83
23.	त्रिपुरा	3	119.82	0	0	3	204	2	19.97	3	169.52	2	21.9
24.	उत्तर प्रदेश	23	447.85	13	89.57	24	345.5	16	117.81	24	580.78	13	144.6
25.	पश्चिम बंगाल	6	331.2	6	72.96	7	118.95	7	55.2	7	213.32	6	90.22
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	शून्य	4	89	3	22	5	70.65	5	50
27.	चंडीगढ़	—	—	—	शून्य	1	43.2	1	28	0	0	0	0
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	—
29.	दमन एवं दीव	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	—
	कुल	257	4136.4	158	934.883	279	40736.48	185	1297.995	273	8152.8	161	2479.98

महिला श्रमिकों को प्रशिक्षण

***407. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महिला श्रमिकों को अनिवार्य दक्षता प्रशिक्षण देने हेतु प्रावधान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में और विशेषकर महाराष्ट्र में महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विद्यालयों में राज्य-वार कितनी महिलाओं का पंजीकरण होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार के पास महिला श्रमिकों हेतु विशेष प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महिला श्रमिकों हेतु विशेष प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एकीकृत जल-संसाधन विकास योजना हेतु राष्ट्रीय आयोग

***408. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996 के दौरान जल संसाधनों के विकास हेतु तथा नदियों को परस्पर जोड़कर जल की कमी वाले नदी थालों को फालतू जल का अंतरण करने के लिए क्रियाविधियों का सुझाव देने हेतु एक एकीकृत जल संसाधन विकास योजना संबंधी कोई राष्ट्रीय आयोग गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने दिसम्बर, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस आयोग ने देश में जल संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं में शामिल करते हुए 209 सिफारिशें की हैं। इनमें से कुछ सिफारिशें जल के अन्तरबेसिन हस्तान्तरण से संबंधित हैं। इस आयोग का यह विचार है कि प्रायद्वीपीय घटक तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टि से व्यावहारिक है लेकिन इसकी आर्थिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन विस्तृत अध्ययनों के बाद किया जाना है तथा हिमालयी घटक के लिए अधिक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आगे कार्रवाई करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, विशेषज्ञों की परामर्शदात्री समिति की सहायता से 17 फरवरी, 2000 को एक कार्यान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना की। इस परामर्शदात्री समिति ने 30 अगस्त, 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अभिज्ञात किया गया कि (1) कुछ सिफारिशें राज्य के परामर्श बिना ही केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा सकती हैं, (2) कुछ सिफारिशें राज्य को प्रतिक्रिया के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं, (3) कुछ सिफारिशें ऐसी हैं, जिनके कार्यान्वयन पर निर्णय लेने से पूर्व, उन पर केन्द्र सरकार से परामर्श करना अनिवार्य है।

विमानन सुरक्षा

*409. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) ने भारत के लिए विमानन सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्त सुविधा की स्थापना करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हवाई अड्डों पर सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर करने के लिए अपेक्षित निधि का आकलन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावित निधि के सृजन हेतु संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) मार्च, 2001 में भारत यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के महासचिव ने विमानन संरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सुविधा स्थापित करने का मुद्दा उठाया और इसमें भारत के समर्थन की मांग की। यद्यपि यह मामला आरंभिक चरण में है और निर्णय होने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के सदस्य-देशों के बीच विचार-विमर्श किया जाना अपेक्षित होगा।

गंगोत्री हिमनद

*410. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगोत्री हिमनद तेजी से कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस हिमनद के आकार प्रकार और स्थिति में इस प्रकार के गम्भीर परिवर्तन होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हस्तक्षेप का इस हिमनद पर किसी भी प्रकार से प्रभाव न पड़े?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार हिमनद धीरे-धीरे घटता जा रहा है और 1935 से उसके क्षेत्र में केवल 0.57 किलोमीटर की कमी हुई है। पृथ्वी हिमनदी के विभिन्न चरणों और अन्तः हिमनदी दौर से गुजरी है। यह प्रकृति की एक अद्भुत घटना है। इस समय पृथ्वी अन्तः हिमनदी दौर से गुजर रही है जहां विश्व भर के हिम खंड पिघल रहे हैं और हिमनदी का कम होना प्रकृति की एक अद्भुत घटना है। सरकार को पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी है और सरकार गंगोत्री क्षेत्र में वनीकरण, सामुदायिक शौचालयों की स्थापना, कूड़ा करकट हटाने और पारि-पर्यटन को बढावा देने जैसे संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहन दे रही है।

बाल श्रम और उनके अवैध व्यापार की घटनाएं

*411. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम और बच्चों के अवैध व्यापार का उन्मूलन करने के केन्द्र के प्रयास के बावजूद, इनकी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या "वीमन्स कोलीशन फॉर पीस एण्ड डेवेलपमेन्ट" के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक ने इस संबंध में कोई उपयुक्त विधान बनाने में भारत के विफल रहने पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत की विफलता के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाए और तत्संबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) देश में बाल श्रम के बारे में प्रामाणिक आंकड़े दसवर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार किए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 13.6 मिलियन थी जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन थी। सरकार ने सम्पूर्ण देश में बच्चों के अवैध व्यापार के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ख) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता स्कीम नामक दो स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत, प्रमुख क्रियाकलाप अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार स्वास्थ्य देखरेख, वजीफा आदि के माध्यम से कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूलों/केन्द्रों का चलाया जाना है। प्राप्त आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों के माध्यम से इन परियोजनाओं की केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर सतत समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय प्रबोधन समिति भी गठित की गई है। सहायता अनुदान स्कीम के अन्तर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभ के लिए कार्योन्मुख परियोजनाएं शुरू करने हेतु संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वैच्छिक संगठनों को निधियाँ निर्गत की जाती हैं।

सरकार ने अवैध व्यापार के शिकार बच्चों को मुख्य धारा में लाने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है।

कामगारों की न्यूनतम मजदूरी

*412. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसुल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत, अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजूदरी तय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में इन कामगारों के लिए निर्धारित वर्तमान मजदूरी कितनी है;

(घ) क्या अधिकांश उद्योग न्यूनतम मजदूरी संबंधी इन मार्गनिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या वर्तमान मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समनुरूप नहीं हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का कामगारों की न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अन्तर्गत, केन्द्र तथा राज्य अर्थात् दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के तहत अनुसुचित नियोजनों में लगे कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती हैं। केन्द्र सरकार ने संलग्न विवरण के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र के नियोजनों में अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है।

(घ) और (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कानूनी उपबंध समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोजक पर लागू होते हैं। अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन दो स्तरों पर किया जाता है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं, राज्य क्षेत्र में, राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से इसे प्रवर्तित किया जाता है। अधिनियम में चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने के प्रावधान हैं।

(च) से (ज) केन्द्र सरकार ने पहले ही केन्द्रीय क्षेत्र में सभी अनुसूचित नियोजनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान किया हुआ है जिसे एक वर्ष में दो बार अप्रैल तथा अक्तूबर में संशोधित किया जाता है। जहाँ तक राज्यों का संबंध है, 22 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने परिवर्ती मंहगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक संघटक के रूप में अंगीकार किया है। न्यूनतम मजदूरी में अधिनियम के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार आवधिक रूप में संशोधन किया जा रहा है।

विवरण

1.10.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें

(रुपये प्रतिदिन)

	क्षेत्र 'क'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
	1	2	3
1. निर्माण			
अकुशल	59.87	57.87	47.53
अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	71.19	69.19	57.87
कुशल/लिपिकीय	91.72	85.72	73.38
अत्यधिक कुशल	108.41	106.41	85.72
2. कृषि			
अकुशल	90.19	82.74	80.74
अर्द्ध/कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	99.64	92.19	84.47
कुशल/लिपिकीय	109.08	99.64	91.91
अत्यधिक कुशल	121.25	111.81	99.64
3. रेलवे में माल चढ़ाना/उतारना और ऐश पिट की सफाई			
	70.63	55.57	48.95
4. खनन			
	भूमि के ऊपर		भूमि के नीचे
कुशल	47.53		57.87
अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	57.87		69.23
कुशल/लिपिकीय	69.23		84.72
अत्यधिक कुशल	84.72		101.24
5. पत्थर तोड़ना या पत्थर काटना (उजरती दर आधार पर)			
50 मीटर रस्सी/1.5 मीटर लिफ्ट से अतिभार खाली करना और हटाना			

1	2	3
(1) नरम भूमि	82.26*	
(2) चट्टान सहित नरम भूमि	125.34*	
(3) चट्टान	165.51*	
2. 50 मीटर रस्सी/1.5 मीटर लिफ्ट से अस्वीकृत पत्थरों को हटाना और ढेर लगाना	65.62	
3. निम्नलिखित आकार के पत्थरों का तोड़ना या काटना:-		
(1) 1.0 इंच से 1.5 इंच	514.18**	
(2) 1.5 इंच से अधिक से लेकर 3.2 इंच	439.83**	
(3) 3.0 इंच से अधिक से लेकर 5.0 इंच	256.59**	
(4) 5.0 इंच से अधिक	210.60**	

*प्रति 2.831 घन मीटर (100 घन फीट)

** 5.662 घन मीटर (200 घन फीट) का भार प्रति ट्रक

टिप्पणी:- क्षेत्र क: महानगर और अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर, कानपुर तथा ग्रेटर मुम्बई शामिल हैं।

क्षेत्र ख: मुख्यत: 1 लाख की जनसंख्या वाले 54 शहर शामिल हैं।

क्षेत्र ग: अन्य सभी क्षेत्र शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों को विमानों के ईंधन पर करों से छूट

*413. **श्री किरीट सोमैया:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए विमान सेवा समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर सभी राष्ट्रीय शुल्कों और लेवी की छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की राय मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों से विमान ईंधन पर बिक्री कर वसूल कर रही है जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय विमा सेवा करारों में परस्पर आधार पर एक संविदाकारी देश के भू-भा से एक संविदाकारी राष्ट्र के विमानों द्वारा लिये जाने वाले विमान टरबाइन ईंधन और अन्य मदों पर सीमा-शुल्क ड्यूटी, स्थानी ड्यूटी, करों इत्यादि के भुगतान करने पर आउटराइट छूट क स्वीकृति अथवा संविदाकारी देशों की एयरलाइनों के इन मामलों वे संबंध में अधिक अनुकूल राष्ट्र के साथ व्यवहार्य की स्वीकृति दि जाने का प्रावधान किया जाता है।

(ग) और (घ) द्विपक्षीय विमान सेवा करारों को वास्तव लागू किये जाने से पूर्व विधि मंत्रालय से अपरिवर्तनीय रूप विचार-विमर्श किया जाता है।

(ङ) और (च) इन दायित्वों को निभाने की दृष्टि से, केन सरकार पहले, भारत से लिये जाने वाले विमानन टरबाईन ईंधन प विक्रय कर की छूट अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को देने के लिए राज सरकारों को सहायता-अनुदान कर रही थी। इस सहायता अनुदा को बन्द कर दिया गया। अन्य देश में पंजीकृत विमान द्वारा भार के लिए, से और इससे होकर अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का प्रचाल करने वाले विमानों द्वारा लिये जाने वाले ईंधन और स्नेहकों प

सभी ड्यूटियों और करों से छूट के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन एक विधायन के लिए एक विधेयक 19.12.2000 को रखा गया है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में गिरावट

***414. श्री मानसिंह पटेल:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विमान कंपनियों की तुलना में एअर इंडिया द्वारा भारत से और विदेश से भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री लेने में लगातार कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के यातायात में एअर इंडिया का हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू उड़ानों से कितनी आय हुई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) वर्ष 1999 के विमानन क्षेत्र के उपलब्ध विपणन आंकड़ों के अनुसार, भारत से/तक एअर इंडिया के यात्रियों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भारत से/तक प्रचालनरत दूसरी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा वहन किए जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी इसी दर से वृद्धि हुई है।

(घ) गत दो वर्षों में घरेलू उड़ानों से प्राप्त आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

	प्रचालनात्मक राजस्व	प्रचालनात्मक परिणाम
1998/99		
घरेलू	87.21	(58.19)
घरेलू (हब एण्ड स्पोक)	10.51	(11.05)
1999/2000		
घरेलू	84.38	(48.17)
घरेलू (हब एण्ड स्पोक)	13.27	(10.69)

वर्ष 1997-98 की अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है चूंकि पूर्ववर्ती वर्षों में घरेलू उड़ानों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता था।

[अनुवाद]

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

***415. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में विभिन्न राज्यों ने कितनी प्रगति की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) प्रमुख शहरों में वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यूरो-2 मानदण्डों के समान भारत स्टेज-2 के नाम से ज्ञात और अधिक कठोर उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं तथा 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रभावी हैं। इन मानदण्डों को 1.1.2001 से मुम्बई (ग्रेटर मुम्बई सहित) तथा 1.7.2001 से चेन्नई और कलकत्ता में भी लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों पर खरा उतरने के लिए अपेक्षित ईंधन गुणवत्ता भी निर्धारित की गई है।

राज्य सरकारों में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिसूचित विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानदण्डों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। सरकार द्वारा वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पूरे देश में 1.4.2000 से वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए यूरो-1 मानदण्डों के सनान भारत स्टेज-1 उत्सर्जन मानदण्ड लागू किए गए हैं।
- प्रदूषण उपशमन के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जो प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण दोनों ही पहलुओं पर जोर देती है।

- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम के तहत मॉनीटरिंग स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित तौर पर मॉनीटरिंग की जा रही है।
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) और लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) जैसे स्वच्छ ईंधन को ऑटो फ्यूल के रूप में बढ़ावा दिया जाना।
- 1.2.2000 से पूरे देश में सीसा रहित पैट्रोल की शुरूआत की गई है।
- प्रमुख शहरों में कम सल्फर वाले ईंधन की शुरूआत की गई है।
- सी.एन.जी./एल.पी.जी. किटों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

विमान यातायात प्रबंधन हेतु निगरानी प्रणाली

***416. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान यातायात प्रबंधन हेतु उपग्रह आधारित संचार, विमान संचालन की निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विमान यातायात प्रबंधन प्रणाली की प्रभाविता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा तैयार किये गये एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय ट्रांजिशन प्लान तथा विश्व स्तर के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए उपग्रह आधारित संचार, दिक्चालन, निगरानी और विमान यातायात प्रबंधन के ट्रांजिशन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक योजना तैयार की है। योजना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(1) वर्तमान के ध्वनि संचार के साथ डाटा संचार आधारित वैमानिकी दूरसंचार नेटवर्क का आरंभ किया जाना;

(2) उपग्रह दिक्चालन आरंभ करना जो कोर उपग्रह समूह द्वारा प्रसारित संकेतों का प्रयोग करता हो। इस प्रक्रिया में टर्मिनल क्षेत्र दिक्चालन और सूक्ष्म पहुंच और अवतरण जैसे उड़ान के अधिक नाजुक दौर के लिए एक उपग्रह आधारित विस्तार प्रणाली के कार्यान्वयन में अंतर्ग्रस्तता होगी;

(3) समुद्र के ऊपर से होकर हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए अपनी स्थिति की रिपोर्ट रेडियो टेलीफोनो के माध्यम से दिये जाने वाली वर्तमान प्रणाली के स्थान पर समुद्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए विमान की अनुकूल निगरानी सुविधा के लिए स्वचालित विश्वसनीय निगरानी आरंभ करना; और

(4) विमान यातायात प्रबंधन पद्धति आरंभ करना।

(ग) और (घ) जी, हां। उपग्रह आधारित सी.एन.एस./ए.टी.एम. प्रणाली आरंभ करने से होने वाली बड़े प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक लाभों को नीचे बताया गया है:-

(1) डाटा संचार से ए.टी.सी. और विमानचालक के बीच ध्वनि संचार से गलत समझ/गलत अर्थनिर्वचन की संभावना को दूर किया जा सकता है चूंकि इससे कठिन स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(2) डाटा संचार, ध्वनि संचार की तुलना में अधिक तीव्र होता जा रहा है जिससे व्यस्त टर्मिनल क्षेत्र में संचार चेनल व्यस्तता दूर होती है जिससे हवाई संरक्षा भी बढ़ती है।

(3) उपग्रह दिक्चालन सुविधा से आरंभिक और गंतव्य स्थानों के बीच सुविधा रहती है और इस प्रकार उड़ान समय में कमी आती है जिससे ईंधन की बचत होती है।

(4) उपग्रह दिक्चालन से हवाई क्षेत्र क्षमता में वृद्धि होती है और इससे वर्तमान प्रणाली में विद्यमान चोक प्वाइंटों को दूर करने में सहायता मिलती है।

(5) विमान संरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी प्रकार के हवाई क्षेत्र में बेहतर निगरानी।

(6) विमान और ए.टी.सी. केन्द्रों दोनों में स्वचालन का स्तर उठाना जिसमें डाटा संचार, ए.डी.एस. और नयी प्रणाली के अन्य यंत्रों का उपयोग करने से ए.टी.सी. और विमान चालक के कार्य भार में कमी आएगी और इस प्रकार हवाई संरक्षा में सुधार होगा।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ चलाने वालों के लिए कृतिक बल

*417. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) ने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ चलाने वालों की परेशानियां कम करने के लिए कोई कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) एस.टी.डी. पे-फोन ऑपरेटरों के सामने आई चुनौतियों, बी.एस.एन.एल. के रियायती टैरिफ के प्रभाव, औचित्य होने पर कमीशन में परिवर्तन, और लेवल-95 कॉलों के पी.सी.ओ. ऑपरेटरों के लिए सेवा प्रभार संबंधी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा एक कार्यदल (टास्क फोर्स) गठित किया गया था। इस कार्यदल (टास्क फोर्स) ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इस कार्यदल (टास्क फोर्स) की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। पी.सी.ओ. ऑपरेटरों और उनकी एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगों सहित इन सिफारिशों पर विचार किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. पी.सी.ओ. फ्रेंचाइजियों के कमीशन को 16.6% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 100 कि.मी. के बाद इंट्रासर्किल कॉलों पर क्रमशः 1 रुपया और 2 रुपया सेवा प्रभार लेने की अनुमति दी जाए।

विवरण

कार्यदल (टास्क फोर्स) की प्रमुख सिफारिशें

(1) जिन सर्किलों में सेल्यूलर और बुनियादी सेवाओं से प्रतिस्पर्धा है वहां 20 पैसे और 30 पैसे की रेंज में कमीशन निर्धारित करने की छूट केवल उन अवस्थितियों/स्थानों पर लागू होगी जहां दोनों सेवाएं चालू हैं। जिन अवस्थितियों/स्थानों में सेल्यूलर सेवाएं चालू हैं उनके लिए कमीशन निर्धारित करने में छूट 20 पैसे और 25 पैसे के बीच रहेगी।

(2) छह रुपए के बिल (सेवा-कर को छोड़कर) तक 1 रुपए की दर पर "95" कोड से डॉयल की गई कॉलों के लिए 1 रुपए के सेवा प्रभार और 6 रुपए के बिल से अधिक पर 2 रुपए के सेवा प्रभार की अनुमति दी जा सकती है। कलकत्ता और चेन्नई को छोड़कर सर्किलों में "95" कॉलों के समान के लेवल-"98" कॉलों पर भी 1 रुपए के सेवा-प्रभार की अनुमति दी जा सकती है।

(3) जिन क्षेत्रों में बुनियादी अथवा सेल्यूलर सेवाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं है वहां कमीशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ाए गए कमीशन को उन ग्रामीण एस.टी.डी./पी.सी.ओ. पर लागू करने की जरूरत नहीं है जहां पहले ही 25 प्रतिशत कमीशन दिया जा रहा है।

(4) पी.सी.ओ. ऑपरेटरों को बेहतर ढंग से सेवाओं का विपणन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक और उनके राजस्व में वृद्धि हो सके।

(5) मौजूदा पी.सी.ओ. ऑपरेटरों को, सामान्य लाइनों पर कार्यरत पी.सी.ओ. के लिए लागू रियायती किरायों तथा कमीशन पर आई.एस.डी.एन. लाइनों की अनुमति दी जा सकती है। उक्त आपरेटरों को, उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमतों पर, आई.एस.डी.एन. लाइन पर विभिन्न मूल्य-वर्धित सेवाएं चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

(6) फ्रेंचाइजियों को कमीशन आधार पर वी.सी.सी. कार्डों, सिम कार्डों को बेचने तथा बी.एस.एन.एल. की अन्य सेवाओं के विपणन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे समुचित शर्तों के अधीन चेक से बिल एकत्र करने के लिए एजेंट भी बन सकते हैं।

(7) बेहतर स्पष्टता के लिए एस.टी.डी. पी.सी.ओ. सेवाओं को ब्रांड नाम दिया जाए और सभी फ्रेंचाइजियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे, अपने डिस्प्ले बोर्डों पर ब्रांड नाम का इस्तेमान करें।

(8) एस.टी.डी. पी.सी.ओ. ऑपरेटरों के संबंध में ऐसी कैश कार्ड/प्री-पेड कार्ड सेवाओं को शुरू करने पर विचार किया जा सकता है जिनका इस्तेमाल बाजार में उपलब्ध तथा अन्य बुनियादी सेवा ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विशेष रूप से डिजाइन किए गए पे-फोनों के साथ किया जा सकता है।

हिमालय को हरा-भरा बनाने की परियोजना

***418. श्री खारबेल स्वाइं:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई हिमालय को हरा-भरा बनाने की परियोजना के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में भी ऐसी और परियोजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों को किस प्रकार शामिल किया जा रहा है; और

(घ) इस परियोजना के लिए अभी तक निधियों की कितनी किस्तें जारी की गई हैं/किस्तों की संख्या कितनी है और इस परियोजनार्थ कुल कितना आबंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा "ग्रीनिंग ऑफ हिमालय" नामक शीर्षक से कोई भी परियोजना पिछले 2 वर्षों में शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास

***419. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार विकास में इस योजना से किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) भारत संचार निगम लि. व महानगर टेलीफोन निगम लि. ने, दूरसंचार अवसंरचना के विकास हेतु 2001-2002 के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की योजना बनाई है:-

(1) डी.ई.एल. (सीधी एक्सचेंज लाइनें) 72.30 (लाख)

(2) पारेषण

आप्टिकल फाइबर केबल	1,26,000 (रूट कि.मी.)
माइक्रोवेव	7,500 (रूट कि.मी.)
जोड़	1,33,500 (रूट कि.मी.)

(3) वी.पी.टी. (ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन) 1,44,000

नई दूरसंचार नीति '99 में यथा परिकल्पित, सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों ही, दूरसंचार अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, दूरसंचार-अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति के लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

कामगारों का कल्याण

***420. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 और चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2001 तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना-वार इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, असंगठित क्षेत्र में इससे कितने कामगार लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आर.ई. एण्ड सी.एस.) अधिनियम, 1979, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जैसे मौजूदा अनेक श्रम कानून असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों पर लागू हैं। ये अधिनियम मजदूरी कार्यघंटे सामाजिक सुरक्षा आदि के रूप में कर्मकारों के हितों को ध्यान रखते हैं।

सरकार ने मौजूदा कल्याण निधियों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, अर्थात् (1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (2) सिने कर्मकार कल्याण निधि (3) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि (4) चूना पत्थर और

डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, और (5) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि, जिनका उद्देश्य इन क्षेत्रों में कर्मकारों के लिए समूह बीमा, चिकित्सा देख-रेख, शिक्षा और आवास सुविधाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय मुहैया कराना है।

सरकार देश में ग्रामीण असंगठित कर्मकारों के कल्याण और उनकी दशाओं में सुधार के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.), रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), आदि जैसी अनेक योजना स्कीमें भी चला रही हैं।

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए आबंटित राशियों और उनसे लाभान्वित व्यक्तियों के बारे में सूचना संलग्न विवरण I, II, III में दी गई है।

विवरण-I

कल्याण निधियों के अंतर्गत कल्याण कार्यकलापों की क्षेत्र-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(वास्तविक : लाभार्थियों की संख्या)
(वित्तीय : आंकड़े हजारों में हैं)

1998-99

	आवास		शिक्षा		स्वास्थ्य	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
	1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद क्षेत्र (उ.प्र., दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल)	38	154	3965	1095	308279	3762
बंगलौर क्षेत्र (कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप)	1149	3449	68238	21310	980631	3520
भीलवाड़ा क्षेत्र (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा)	214	2290	20245	5168	499826	3047
भुवनेश्वर क्षेत्र (उड़ीसा)	1246	13871	27200	7052	654655	30935
कोलकाता क्षेत्र (प. बंगाल, असम, उत्तर पूर्व राज्य)	286	2296	31286	9142	1139147	7307
हैदराबाद क्षेत्र, (आं. प्र., तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार)	3817	13465	129438	41307	1130111	12101
जबलपुर क्षेत्र (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़)	2394	9648	32451	7035	1106741	6406
कर्मा (बिहार, झारखंड)	316	9480	3423	962	913000	23135
नागपुर क्षेत्र (महाराष्ट्र)	3642	3796	52841	17668	271110	3668
योग	13102	58449	369087	110739	7003509	93881

	1	2	3	4	5	6
			1999-2000			
इलाहाबाद क्षेत्र (उ.प्र., दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल)	124	498	8143	2235	357950	3635
बंगलौर क्षेत्र (कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप)	1022	4512	56288	17049	965618	20926
भीलवाड़ा क्षेत्र (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा)	64	522	17546	5517	516477	3268
भुवनेश्वर क्षेत्र (उड़ीसा)	3667	27568	38512	11357	678502	18884
कोलकाता क्षेत्र (प. बंगाल, असम, उत्तर पूर्व राज्य)	738	2938	39429	12260	1195612	9119
हैदराबाद क्षेत्र, (आं. प्र., तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार)	3091	16793	177599	59764	1273534	13078
जबलपुर क्षेत्र (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़)	109	3143	14452	3978	1065300	4417
कर्मा (बिहार, झारखंड)			2951	1063	972536	41209
नागपुर क्षेत्र (महाराष्ट्र)	39	198	59309	20178	291287	4312
योग	8854	56172	414229	133401	7316816	118848

वर्ष 2000-2001 (अनंतिम आंकड़े)

क्रियाकलाप	व्यय हजारों में
स्वास्थ्य	298653
शिक्षा	223065
आवास	1068876

विवरण-II

विभिन्न योजनाओं का वित्तीय आवंटन दर्शाने वाला विवरण (रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जे.आर.वाई./जे.जी.एस.वाई.		ई.ए.एस.		एस.जी.एस.वाई.	
		1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12426.03	11636.44	13718.00	8782.12	8292.73	7070.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	273.20	608.20	301.61	542.40	182.32	369.21

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	7098.69	15828.99	7836.76	14062.16	4737.45	9593.57
4.	बिहार	40706.24	21967.95	44938.57	15789.83	27166.08	16822.35
5.	गोवा	182.83	171.21	31.63	20.24	79.71	66.67
6.	गुजरात	4677.39	4380.17	5163.68	3305.76	3121.53	2661.53
7.	हरियाणा	2751.79	2576.93	3037.90	1944.83	1836.48	2165.83
8.	हिमाचल प्रदेश	1158.88	1085.24	1279.38	819.04	773.41	659.56
9.	जम्मू व कश्मीर	1434.28	1343.14	1583.40	1013.68	957.20	816.13
10.	कर्नाटक	9383.41	8787.17	10359.02	6631.73	6262.20	5339.37
11.	केरल	4210.31	3942.77	4648.06	2975.64	2809.83	2395.76
12.	मध्य प्रदेश	20632.92	12528.85	22778.18	9622.99	13769.77	8006.11
13.	महाराष्ट्र	18548.69	17370.06	20477.26	13109.33	12378.81	10554.64
14.	मणिपुर	475.89	1061.17	525.37	942.91	317.59	643.15
15.	मेघालय	533.17	1188.89	588.61	244.48	355.83	720.56
16.	मिजोरम	123.37	275.10	136.21	1056.91	82.33	166.75
17.	नागालैंड	365.73	815.53	403.75	724.40	234.09	494.27
18.	उड़ीसा	14212.81	13309.69	15690.57	10044.93	9485.20	8087.41
19.	पंजाब	1337.35	1252.37	1476.39	945.17	892.51	760.97
20.	राजस्थान	7125.13	6672.38	7865.94	5035.71	4755.12	4054.36
21.	सिक्किम	136.60	304.59	150.80	271.79	91.17	184.60
22.	तमिलनाडु	10987.33	10289.17	12129.70	7765.33	7332.59	6252.04
23.	त्रिपुरा	859.24	1915.98	948.60	9466.96	573.44	1161.23
24.	उत्तर प्रदेश	44797.57	39337.47	49455.30	29678.60	29896.51	24218.13
25.	पश्चिम बंगाल	15794.71	14791.07	17436.92	11162.69	10540.91	8987.55
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	93.87	84.64	54.73	35.04	59.78	50.00
27.	दादर और नागर हवेली	61.96	55.87	54.73	35.04	59.78	50.00
28.	दमन और दीव	30.02	27.07	1.82	1.17	59.78	50.00
29.	लक्षद्वीप	47.06	42.43	3.65	2.34	59.78	50.00
30.	पांडिचेरी	91.91	86.00	69.32	44.38	59.78	50.00

जे.आर.वाई. - जवाहर रोजगार योजना
जे.जी.एस.वाई. - जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
ई.ए.एस. - इम्पलोयमिन्ट एन्शोरेन्स स्कीम
एस.जी.एस.वाई. - स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

विवरण-III

9.3.2001 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं की वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना श्रम दिवस लाख में		रोजगार अश्वासन योजना श्रम दिवस लाख में		स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	
		1999-2000*	2000-2001	1999-2000*	2000-2001	1999-2000*	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	96.54	86.39	147.41	0.00	27103.00	14598.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.02	1.38	22.27	12.38	81.00	203.00
3.	असम	120.45	14.64	96.77	45.92	5502.00	920.00
4.	बिहार	367.74	119.74	311.05	74.20	34775.00	61968.00
5.	गोवा	1.26	1.63	1.05	0.22	479.00	7.00
6.	गुजरात	30.34	33.10	48.49	32.23	7141.00	17055.00
7.	हरियाणा	18.84	12.23	22.65	11.26	14618.00	12620.00
8.	हिमाचल प्रदेश	14.43	8.91	25.65	9.22	663.00	2912.00
9.	जम्मू और कश्मीर	9.74	4.37	26.27	13.99	5521.00	3726.00
10.	कर्नाटक	175.49	79.33	185.95	57.07	14815.00	2955.00
11.	केरल	37.17	11.38	42.94	19.86	24796.00	11952.00
12.	मध्य प्रदेश	265.27	163.75	288.90	101.52	21908.00	16446.00
13.	महाराष्ट्र	341.55	163.63	234.57	92.32	79097.00	32128.00
14.	मणिपुर	0.54	3.16	4.45	2.31	0.00	0.00
15.	मेघालय	2.76	0.00	7.67	0.00	741.00	0.00
16.	मिजोरम	2.23	1.23	4.95	4.25	0.00	2.00
17.	नागालैंड	5.30	8.60	18.54	7.31	0.00	107.00
18.	उड़ीसा	211.51	139.01	215.42	116.28	64720.00	37488.00
19.	पंजाब	6.62	7.16	16.81	10.46	869.00	7513.00
20.	राजस्थान	82.41	70.19	71.61	53.73	335447.00	26842.00
21.	सिक्किम	2.22	1.74	1.69	5.94	681.00	1117.00
22.	तमिलनाडु	170.27	101.48	166.79	59.82	18163.00	7513.00

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	12.47	3.05	17.91	7.55	2444.00	1188.00
24.	उत्तर प्रदेश	438.89	29.11	485.73	162.30	60647.00	53463.00
25.	पश्चिम बंगाल	68.76	74.79	99.37	78.15	64950.00	4646.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.21	0.14	0.23	0.24	56.00	0.00
27.	दादर और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.11	0.14	0.87	0.00	3.00	0.00
30.	पांडिचेरी	0.03	0.08	0.29	0.69	0.00	24.00

[अनुवाद]

उ.प्र. में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी

4173. **श्री जय प्रकाश:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ई.एस.आई. डिस्पेंसरी डॉक्टरों और अन्य परा-चिकित्सीय स्टाफ के अभाव में केवल एक कम्पाउंडर द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त ई.एस.आई. डिस्पेंसरी के पूरी तरह कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जगदीशपुर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेंसरी पूर्णतः कार्य कर रही है।

खान कर्मियों की रोगों से सुरक्षा

4174. **श्री एस.पी. लेपचा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे ऐसे खान कर्मियों की कुल संख्या कितनी है जो एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, बाइसाइनोसि, निमोकोनियोसिस जैसी व्यवसाय जनित और धूल से उत्पन्न होने वाली अन्य प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) इन खान कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक/निवारणात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक और निजी खनन कम्पनियों में से कुछ खानों में अधिसूचित व्यवसाय जनित बीमारियों के कुछ मामले सूचित किए गए हैं।

पिछले पाँच वर्षों में खान सुरक्षा महानिदेशालय में सूचित किए गए मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	कोयला कर्मकार निमोकोनियोसिस	सिलिकोसिस
1996	22	3
1997	7	2
1998	3	2
1999	3	1
2000	4	2

(ख) खान अधिनियम 1952 के तहत और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत व्यवसाय जनित रोगों से बचाव के उपाय किए गए है।

श्रमिकों की छंटनी

4175. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड के बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने हुट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली चित्रदुर्गा माइन्स के 500 श्रमिकों की छंटनी किए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) मैसर्स हुट्टी गोल्ड माइन्स लि. के प्रबंधन से चित्र दुर्गा गोल्ड यूनिट के बन्द करने की अनुमति प्रदान करने हेतु और 57 नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा मामले में कर्मकारों/श्रमिक संघों और प्रबंधन को उनके विचार प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के बाद इन आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया। जैसा कि विदित है कि प्रबंधन को अनुमति के लिए मंत्रालय में जाने से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निधियों की मंजूरी और इकाई को बन्द करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना था, अतः प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र समय से पूर्व माने गए और दोनों ही मामलों में अनुमति प्रदान नहीं की गई।

[हिन्दी]

स्विचिंग उपस्करों की खरीद

4176. श्री सत्यनारायण पासी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड देश के सी.-डी.ओ.टी. उत्पादकों से स्विचिंग उपस्करों की खरीद में कमी कर रहे हैं तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से स्विचिंग उपस्करों की खरीद अधिक कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी सी.-डी.ओ.टी. निर्माताओं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से की गई स्विचिंग उपस्करों की खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वेदशी सी.-डी.ओ.टी. निर्माताओं के उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका निर्यात बढ़ा कर उनकी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। स्वेदशी सी-डॉट विनिर्माताओं से प्रापण में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए प्रापण संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	सी-डॉट स्विचिंग उपस्कर का प्रापण (लाख लाइनें)	बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए भारत में उपस्कर बनाने वाली पंजीकृत कंपनी से स्विचिंग उपस्कर का प्रापण (लाख लाइनें)
1998-1999	24.225	11.61
1999-2000	41.77	10.76
2000-2001	46.44	19.90

(घ) सी-डॉट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 लाइनों से कम क्षमता की एक्सचेंजों को प्रापण सी-डॉट स्विचों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सी-डॉट द्वारा डिजाइन किए गए उपस्करों के संबंध में वही प्रोत्साहन दिए जाते हैं जो अन्य दूरसंचार उपस्करों के निर्यात के लिए दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

टेलीफोन कम्पनियां

4177. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए लाइसेंस जारी करते समय टेलीफोन कम्पनियों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीफोन ऑपरेटरों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराते समय अपने समझौते/शर्तों का पालन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंसयुक्त मौजूदा छः निजी कम्पनियां सीधी एक्सचेंज लाइनों की निर्धारित संख्या और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से बचनबद्ध हुई थी। इसके विपरीत, नए लाइसेंसों के लिए 25.1.2001 को घोषित दिशा-निर्देश कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) में प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (पी.ओ.पी.) की स्थापना करने के संदर्भ में निष्पादन दायित्वों का निर्धारण करते हैं। इन दिशा-निर्देशों के समक्ष अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निजी टेलीफोन कम्पनियों से बार-बार पिछले बकाया निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने, और अपने बचनबद्ध दायित्वों को निभाने का आग्रह किया जाता रहा है। उन्हें यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा उनके लाइसेंस करारों में बचनबद्ध निष्पादन दायित्वों में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

कृष्णा नदी पर सिंचाई परियोजनाएं

4178. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृष्णा नदी पर पांच सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य रोके जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देशों को लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) जी, नहीं। सिंचाई के राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कारण रोगों का फैलना

4179. **श्री तूफानी सरोज:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नजले के रोगियों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) प्रदूषण और साइनस मामलों की घटना के बीच परस्पर संबंध का पता लगाने के लिए कोई निर्णायक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है जिसमें प्रदूषण के निवारक एवं नियन्त्रक दोनों तरह के पहलुओं पर बल दिया गया है।
2. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम के अन्तर्गत मानीटरी केन्द्रों के एक नेटवर्क द्वारा परिवेशी वायु की गुणवत्ता की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है।

3. औद्योगिक इकाइयों के मामले में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

4. अत्यधिक प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों व थर्मल पावर संयंत्रों के उत्सर्जनों की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है और दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

5. सारे देश में अब सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध है। पेट्रोल/डीजल में सल्फर की मात्रा को भी कम किया गया है।

6. सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए सकल उत्सर्जन मानक और नए वाहनों की सभी तरह की श्रेणियों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक कड़े उत्सर्जन मानदंड भी अधिसूचित किए गए हैं।

कारखाना अधिनियम में संशोधन

4180. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

4181. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी पूरी नहीं की जा सकी है जिसके कारण इन परियोजनाओं में अत्यधिक समय लग रहा है और लागतें बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए समय/लागत को दर्शाते हुए ऐसी सभी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें से कितनी परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) जी, हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई 44 अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं।

(ग) इस समय 6 विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 5 यूरोपीय आर्थिक आयोग से सहायता प्राप्त परियोजनाएं तथा 10 बाह्य सहायता प्राप्त द्विपक्षीय परियोजनाएं हैं। इनमें से 4 परियोजनाओं के निर्माण में कार्यों को दिए जाने में प्रक्रियात्मक देरी, वन भूमि की स्वीकृति में देरी, भूमि अधिग्रहण में देरी तथा उपस्करों की खरीद में प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में विलम्ब हो रहा है।

विवरण

राज्य	वृहद परियोजनाओं की संख्या	बढ़ी हुई लागत (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	2	525.36
असम	3	329.87
बिहार	6	1018.54
झारखंड	1	91.65
गोवा	1	179.41
हरियाणा	2	747.05
कर्नाटक	2	321.75
केरल	1	406.92
मध्य प्रदेश	6	1317.33
छत्तीसगढ़	1	46.87
महाराष्ट्र	7	3314.11
उड़ीसा	2	2404.31
राजस्थान	1	2178.32
उत्तर प्रदेश	8	4879
पश्चिम बंगाल	1	1107.28
कुल	44	18867.77

बढ़ी हुई लागत - नवीनतम अनुमानित लागत-अनुमोदित लागत

बाल श्रम का उन्मूलन

4182. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
डा. एस. वेणुगोपाल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आई.एल.ओ. के सहयोग से इंग्लैंड के इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषित कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी, हाँ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सूचनानुसार, ब्रिटेन का अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग बाल श्रम उन्मूलन संबंधी एक परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है जिसका क्रियान्वयन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कर रहा है। दो वर्ष की इस परियोजना का लक्ष्य अनुकरणीय प्रयोगिक अंत:क्षेपों के विकास और कार्यान्वयन के जरिए कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाना है।

(ग) और (घ) यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयनाधीन राज्य-स्तरीय एकमात्र परियोजना है।

वन सम्पदा की सुरक्षा

4183. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून स्थित पुराने वन रेंजर कॉलेज के भवन और उसके परिसर पर स्थानीय प्रशासन ने उनके मंत्रालय की मंजूरी के बिना कब्जा कर लिया है जैसाकि दिनांक 9 नवम्बर, 2000 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में रिपोर्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वन सम्पदा और संरक्षित वनस्पतियों पर कब्जे और उनके विनाश को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) गृह मंत्रालय में 10.10.2000 को नवगठित उत्तरांचल राज्य को ओल्ड रेंजर्स, देहरादून को अस्थायी रूप से सौंपे जाने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। सुझाव यह था कि परस्पर सहमत शर्तों के तहत दो से तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त भवन को किराया आधार पर सौंपा जाए चूंकि यह परिसर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप फार आर्ट्स एंड कल्चरल हेरीटेज व वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून के संयुक्त कब्जे/उपयोग में था। यद्यपि प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचाराधीन था लेकिन देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने इस मंत्रालय के निदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही 2.11.2000 को ओल्ड रेंजर्स कॉलेज को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) देहरादून से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् वास्तविकता का पता लगाने वाले एक दल को भेजा गया था। दल की रिपोर्ट प्राप्त होने और जांच करने के पश्चात् मंत्रालय ने उत्तरांचल राज्य सरकार से भवन को खाली करने तथा परिसर को आई.सी.एफ.आर.ई. देहरादून को सौंपने का अनुरोध किया था। परिसर को अभी तक आई.सी.एफ.आई.ई. को नहीं सौंपा गया है।

टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

4184. श्री ए. नरेन्द्र: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक उत्तरांचल के रूद्रप्रयाग जिले में टेलीफोन कनैक्शन के लिए कितने लोग पंजीकृत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लोगों को कब तक कनैक्शन दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 11.4.2001 की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल के जिला रूद्रप्रयाग में 178 व्यक्तियों ने टेलीफोन कनैक्शन के लिए नाम दर्ज कराया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 1712 टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए गए थे।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बाल श्रम का उन्मूलन

4185. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई राशि का राज्यवार पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार कितनी सफलता हासिल हुई है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए अब तक सरकार को प्राप्त हुई राशि का ब्यौरा क्या है और इस राशि को राज्यवार किन कार्यकलापों पर खर्च किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन छः जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समितियों, श्रमिक संघों, नियोजक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आंध्र प्रदेश महिला को-आपरेटिव वित्त निगम लि. राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान आदि को भी आंध्र प्रदेश राज्य-आधारित परियोजना के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग) भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के वित्तपोषण और कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यकलाप और उनका वित्तपोषण

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 161 बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं। ये परियोजनाएं सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों और नियोजक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं।

प्रत्येक द्विवर्ष में परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:-

1. जर्मन सरकार द्वारा वित्त पोषित महत्वपूर्ण बजट

(अमेरिकी डॉलर में)

द्विवर्ष	परियोजनाओं की संख्या	बजट आवंटन	प्रतिबद्धता	संवितरित धनराशि
1992-93	57	2,251,148	1,537,124	1,408,858
1994-95	47	1,400,000	2,145,704	1,907,424
1996-97	18	500,000	551,378	449,093
1998-99	32	1,206,620	1,189,737	630,891
2000-2001	2	600,000	83,507	20,000
योग	156	5,957,768	5,507,450	4,416,256

2. चार जिलों में एकीकृत क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाएं

जयपुर, मिर्जापुर कोयम्बटूर (तिरूपुर), विरूधुनगर (शिवकासी), स्वीडन सरकार तथा जर्मन सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित

(अमेरिकी डॉलर में)

द्विवर्ष	परियोजनाओं की संख्या	बजट आवंटन	प्रतिबद्धता	संवितरित धनराशि
1998-99	4	1669792	417448	35000
2000-2001	-	-	1252344	307376
कुल	4	1669792	1669792	342376

3. अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के. सरकार द्वारा वित्तपोषित आंध्र प्रदेश राज्य आधारित परियोजना

(अमेरिकी डॉलर में)

द्विवर्ष	परियोजनाओं की संख्या	बजट आवंटन	प्रतिबद्धता	संवितरित धनराशि
1998-99	-	4551804	-	-
2000-2001	1	-	439327	388084
योग	1	4551804	439327	388084

प्रत्येक द्विवर्ष के दौरान कार्रवाई कार्यक्रम-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्रवाई कार्यक्रम का ब्यौरा

क. 1992-93 बजट

क्रमांक क्रमवार	क्रमांक विशिष्ट	गैर-सरकारी संगठन का नाम	लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या	संविदा राशि		अदा की गई कुल धनराशि अमेरिकी डॉलर में
				धनराशि अमेरिकी डॉलर में	धनराशि रुपयों में	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	बंधुआ मुक्ति समिति, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	200	23,800	685,440	22,514
2.	2.	सघन क्षेत्र विकास समिति, उत्तर प्रदेश	250	35,800	1,031,040	32,220
3.	3.	क्रेडा, उत्तर प्रदेश	500	89,600	2,580,480	85,120
4.	4.	कमजोर समुदाय समिति, उड़ीसा	250	34,500	993,600	32,623
5.	5.	बॉस्को सामाजिक कार्य संस्थान, तिरूप्पातूर, तमिलनाडु	100	5,700	164,160	5,700
6.	6.	वाई.डब्ल्यू.सी.ए. मदुरई, तमिलनाडु	100	13,500	388,800	13,500
7.	7.	ग्रामीण कल्याण केन्द्र, तिरूनेलवेल्ली, तमिलनाडु	260	13,900	400,320	13,900
[illegible]	8.	अरूणोदय अनाथ एवं श्रमजीवी बाल केन्द्र, मद्रास, तमिलनाडु	500	9,100	262,080	8,652
[illegible]	9.	आई.सी.सी.डब्ल्यू. तमिलनाडु	500	47,500	1,368,000	46,908
[illegible]	10.	एम.वी. फाउन्डेशन:2 (कटटेडन बिस्कुट फैक्ट्री), आन्ध्र प्रदेश	300	11,700	336,960	11,700
[illegible]	11.	सी.सी.एफ.सी.एल. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	210	32,600	938,880	15,160
[illegible]	12.	हरिजन सेवक संघ, बिहार	120	13,600	391,680	13,149
[illegible]	13.	बिहार खेत परिषद, बिहार	120	13,600	391,680	13,600

1	2	3	4	5	6	7
14.	14.	कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, कर्नाटक	120	27,00	777,600	25,570
15.	15.	पीस ट्रस्ट, डिन्डुगल, तमिलनाडु	200	13,600	391,680	12,321
16.	16.	बी.सी.टी. येल्लामनचाली, आंध्र प्रदेश	400	81,000	2,332,800	78,949
17.	17.	चेयुथा, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	800	13,900	400,320	8,647
18.	18.	एम.वी. फाउन्डेशन:1 (खेतिहर श्रमिक), आंध्र प्रदेश	600	28,900	832,320	28,003
19.	19.	रूचिका, उड़ीसा	250	25,300	728,640	25,300
20.	20.	फोकस, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	300	18,100	521,280	16,125
21.	21.	आई.पी.ई.आर. कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	250	16,700	480,960	16,700
22.	22.	विवेकानन्द एजूकेशनल सोसाइटी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	50	5,700	164,160	5,700
23.	23.	चाइल्ड एन नीड इन्स्टीटयूट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1,000	69,900	2,013,120	56,128
24.	24.	एन.सी.आर.डी. नागपुर, महाराष्ट्र	1,000	37,200	1,071,350	35,340
25.	25.	स्नेहनिकेत, महाराष्ट्र	250	9,800	282,240	8,757
26.	26.	अमृत बाल श्रम न्यास, अहमदाबाद, गुजरात	600	6,700	192,950	6,700
27.	27.	कथा, दिल्ली	450	28,200	812,160	28,115
28.	28.	जनजागृति एजूकेशनल सोसाइटी, दिल्ली	7000	80,00	230,400	8,000
29.	29.	डॉन बास्को अंबु इल्लम, मद्रास, तमिलनाडु	100	13,500	388,800	12,959
30.	30.	इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, मध्य प्रदेश	500	14,700	424,360	11,792
31.	31.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा:1 (प्रवर्तन अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण)	उ.न.	153,012	4,06,746	145,759
32.	32.	गरीब नवाज महिला एवं बाल कल्याण समिति, राजस्थान	250	12,400	357,120	12,400
33.	33.	अलारिप्पू, दिल्ली	800	30,500	878,400	29,729
34.	34.	भारत बाल शिक्षा समिति, टांक, राजस्थान	250	34,700	999,360	34,700
35.	35.	सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल सोसाइटी, राजस्थान	250	13,800	397,440	13,800
36.	36.	सेन्टर फॉर रूरल एजु. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट एसो., तमिलनाडु	250	4,250	122,400	4,250
37.	37.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा:2 (श्रमिक संघों हेतु आइपेक सम्बन्धी कार्यशाला	उ.न.	11,875	374,063	11,875
38.	38.	आई पी ए आर, जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम	525	61,245	1,929,218	59,737
39.	39.	कलकत्ता सोशल प्रोजेक्ट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	260	2,200	769,300	2,200
40.	40.	मदुरई औपचारिक शिक्षा केन्द्र, तमिलनाडु	100	8,817	277,736	8,817

1	2	3	4	5	6	7
41.	41.	एस ए आई डी एस, आंध्र प्रदेश	1,500	26,533	835,790	26,388
42.	42.	युवा, मुम्बई	उ.न.	54,885	1,728,878	50,568
43.	43.	जिला बाग कल्याण परिषद, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	240	20,730	752,995	20,730
44.	44.	इल्लाइगनार नारपानी मानराम, तमिलनाडु	400	13,836	435,834	13,836
45.	45.	मणिपुर, ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, इम्फाल	500	33,750	1,063,125	14,400
46.	46.	सीड्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	440	29,023	914,225	28,911
47.	47.	चामतगारा आदिवासी महिला समाजम, बांकुरा, पश्चिम बंगाल	435	13,386	421,659	13,386
48.	48.	गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	उ.न.	67,131	1,926,650	62,177
49.	49.	अनुरान, दिल्ली	900	13,436	419,203	8,039
50.	50.	सिनी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-2 (जागरूकता सृजन)	उ.न.	22,976	716,851	21,827
51.	51.	प्राणतिक जन विकास समिति, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल (5.278)	10,000	66,578	2,077,234	50,316
52.	52.	एन आई सी एच, भुवनेश्वर, उड़ीसा	300	19,414	605,717	17,319
53.	53.	आई आर डी एस, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	800	19,00	592,800	17,297
54.	54.	वी ई एस, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-2 (विस्तार प्रस्ताव)	500	17,647	550,586	17,647
55.	55.	सिनी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-3 (आईपेक प्रतिभागी संगठनों हेतु कार्यशाला)	उ.न.	8,400	262,080	8,400
56.	56.	आई सी सी डब्ल्यू, तमिलनाडु-2 (आईपेक प्रतिभागी संगठनों हेतु कार्यशाला)	उ.न.	7,200	224,640	7,200
57.	57.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, महाराष्ट्र-1 (आईपेक प्रतिभागी संगठनों हेतु कार्यशाला)	उ.न.	7,300	227,760	7,300
57	57	योग	29,580	1,537,124	45,445,089	1,408,858

1ख. आइपैक के तहत कार्यान्वित कार्योन्मुखी कार्यक्रमों का विवरण

ख. 1994-95 बजट

क्र.सं. (पूर्व पृष्ठ से जारी)	क्र.सं. (विनिर्दिष्ट)	गैर-सरकारी संगठन का नाम	लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या	करार राशि		दी गई कुल राशि अमेरिकी डॉलर में
				राशि अमेरिकी डॉलर में	राशि रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7
58.	1.	इंटक, नई दिल्ली (जागरूकता सृजन तथा बाल श्रम प्रकोष्ठ) (1.128)	उ.न.	81,700	2,549,040	71,990

1	2	3	4	5	6	7
59.	2.	परियोजना माला, उ.प्र. (नियोक्ताओं की पहल)	289	19,075	594,828	19,065
60.	3.	बी.एम.एस.-टी.के.एस. बीड़ी उद्योग, पुणे, महाराष्ट्र में बाल श्रमिक (3.127)	1,000	55,957	1,745,827	53,158
61.	4.	चरण 2- आई पी ई और कलकत्ता, प. बंगाल (1) (130)	920	41,900	1,307,280	41,900
62.	5.	विश्व मंच 94-आई.सी.सी.डब्ल्यू, तमिलनाडु	उ.न.	1,975	61,620	1,975
63.	6.	चरण-2-कथा, दिल्ली	1,150	97,388	3,142,757	83,630
64.	7.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, बम्बई, महाराष्ट्र	उ.न.	40,020	1,248,624	40,020
65.	8.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, महाराष्ट्र (चालू प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में बाल श्रम अध्याय शामिल)	उ.न.	146,000	4,555,200	138,700
66.	9.	चरण-2 वी ई एस (1), कलकत्ता, प. बंगाल (5.129)	700	28,782	897,998	27,549
67.	10.	सी.ओ.आर.टी. बड़ौदरा, गुजरात	उ.न.	21,294	664,358	17,597
68.	11.	चरण-2- अरुणोदय सेन्टर फॉर स्ट्रीट एंट वर्किंग चिल्ड्रन, तमिलनाडु	1,000	29,743	927,982	19,820
69.	12.	चरण-2-एम वी एफ, आंध्र प्रदेश-1 (खेतिहर बाल श्रमिक) (4.160)	3,000	62,260	1,942,512	62,260
70.	13.	चरण-2-एम वी एफ, आंध्र प्रदेश-2 (कटेदान बिस्कुट कारखाना)	2,000	23,314	727,397	22,614
71.	14.	सीटू, दिल्ली	उ.न.	76,522	2,387,486	71,739
72.	15.	चरण-2, वी सी टी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश (4.155)	4,325	126,763	3,955,006	105,793
73.	16.	चरण-2- के एस.सी.सी.डब्ल्यू. बंगलौर, कर्नाटक (5.161)	2,400	59,362	1,852,094	39,362
74.	17.	चरण-2 डॉन बोस्को एनबोइलम, तमिलनाडु	300	11,731	366,007	10,000
75.	18.	अहमदाबाद महिला कार्य दल, अहमदाबाद, गुजरात (3.167)	250	9,077	283,202	9,077
76.	19.	शुभश्री औद्योगिक महिला एसोसिएशन, जामनगर, गुजरात	100	10,000	312,000	9,500
77.	20.	आई.पी.ई.आर.-2 जागरूकता सृजन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	उ.न.	7,211	224,983	7,211
78.	21.	पी.एच.डी.सी.सी.आई. दिल्ली। नियोक्ताओं के लिए बाल श्रम विषयक कार्यशाला	उ.न.	7,548	235,498	7,517
79.	22.	सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद राजस्थान तथा हरियाणा	1,900	98,234	3,0674,901	76,022
80.	23.	चरण-2 बोस्को समाज कार्य संस्थान, तिरूपत्तूर, तमिलनाडु	600	12,026	375,211	11,748
81.	24.	चरण-2 बी.एम.एस. मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश (3.154)	500	28,686	895,003	28,686
82.	25.	चरण-2 मदुरई एन.एफ.ई. केन्द्र, तमिलनाडु	1,200	34,000	1,060,800	31,943
83.	26.	चरण-2 सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान (3.175)	2,650	44,000	1,372,800	41,441
84.	27.	केयर ऑफ विहोब, आंध्र प्रदेश	125	11,840	369,408	11,840
85.	28.	चरण-2 रूचिका समाज कार्य विद्यालय, उड़ीसा (5.173)	1,400	124,594	3,887,333	99,481

1	2	3	4	5	6	7
86.	29.	चरण-2-वी.सी.एस.एस. टोंक, राजस्थान	2,000	62,640	1,954,368	59,508
87.	30.	चरण-2, गरीब नवाज महिला एवं बाल कल्याण समिति राजस्थान (3.178)	500	21,800	680,160	21,800
88.	31.	चरण-2 सी.ए.एम.एस. बांकुरा, प. बंगाल	1,700	109,859	3,427,601	109,516
89.	32.	चरण-2-सेंट्रेडा कोडई रोड, तमिलनाडु	350	14,279	445,505	13,756
90.	33.	चरण-2- राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा। प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	उ.न.	69,724	2,175,389	61,798
91.	34.	चरण-2 सी.आई.एन.आई. कलकत्ता, प. बंगाल 6.163	3,000	1,22,527	3,822,842	122,527
92.	35.	चरण-2 सी.आर.ई.डी.ए. उत्तर प्रदेश (3.182)	11,000	97,338	3,036,946	81,695
93.	36.	चरण-2 एस.ई.ई.डी.एस., आंध्र प्रदेश (4.183)	740	18,600	580,320	18,600
94.	37.	चरण-2 एस.ए.आई.डी.एस. आंध्र प्रदेश (4.186)	1,500	35,600	1,110,720	35,600
95.	38.	चरण-2 कलकत्ता सामाजिक परियोजना, कलकत्ता, प. बंगाल (5.177)	500	25,721	802,495	23,290
96.	39.	चरण-2- आई.पी.ए.आर.डब्ल्यू. प. बगाल, त्रिपुरा (4.184)	3,500	64,850	2,023,320	51,986
97.	40.	चरण-2 एच.एस.एस., बिहार	1,100	22,775	710,580	20,550
98.	41.	चरण-2, आई.सी.सी.डब्ल्यू., तमिलनाडु	1,000	36,627	1,142,762	28,378
99.	42.	समाज प्रगति सहयोग, मध्य प्रदेश	25	13,341	417,250	12,024
100.	43.	एन.आई.आर.डी., आंध्र प्रदेश-श्रमिक संघों के लिए कार्यशालाएं	उ.न.	15,641	487,999	15,641
101.	44.	चरण-2- आई.एस.एस.डब्ल्यू, इंदौर, मध्य प्रदेश (5.190)	1,500	19,779	617,100	6,000
102.	45.	राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन, आंध्र प्रदेश	300	23,704	739,559	21,896
103.	46.	भारतीय ग्रामीण श्रमिक संस्थान औरंगाबाद, महाराष्ट्र	500	27,243	849,982	8,173
104.	47.	चरण-2 आई.आर.डी.एस. आंध्र प्रदेश	1,000	33,666	1,050,379	33,047
		कुल	56,024	2,145,704	67,081,431	1,907,424
		1क और 1ख का महायोग	85,604	3,682,828	112,526,520	3,316,282

उ.न. - उपलब्ध नहीं।

1ग. आईपैक के कार्यान्वित कार्योन्मुखी कार्यक्रमों का विवरण

ग. 1997-98 बजट

[illegible] संख्या ([illegible]पृष्ठ से [illegible])	क्रम संख्या (विनिर्दिष्ट	गैर-सरकारी संगठन का नाम	लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या	करार राशि		अब तक दी गई कुल राशि
				राशि अमेरिकी डालर में	राशि रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7
105.	1.	एल.डी.के: केरल के तीन नगरों में बाल श्रम सर्वेक्षण (09.09.153)	उ.न.	13,402	465,049	12,993
106.	2.	एटक (09.09.154)	उ.न.	74,904	2,599,169	57,722
107.	3.	ए.आई.ओ.ई. ऑन बिहाफ ऑफ सी.आई.ई. (09.09.155)	उ.न.	62,824	2,180,000	53,755

1	2	3	4	5	6	7
108.	4.	एम.सी.एम.: भोपाल में बाल श्रम सर्वेक्षण	उ.न.	20,173	700,003	19,164
109.	5.	चर-2- ए.सी.एल.डब्ल्यू.टी., अहमदाबाद	400	12,700	428,400	10,000
110.	6.	नया प्रयास	400	49,294	1,675,996	31,566
111.	7.	आंध्र प्रदेश निर्माण मजदूर संघ	1,000	52,465	1,783,810	41,795
112.	8.	आर.के.एम.एस. कलकत्ता	600	28,053	976,244	28,053
113.	9.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान: विधिक अध्ययन प्रकोष्ठ	उ.न.	33,075	1,151,010	31,421
114.	10.	जिला कोलम: टोटल प्राइमरी एनरॉलमेंट ड्राइव	2,000	42,205	1,435,000	25,262
115.	11.	गोवा प्रबंधन संस्थान: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना—आईपैक कार्यशालाएं	उ.न.	25,537	888,688	24,260
116.	12.	जिज्ञासु जनजातीय अनुसंधान केन्द्र: रेगपिकर्स परियोजना (नई दिल्ली)	100	12,607	438,724	11,977
117.	13.	जिज्ञासु जनजातीय अनुसंधान केन्द्र: खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिक	100	29,127	1,013,585	26,131
118.	14.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान: बाल श्रम प्रकोष्ठ	उ.न.	35,517	1,235,992	31,910
119.	15.	बी.एल.एफ.: मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर	उ.न.	20,240	718,520	19,228
120.	16.	समाज प्रगति सहयोग: एक्सटेंशन	25	8,736	310,128	8,538
		अधिनियम/ई.एम.पी. बजट				
121.	17.	फिक्की: एस.जी.आई. सर्वे, जालंधर	उ.न.	16,620	600,000	15,320
122.	18.	फिक्की: एस.जी.आई. सर्वे, मेरठ	उ.न.	14,000	505,400	—
		कुल	4,625	551,378	19,105,717	449,093

टिप्पणी: क्रम संख्या 121 और 122 विदेशी सहयोग करार के रूप में हैं।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

घ. आईपेक के तहत कार्योन्मुखी कार्यक्रमों का विवरण

घ. 1998-99 बजट

क्रम संख्या (पूर्वपृष्ठ से जारी)	क्रम संख्या (विनिर्दिष्ट	गैर-सरकारी संगठन का नाम	लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या	करार राशि		अब तक दी गई कुल राशि
				राशि अमेरिकी डालर में	राशि रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7
123.	1.	बंधुआ मुक्ति मोर्चा	45	16,500	631,950	14,850
124.	2.	राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन	300	19,061	751,750	17,694
125.	3.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (अनुवीक्षण)	0	29,801	1,260,000	8,833

1	2	3	4	5	6	7
126.	4.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (कंसोलिडेटिंग)	0	27,779	1,095,000	24,999
127.	5.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (पी. यू.)	0	17,700	702,000	19,636
128.	6.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (पी.आर.)	0	19,034	750,700	11,393
129.	7.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (न्यायिक अधिकारी)	0	9,229	364,000	8,306
130.	8.	एस.एल.आई. में बाल श्रम प्रकोष्ठ	0	17,799	702,000	16,002
131.	9.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (गृह आधारित)	0	57,323	2,060,750	37,203
132.	10.	आई.आई.पी.ए. में पी.डी. का प्रशिक्षण	0	12,863	507,300	10,479
133.	11.	एन.के.सी.सी.डी.एस. में पी.डी. का प्रशिक्षण	0	12,863	507,300	10,610
134.	12.	आई.आई.एम. में पी.डी. का प्रशिक्षण	0	12,863	507,300	0
135.	13.	टी.यू. के साथ राष्ट्रीय परामर्श	0	11,578	455,000	10,094
136.	14.	हिन्द मजदूर सभा	400	69,962	2,958,000	20,000
137.	15.	इंटक	0	55,700	2,355,000	20,000
138.	16.	एटक	525	75,010	3,243,420	43,258
139.	17.	ए.पी.सी.एम.एस.	0	15,000	532,500	15,000
140.	18.	रूचिका स्कूल समाज सेवा विंग	700	24,994	887,300	24,994
141.	19.	सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद	950	22,212	788,500	22,212
142.	20.	एम.वी. फाउंडेशन	1,500	23,350	828,925	23,350
143.	21.	जे.आर.टी.सी., दिल्ली	50	4,907	174,200	4,907
144.	22.	जे.आर.टी.सी., मध्य प्रदेश	500	14,977	531,700	14,977
145.	23.	नया प्रयास	200	20,000	710,000	20,000
146.	24.	रामकृष्णा मिशन	300	20,000	710,000	19,975
147.	25.	सी.आई.एन.आई. - आशा	1,050	30,000	1,065,000	28,500
148.	26.	के.एस.सी.सी.डब्ल्यू.	1,200	20,000	710,000	20,000
149.	27.	ठेकेदार कामगार संघ	500	12,994	461,300	2,479
150.	28.	भारत बाल शिक्षा समिति	1,000	9,904	351,600	9,904
151.	29.	भगवातुला चेरिटेबल ट्रस्ट	0	29,000	1,029,500	0
152.	30.	मानव विकास संस्थान (एस.एल. के बाल श्रमिकों पर क्षेत्र अनुसंधान का प्रभाव)*	0	18,007	759,000	18,007

1	2	3	4	5	6	7
153.	31.	इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लान्टेशन एग्रीकल्चरल एंड रूरल वर्कर्स	0	20,000	710,000	0
154.	32.	फिरोजाबाद में क्षेत्र-विशिष्ट आधारित समेकित दृष्टिकोण	7,200	439,327	18,526,49	133,229
		कुल	16,420	1,189,737	47,627,424	630,891

*एक्स-कॉल करार के रूप में कार्यान्वित

		ड. 1998-99 बजट समेकित क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाएं				
155.	1.	आई.ए.एस.पी., जयपुर	7200	41,74,48	17599625	35,000
		च. 2000-2001 समेकित क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाएं				
156.	1.	आई.ए.एस.पी, कोयम्बटूर	7200	41,74,48	17599625	122859.1
157.	2.	आई.ए.एस.पी., मिर्जापुर	7200	41,74,48	17599625	35000
158.	3.	आई.ए.एस.पी., विरुद्धनगर	7200	41,74,48	17599625	149517
		कुल आई.ए.एस.पी. 2000-2001	21600	1252344	52798875	307376.1
		छ. 1998-99 आंध्र प्रदेश राज्य आधारित परियोजना				
159.	1.	आंध्र प्रदेश राज्य आधारित परियोजना, प्रकाशम	7200	439327	-	388084
		ज. 2000-2001 कोर बजट के तहत ए.पी.				
160.	1.	सहारा, बरहामपुर	1100	76710	3325400	23523
161.	2.	अन्ना प्रबंधन संस्थान, चे	0	6797	308600	0
		कुल 2000-2001	1100	83507	3634000	23523

[अनुवाद]

गुवाहाटी हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

4186. श्री बी.वी.एन. रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अपग्रेड कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हवाई अड्डे से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) गुवाहाटी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया गया है। एक ही समय में 1400 यात्रियों को हैंडिल करने के लिए टर्मिनल भवन का संवर्धन किया गया है और रन-वे का कोटि-उन्नयन किया गया है और ए-300 विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। इस हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करने के लिए किसी भी एयरलाइन ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

ए-320 विमानों को बेड़े में शामिल किया जाना

4187. श्री अनन्त नायक: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास इस समय कितने ए-320 विमान हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा ए-320 विमानों की संख्या में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई एयर बसों के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में 30 ए-320 विमान हैं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस दो ए-320 विमानों को ड्राइलीज पर लेने की प्रक्रिया में है। इन विमानों की डिलिवरी शीघ्र ही मिलने की संभावना है।

(घ) और (ङ) इस समय अपने विमान-बेड़े की क्षमता बढ़ाने तथा मौजूदा पुराने विमान-बेड़े को बदलने के लिए इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-7

4188. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर भारी यातायात के मद्देनजर इस पूरे राजमार्ग का निर्माण चार लेनों में किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के सम्पूर्ण खंड को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर किए जाने की योजना है। इस परियोजना को दिसम्बर, 2007 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

छोटे हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

4189. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में छोटे हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो इस कार्य के लिए अब तक आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में इस कार्य योजना के अधीन आधुनिक बनाए जाने वाले छोटे हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) मांग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छोटे हवाई अड्डों सहित सभी हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर आधुनिकीकरण कार्य करने के लिए 527.34 करोड़ रुपए की योजना है। महाराष्ट्र स्थित छोटे हवाई अड्डों के संबंध में आधुनिकीकरण की विभिन्न परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) नागपुर हवाई अड्डे पर 5 लाख रुपए की आवंटित योजना से तकनीकी खंड सहित नियंत्रण टावर के निर्माण हेतु कार्य-स्थल का सर्वेक्षण किया जा रहा है। 47 लाख रुपए की लागत से ऐप्रन के विस्तार, टैक्सी पथ के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का कार्य जारी है। इसके फलस्वरूप, बेहतर विमान यातायात प्रबंधन तथा विमान पार्किंग क्षमता में वृद्धि होगी।

(2) वर्ष 2000-2001 के दौरान, पुणे में सिविल एन्क्लेव में ऐप्रन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है और भारतीय वायु सेना से 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने के लिए अनुरोध किया गया है। इससे ऐप्रन पार्किंग क्षमता में वृद्धि होगी।

(3) औरंगाबाद हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के कोटि-उन्नयन का कार्य जारी है। चरण-2 की परियोजनाएं अर्थात् रनवे, ऐप्रन का विस्तार, नये टर्मिनल भवन तथा कार-पार्किंग क्षेत्र के निर्माण का कार्य ओवरसीज इक्नोमिक को-ऑपरेशन फंड जापान की स्वीकृति मिलने के पश्चात् 67.11 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वर्ष 2000-2001 के दौरान 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से एबी-300 दर्जे के विमानों का प्रचालन हो सकता है और टर्मिनल भवन से एक बार में 500 यात्रियों तक को समाविष्ट किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

4190. श्री दिलीप संघाणी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के रिहायशी इलाकों में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/औद्योगिक इकाइयों/कार्यशालाओं के कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण किए गए स्थानों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन न किए जाने के कारण विशेषकर दक्षिणी दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है;

(घ) यदि हां, तो रिहायशी इलाकों से इन इकाइयों/कार्यशालाओं को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दक्षिणी दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में मॉनीटर किए गए परिवेशी वायु गुणता आंकड़ा से यह पता चलता है कि सल्फर डाई ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्तर निर्धारित मानकों के भीतर ही हैं परन्तु निलंबित विविक्त पदार्थों के स्तर निर्धारित मानकों से अधिक हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाली/आवासीय क्षेत्रों अथवा मण्डलों (जोन्स) में कार्यरत सभी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं।

[अनुवाद]

भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग

4191. श्रीमती मिनाती सेन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरी बंगाल को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग का गठन करने के लिए भूटान सरकार के साथ वार्ता आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भूटान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) भूटान से निकल कर भारत में बहने वाली नदियों से आने वाली बाढ़ समस्या से संबंधित मामले पर भूटान की शाही सरकार से विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल और असम की राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव किया है। इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर भूटान की शाही सरकार के साथ उठाने के लिए एक प्रस्ताव विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

उ.प्र. में चीनियों द्वारा बाघों का शिकार

4192. श्री पदमसेन चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में बाघों की संख्या बहुत अधिक घट जाने के कारण अब चीनियों ने उत्तर प्रदेश में बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में बाघों का अवैध शिकार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में चीन सरकार से विरोध प्रकट किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उत्तर प्रदेश में बाघों के अवैध शिकार में चीनी लोग किसी प्रकार से शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाघों के शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

1. राज्य स्तर पर उठाए गए कदम:

(1) वन्यप्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

2. *राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम:*

(1) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश की प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(3) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(4) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(5) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(6) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(7) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

3. *अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम:*

(1) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(2) सीमापार से अवैध आवागमन को रोकने के लिए भारत द्वारा एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) इंडो-चीन प्रोटोकोल इन टाइगर कंजर्वेशन आर्टिकल आफ द प्रोटोकोल में अन्य बातों के साथ-साथ बाघों के अवैध शिकार, बाघों की हड्डियों और अन्य अंगों तथा व्युत्पन्नों की तस्करी और बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने का अनुबंध किया गया है।

(4) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलना

4193. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम रखने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर हवाई अड्डा तथा शहीद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के बारे में क्रमशः दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, सभी अंतर्देशीय हवाई अड्डों का नाम

सामान्यतया उन शहरों/कस्बों के नाम पर रखा जाता है जहां वे सेवाएं प्रचालित करते हैं। तथापि, इस मामले में संघ शासित प्रशासन के विचार लिये गये हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार सुविधाओं का विकास

4194. श्री राजो सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में दूरसंचार क्षेत्र में कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बिहार में दूरसंचार सुविधाओं के विकास में निवेश करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार फंड आबंटन शामिल नहीं है। फिर भी योजना आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए 46,442.04 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बिहार में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए कम्पनियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

1. *सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन*-सेवा: बिहार दूरसंचार-सर्किल में, मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा.) लिमिटेड (प्रभावी तारीख 12.12.1995) और मैसर्स कोशिका टेलीकॉम प्रा.लि. (प्रभावी तारीख 23.08.1996) को सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सी.एम.टी.एस.) के प्रचालन के लिए लाइसेंस दिए गए थे। भारत संचार निगम लिमिटेड को भी बिहार में सेल्यूलर सेवा उपलब्ध कराने के लिए 'सी.एम.टी.एस.' के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। सरकार ने दूरसंचार सर्किलों में चौथे सेल्यूलर ऑपरेशन को सी.एम.टी.एस. के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी निविदाएं निकाली हैं और क्षेत्र में शीघ्रता से वृद्धि करने और अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ रिक्तियां भरने का भी इसका विचार है।

2. *राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा:* राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रदाता-2 (आई.पी.-2) के लिए लाइसेंस और इन्फ्रा स्ट्रक्चर-1 (आई.पी.-1) के लिए पंजीकरण भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किए जाते हैं, सर्किलवार नहीं। तथापि, एक कम्पनी मैसर्स बिहार नेटवर्क लिमिटेड को आई.पी.-I के लिए पंजीकृत किया गया है।

3. *बुनियादी सेवा:* तीन कंपनियों अर्थात् मैसर्स एयरसैल डिजीलिंक इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने बिहार में सेवा क्षेत्र में बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन दिया है। मैसर्स रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

4. *रेडियो पेजिंग सेवा:* दो कम्पनियां, मैसर्स ईज़ी कॉल कम्यूनिकेशन्स एवं मैसर्स बेल्ट्रॉन टेलीकॉम पटना शहर में रेडियो पेजिंग सेवा उपलब्ध करा रही हैं।

5. *इन्टरनेट सेवा:* कोई भी इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंसधारी, जिसका सेवा-क्षेत्र ''आल इंडिया'' (श्रेणी ''क'') है अथवा 'बिहार दूरसंचार सर्किल'' (श्रेणी-ख) सेवा क्षेत्र वाला 'आई-एस.पी.' अथवा बिहार (श्रीणी-ग) का कोई सेकेन्डरी स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) बिहार में इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करा सकता है। अब तक बिहार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र वाले 83 श्रेणी ''क'' आई.एस.पी.- लाइसेंस 1 श्रेणी ''ख'' आई.एस.पी. लाइसेंस और पटना एस एस ए के रूप में सेवा क्षेत्र वाले 3 श्रेणी ''ग'' आई एस पी लाइसेंस हैं।

बी.एस.एन.एल. के अलावा, बिहार राज्य में निम्नलिखित इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं ने इन्टरनेट सेवा शुरू की है:-

(1) मैसर्स सत्यम् इन्फोवे लि. (श्रेणी ''क'' आई एस पी)

(2) मैसर्स अरुण गिरिजा कम्यूनिकेशन (पटना एस एस ए के लिए श्रेणी सी आई एस पी)

6. निम्नलिखित 10 वाणिज्यिक क्लोज्ड यूजर ग्रुप अति लघु अपर्चर टर्मिनल (वीसेट) लाइसेंस-धारियों में से कोई भी बिहार में वी-सेट सेवा उपलब्ध करा सकता है।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1	2
1.	मैसर्स एच ई सी एल
2.	मैसर्स आर पी जी एस सी एल
3.	मैसर्स कॉमसेट मैक्स

1	2
4.	मैसर्स भारतीय बी टी एल
5.	मैसर्स टेलीस्ट्रा वी सी एल
6.	मैसर्स एच एफ सी एल एस सी एल
7.	मैसर्स एच सी एल सी एस एस एल
8.	मैसर्स आई टी आई
9.	मैसर्स ई एस सी एल
10.	मैसर्स जी एन एफ सी लि.

[अनुवाद]

स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग योजना

4195. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम गलियारों से कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग योजना की ओर अधिक ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के बेलगांव-मुम्बई प्रखण्ड की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रखण्ड को पूरा करने का प्रस्तावित समय क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, हां। सरकार ने दिल्ली-मुम्बई-चेन्नै-कोलकाता-दिल्ली महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज को उच्च प्राथमिकता दी है।

(ख) बेलगांव-मुम्बई खंड में निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं:-

(1) बेलगांव बाइपास

(2) पश्चिम की ओर परिवर्तित मार्ग (पुणे बाइपास)

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सरकार अपने संसाधनों से मुम्बई-पुणे एक्सप्रैस मार्ग की परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

अन्य परियोजनाएं ठेका देने के विभिन्न स्तरों पर है।

(ग) इस खंड को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 2003 तक का समय निर्धारित किया गया है।

दूरसंचार के विकास के लिए योजना

4196. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, उसका विस्तार और उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, उसका विस्तार और उन्नयन करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां शामिल की जा रही हैं, जैसे "वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.)" और सी-डॉट डिजीटल प्वाइंट टु मल्टी प्वाइंट सिस्टम (टी.डी.एम.ए.-पी.एम.पी.)।

विवरण

9वीं पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	कुल गांव	1.4.97 तक वीपीटी युक्त गांव	9वीं योजना के लिए लक्ष्य	2001-2002 के लिए बी.एस.एन.एल. के लक्ष्य	निजी स्थिर सेवा प्रदाताओं के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	अण्डमान निकोबार	282	111	171	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	29460	21272	8188	0	6077

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	22224	7864	14360	7707	0
4.	बिहार	79208	15589	63619	52009	0
5.	गुजरात	18125	13923	4202	0	4202
6.	हरियाणा	6850	6510	340	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	16997	5075	11922	2631	0
8.	जम्मू-कश्मीर	6764	2053	4711	2742	0
9.	कर्नाटक	27066	17481	9585	10	0
10.	केरल	1530	1530	0	0	0
	मध्य प्रदेश	71526	35367	36159	4333	19168
12.	महाराष्ट्र	42467	26450	16017	0	10926
13.	पूर्वोत्तर-1	14446	3136	11310	9801	0
14.	उड़ीसा	46989	16173	30816	22024	0
15.	पंजाब	12687	12007	680	0	0
16.	राजस्थान	38634	17325	21309	0	14809
17.	तमिलनाडु	17991	17038	953	0	0
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	75698	23394	52304	14563	0
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	39551	13957	25594	12853	0
20.	पश्चिम बंगाल	38337	10985	27352	14535	0
21.	कलकत्ता	468	421	47	47	0
22.	दिल्ली	191	191	0	0	0
	जोड़	607491	267832	339659	143255	55182

वित्तीय लक्ष्य:

वर्ष	आबंटन
1997-98	282.00 करोड़
1998-99	202.17 करोड़
1999-2000	245.72 करोड़
2000-2001	634.00 करोड़
2001-2002	1290.00 करोड़

दूरसंचार केन्द्र

4197. श्री रामजी मांझी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया क्षेत्र के गुरारू और गुरवा दूरभाष केन्द्र में 16 चैनलों में से मात्र दो चैनल कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष चैनलों को कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। गुरारू और गुरवा के बीच एक 12 चैनल अनालौग यू.एच.एफ. प्रणाली कार्य कर रही है जिसमें 8 चैनल संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। गुरवा, शेरघाट से 30 चैनल डिजिटल यू.एच.एफ. प्रणाली से जुड़ा है, जो संतोषजनक कार्य कर रही है।

(ख) गुरारू में 4 चैनल खराब हो गए हैं और पुराने उपस्कर और अप्रयुक्त प्रौद्योगिकी के कारण इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है।

(ग) 2001-2002 के दौरान गुरारू में आप्टिकल फाइबर लिंक प्रदान करने की योजना है।

[हिन्दी]

विमान सेवाएं

4198. योगी आदित्यनाथ: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली-गोरखपुर तथा कोलकाता-गोरखपुर के मध्य विमान सेवाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में लाभार्जन कर रहे हवाई मार्गों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय से किसी भी मार्ग पर विमानों को प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु इन्हें मार्गों की विनिर्दिष्ट श्रेणी में कतिपय न्यूनतम प्रचालनों के लिए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। इस समय इंडियन एयरलाइन्स की नई दिल्ली-गोरखपुर और कोलकाता/गोरखपुर के बीच विमान सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) जिन मार्गों पर विमानों के प्रचालन से इंडियन एयरलाइन्स को मुनाफा हो रहा है, इनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। गैर-सरकारी एयरलाइनों को मार्गों पर होने वाले मुनाफा/घाटे की जानकारी नहीं रखी जाती है।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड

इंडियन एयरलाइंस और एलायंस एअर की उड़ानों से होने वाले नकद मुनाफा/घाटे की सूची
(अप्रैल से दिसम्बर, 2000 अनंतिम)

घरेलू

क्रम संख्या	सैक्टर	एस.वी.सी. संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली-मुम्बई-कोयम्बटूर-कालीकट	657-658
2.	मुम्बई-दिल्ली-पटना-रांची	809-810
3.	मुम्बई-चेन्नई-मदुरै	671-672
4.	दिल्ली-मुम्बई-औरंगाबाद	887-888
5.	वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली-मुम्बई	805-806
6.	मुम्बई-दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर	821-822
7.	मुम्बई-बंगलौर	109-110
8.	दिल्ली-गोवा	867-868
9.	दिल्ली-मुम्बई-कोचीन	165-166
10.	दिल्ली-मुम्बई-कोचीन-त्रिवेन्द्रम	167-168
11.	मुम्बई-चेन्नई	173-174
12.	मुम्बई-गोवा	163-164
13.	मुम्बई-अहमदाबाद	613-614
14.	मुम्बई-कोलकाता	675-676
15.	दिल्ली-मुम्बई	865-866
16.	दिल्ली-पुणे	849-850
17.	हैदराबाद-मुम्बई	927-928
18.	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल	889-890

1	2	3
19.	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	879-880
20.	दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल्ली	817-818
21.	अहमदाबाद-बंगलौर	609-610
22.	दिल्ली-मुम्बई	863-864
23.	मुम्बई-बंगलौर	107-108
24.	कोलकाता-मुम्बई	273-274
25.	कोलकाता-दिल्ली	263-264
26.	चेन्नई-दिल्ली	539-540
27.	मुम्बई-हैदराबाद	617-618
28.	चेन्नई-मुम्बई	971-972
29.	कलकत्ता-अहमदाबाद-जयपुर-कलकत्ता	267-268
30.	कलकत्ता-भुवनेश्वर-विजाग-चेन्नई	543-544
31.	कलकत्ता-जयपुर-अहमदाबाद-कलकत्ता	269-270
32.	मुम्बई-रायपुर-भुवनेश्वर-मुम्बई	169-170
33.	मुम्बई-बंगलौर	105-106
34.	कलकत्ता-नागपुर-हैदराबाद	271-272
35.	कोलकाता-बागडोगरा	221-222
36.	दिल्ली-आगरा-खजूराहो-वाराणसी	407-408
37.	कलकत्ता-भुवनेश्वर-हैदराबाद	277-278
38.	चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर	861-862
39.	दिल्ली-अहमदाबाद	549-550
40.	दिल्ली-भुवनेश्वर	877-878
41.	दिल्ली-बंगलौर-कोचीन-त्रिवेन्द्रम	803-804
42.	दिल्ली-बड़ोदरा-दिल्ली	815-816
43.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-मुम्बई	471-472
44.	कोलकाता-चेन्नई	765-766
45.	बंगलौर-हैदराबाद	915-916
46.	दिल्ली-मुम्बई	443-344
47.	कलकत्ता-बागडोगरा	721-722
48.	मुम्बई-बंगलौर	103-104
49.	दिल्ली-नागपुर-रायपुर	469-470
50.	चेन्नई-हैदराबाद	947-470
51.	चेन्नई-हैदराबाद	945-946
52.	दिल्ली-पुणे	749-750
53.	दिल्ली-हैदराबाद	839-840
54.	कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर	285-286
55.	दिल्ली-बंगलौर	403-404
56.	कोलकाता-बंगलौर	771-772
57.	मुम्बई-नागपुर	129-130
58.	मुम्बई-हैदराबाद-विजाग	561-562
59.	बंगलौर-दिल्ली	903-904
60.	दिल्ली-भुवनेश्वर-विजाग	477-478
61.	हैदराबाद-दिल्ली	939-940
62.	मुम्बई-नागपुर	629-630
63.	दिल्ली-कोलकाता	401-402
64.	दिल्ली-चेन्नई	439-440

[अनुवाद]

वानिकी विकास के लिए महाराष्ट्र को निधियां दिया जाना

4199. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक महाराष्ट्र को वानिकी विकास के लिए परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इन निधियों का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में ा कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से ।) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वानिकी विकास हेतु महाराष्ट्र को दी गई वित्तीय सहायता और योजना/परियोजनावार संगत व्यय नीचे दिया गया है। इन धनराशियों का उपयोग सन्तोषजनक रहा है।

(लाख रुपये में)

जना-परियोजना	1997-2000	
	स्वीकृत धनराशि	किया गया खर्च
़) राज्य और जिला स्तर की योजनाएं	5,865.61	7,441.38
ा) विदेशी सहायता प्राप्त		
(1) महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	22,354.53	22,161.93
(2) अजंता/एलोरा विकास परियोजना	100.79	96.78
।) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	1,315.24	1,157.99
कुल:	29,636.17	30,858.08

बहुमूल्य वृक्षों का पौधरोपण

4200. **श्री चंद्रनाथ सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह ाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चन्दन, लाल चन्दन, पोपलर और नीम ो बहुमूल्य पेड़ लगाये जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई जना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पौधरोपण के लिए कौन-कौन से राज्य उपयुक्त मझे गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन वृक्षों को उगाने के लिए लोगों में रुचि ा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और ख) सरकार ने केवल चन्दन, लाल चन्दन, पॉपलर और नीम सी बहुमूल्य प्रजातियों के रोपण हेतु कोई केन्द्रीय प्रायोजित जना तैयार नहीं की है। तथापि, चलाई जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत स्थान दशा के आधार पर विभिन्न प्रजातियां रोपित की जाती हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पॉपलर और नीम जैसे बहुमूल्य पादपों को उगाने के लिए अपेक्षित मृदा जलवायु दशाओं के आधार पर उपर्युक्त प्रजातियों के संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(च) केन्द्र सरकार ने अवक्रमित वनों की सुरक्षा और विकास में स्थानीय लोगों को शामिल करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जून, 1990 में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रोपण गतिविधियों के एक घटक के रूप में पेयजल की व्यवस्था, बैठने के सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों के विकास और चिकित्सा परिचर्या गतिविधियों में शामिल होते ही उन्हें प्रोत्साहन दिए जाते हैं। हाल ही में मंत्रालय ने वानिकी संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितिक स्थायित्व और लोक केन्द्रित विकास हेतु वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम भी तैयार किया है। मंत्रालय ने संयुक्त वन प्रबन्धन के विचार से वन विकास अभिकरणों की स्थापना और परिचर्चा एवं हिस्सेदारी के आधार पर वन प्रबन्धन हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं ताकि राज्य सरकारों द्वारा इन वृक्षों को उगाने के लिए लोगों में रुचि उत्पन्न की जा सके।

[हिन्दी]

रानी अवन्ती बाई बांध

4201. श्री रामानन्द सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी पर रानी अवन्तीबाई बांध (बार्गी बांध) की दांयी नहर के निर्माण के लिए कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य को दिए गए ऋण या अनुदान का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में जापान बैंक से रानी अवन्तीबाई बांध के दायां तट नहर के निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि, दाता अभिकरण वित्त पोषण संबंधी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

4202. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में दिए गए/दिए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): 2001-2002 के दौरान, देश में नियोजित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या राज्य-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2001-2002 के दौरान नियोजित नये टेलीफोन कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002 के लिए नियोजित डी.ई.एल.
1	2	3
1.	अण्डमान निकोबार	10000
2.	आंध्र प्रदेश	600000
3.	असम	100000
4.	बिहार	230000
5.	गुजरात	650000
6.	हरियाणा	225000
7.	हिमाचल प्रदेश	90000
8.	जम्मू और कश्मीर	80000
9.	कर्नाटक	500000
10.	केरल	800000
11.	मध्य प्रदेश	190000
12.	महाराष्ट्र	800000
13.	पूर्वोत्तर	80000
14.	उड़ीसा	90000
15.	पंजाब	375000
16.	राजस्थान	250000
17.	तमिलनाडु	730000
18.	उत्तर प्रदेश	750000
19.	पश्चिम बंगाल	480000
20.	दिल्ली	200000
	जोड़	7230000

टिप्पणी:-

- गुजरात में दादर, दीव, दमन तथा नागर हवेली (संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।
- केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
- महाराष्ट्र में गोवा तथा मुंबई शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघाल मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
- पंजाब राज्य में चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
- तमिलनाडु राज्य में चेन्नई तथा पांडिचेरी (संघ शासित क्षे शामिल हैं।
- पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता तथा सिक्किम, अण्डमान निको राज्य शामिल हैं।
- बिहार राज्य में झारखण्ड राज्य शामिल है।
- मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।
- उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचल राज्य शामिल है।

[हिन्दी]

पी.सी.ओ. का आबंटन

4203. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन में काफी अनियमितताएं व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और आज तक इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एलाएन्स एयर बोइंग की दुर्घटना

4204. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पटना के निकट जुलाई 2000 में दुर्घटनाग्रस्त हुए एलाएन्स एयर बोइंग की दुर्घटना संबंधी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी हां।

(ख) जांच अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का कारण मानव चूक (विमान कर्मीदल) के कारण विमान पर नियंत्रण खो देना था।

(ग) जांच न्यायालय की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अधीन एक उच्च स्तरीय ग्रुप का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

4205. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर गुजरात में विदेशी सहायता से चलाई जा रही पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ परियोजनावार कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) इस समय गुजरात में विदेशी सहायता से कोई नई पर्यावरणीय परियोजना आरंभ नहीं की जा रही है। तथापि क्रियान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पर्यावरण के क्षेत्र में गुजरात तथा अन्य राज्यों में निम्नलिखित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है:

1. विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना: इस परियोजना की अवधि मार्च, 2002 तक है। विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए 23 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि आबंटित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक स्रोतों से लागत प्रभावी प्रदूषण उपशमन को बढ़ावा देना तथा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों की ट्रैकिंग व साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है। जी.आई.एस. परिसंकटमय अपशिष्टों की ट्रैकिंग प्रणाली के लिए 610 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है और 480.88 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। जी.आई.एस. परिसंकटमय अपशिष्ट ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है और उसने काम करना आरंभ कर दिया है। सूरत और बड़ोदरा में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 543.16 लाख रुपये की धनराशि दी गई है जिसमें से 354.78 लाख रुपये वितरित कर दिए गए हैं। बड़ोदरा स्थित साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र को चालू किया जा चुका है और सूरत स्थित संयंत्र को शीघ्र ही चालू किया जाएगा।

2. विश्व बैंक सहायता प्राप्त पर्यावरण प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना: यह परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महासागर विकास विभाग और गुजरात सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा कुल 29.62 मिलियन अमरीकी डालर (14,062.01 लाख रुपये) का अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ऋण दिया जा रहा है। जिसमें से गुजरात घटक के लिए परिव्यय 2.42 मिलियन अमरीकी डालर (1,145.19 लाख रुपये) है। गुजरात सरकार निम्नलिखित घटकों पर कार्य कर रही है:-

(1) गैर-सरकारी संगठन पर्यावरणीय कार्रवाई कोष

(2) राज्य पर्यावरणीय कार्रवाई कोष

(3) संस्थागत सुदृढ़ीकरण

अब तक 3380.75 लाख रुपये (7.349 मिलियन अमरीकी डालर) का व्यय किया गया है। जिसमें से गुजरात उपघटक के अन्तर्गत व्यय 454.57 लाख रुपये (0.988 मिलियन अमरीकी डालर) है।

3. विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत पारिविकास परियोजना: इस परियोजना की अवधि दिसंबर, 2001 तक है। परियोजना के लिए कुल परिव्यय 229 करोड़ रुपये का है। इस परियोजना का उद्देश्य पारिविकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, उन्नत सुरक्षा क्षेत्र प्रबन्धन, ग्राम पारिविकास तथा पर्यावरणीय शिक्षा और अनुसंधान को सुनिश्चित करना है। गुजरात में पहचाना गया क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान है जिसके लिए 3674 लाख रुपये का कुल परिव्यय रखा गया है। परियोजना के अन्तर्गत गुजरात के लिए 1574.93 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

मांग पर टेलीफोन कनेक्शन

4206. श्री चिंतामन वनगा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली में दूरभाष केन्द्र-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 मार्च, 2001 तक दूरभाष केन्द्र-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) प्रतीक्षा सूची को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा राजधानी में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एम.टी.एन.एल. दिल्ली यूनिट की प्रतीक्षा सूची में कुल 19216 आवदेक दर्ज हैं। ब्यौरे संलग्न-I विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों के क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) प्रतीक्षा सूची जुलाई 2001 तक समाप्त होने की संभावना है।

(घ) प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

1. अधिक आर.एस.यू./आर.एल.यू. (रिमोट स्विचिंग यूनिट रिमोट लाइन यूनिट) लगाना।
2. अधिक डी.एल.सी. (डिजिटल लूप कैरियर्स) लगाना।
3. वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) की व्यवस्था करना।
4. अधिक भूमिगत केबलें बिछाना।

विवरण-I

एक्सचेंज-वार लंबित प्रतीक्षा सूची

	क्षेत्र	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची
	1	2	3
1.	केन्द्र	सभी एक्सचेंज	शून्य
2.	पूर्व	तीस हजारी	400
3.	यमुनापार	1. लक्ष्मीनगर	2424
		2. के.के.डी. (कड़कड़डुमा)	8
		3. मयूर विहार	330
		4. शाहदरा	656
		5. लोनी	54
		6. यमुना विहार	80
		7. करावल	1312
4.	उत्तर-1	शक्ति नगर	560
5.	उत्तर-2	1. रोहणी सेक्टर-3	229

1	2	3
	2. एस.डब्ल्यू.आर. (सरस्वती विहार)	100
	3. ए.एल.पी. (अलीपुर)	844
	4. एन.आर.एल. (नरेला)	354
	5. बी.डब्ल्यू.एज. (बवाना)	23
6. दक्षिण-1	सभी एक्सचेंज	0
7. दक्षिण-2	1. ओखला	201
	2. एस.वी.आर. (सरिता विहार)	943
	3. टी.के.डी. (तेखण्ड)	41
	4. टी.बी.डी. (तुगलकाबाद)	2431
8. पश्चिम-1	1. करोलबाग	844
	2. वी.के.पी. (विकासपुरी)	6
	3. जे.के.पी. (जनकपुरी)	11
	4. पी.के.आर. (पंखारोड)	821
	5. एन.जे.एफ. (नजफगढ़)	4487
	6. एन.आई.टी.सी. (एयरफोर्ट)	4
	7. द्वारका	219
9. पश्चिम-2	1. राजौरी	798
	2. नांगलोई	964
	3. केजेएल (कंजावला)	2
	कुल जोड़	19216

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	केन्द्र	5879	11000	8029
2.	पूर्व	5563	8509	10924
3.	यमुनापार	11995	35445	27547
4.	उत्तर	15340	34609	23161
5.	दक्षिण-1	9022	16522	25795
6.	दक्षिण-2	15721	14124	16052
7.	पश्चिम-1	18431	30540	27502
8.	पश्चिम-2	8447	20204	12122
9.	डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलेस लोकल लूप)	(-) 6	5780	277
10.	जी.एस.एम. (मोबाइल के लिए ग्लोबल प्रणाली	*	*	10211
	जोड़	90392	176733	161620

टिप्पणी: 2000-2001 वर्ष में ही जी.एस.एम. सेवाएं शुरू की गई थी।

सड़क नेटवर्क के लिए संसाधन

4207. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 के अनुसार निकट भविष्य में निर्मित किए जाने वाले सड़क नेटवर्क को लागू करने और राजमार्गों के लिए उपलब्ध संसाधनों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में आरम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के नाम क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कों का विकास और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य सरकारों को बजट से धनराशि आबंटित करता है। इसके अतिरिक्त राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से भी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आबंटित की जाती है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3051.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, पुलों के निर्माण आदि जैसे सुधार कार्य करने का प्रस्ताव है जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 94.04 करोड़ रु. के सुधार कार्य भी शामिल हैं। अगले वर्ष की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

2001-2002 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि और बजट से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए धनराशि के प्रस्तावित आबंटन के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य का नाम	राज्यीय सड़कों के लिए के.स.नि. से आबंटन	रा.रा. (ओ) कार्यों के लिए बजट आबंटन
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.78	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	80.88	90.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	10.80	-
4.	असम	14.73	70.00
5.	बिहार	26.12	55.00
6.	चंडीगढ़	2.38	1.50
7.	छत्तीसगढ़	22.56	30.00
8.	दादर नगर हवेली	1.30	-
9.	दमन दीव	0.87	-
10.	दिल्ली	26.73	10.00
11.	गोवा	3.80	20.00
12.	गुजरात	67.84	85.00
13.	हरियाणा	32.05	55.00
14.	हिमाचल प्रदेश	10.25	47.00
15.	जम्मू व कश्मीर	29.73	4.00
16.	झारखंड	17.85	25.00
17.	कर्नाटक	55.50	75.00
18.	केरल	26.15	75.00
19.	लक्षद्वीप	0.08	-
20.	मध्य प्रदेश	61.91	80.00
21.	महाराष्ट्र	103.18	108.00
22.	मणिपुर	3.18	18.00
23.	मेघालय	4.34	25.00
24.	मिजोरम	2.90	18.00
25.	नागालैंड	2.41	16.00
26.	उड़ीसा	28.61	70.00
27.	पांडिचेरी	2.19	2.00
28.	पंजाब	41.16	48.00
29.	राजस्थान	75.84	100.00
30.	सिक्किम*	1.07	-

1	2	3	4
31.	तमिलनाडु	66.43	95.00
32.	त्रिपुरा*	1.87	-
33.	उत्तर प्रदेश	88.51	129.00
34.	उत्तरांचल	10.76	20.00
35.	पश्चिम बंगाल	36.27	105.38

*सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास।

दूरसंचार जुम्बिश

4208. श्री मोहन रावले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए "दूरसंचार जुम्बिश" शीर्ष के तहत कोई आपरेशन आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गुजरात के कच्छ जिले के भूंकप प्रभावित क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए ऑपरेशन जुम्बिश चालू है।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(1) भुज और गांधीधाम में नई प्रौद्योगिकी ओ.सी.बी.-283 एक्सचेंजों का प्रस्ताव किया गया है।

(2) 2001-2002 में भुज, गांधीधाम, मुंदरा पोर्ट, बचाऊ, अदीपुर, अंजार, माधापुर, कांडला और के.एफ.टी. जैड, मंडावी नरवतराना और राहपार एवं समखियाली से डीसा (पालनपुर) तक राष्ट्रीय हाइवे में 15.1 के उपभोक्ता बेस की व्यवस्था करना।

(3) 2001-2002 में भुज, गांधीधाम, बचाऊ, रापर, मुन्द्रा, नलिया, अदीपुर कांडला और अंजार में आई.एस.डी.एन. सेवाएं शुरू की जाएंगी।

(4) सभी सी-डॉट मुख्य एवं आरक्षित एक्सचेंजों से आई.एन. सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) 5 शहरी क्षेत्रों अर्थात् भुज, गांधीधाम, अंजार, मंडावी, कांडला में 1000 लाइनें डब्ल्यू.एल.एल. एवं 9 एस.डी.सी.ए. अर्थात् बचाऊ, मुन्द्रा, नलिया, गगोधर, कवाड़ा, लखपत, नखतराना, राहपर, समरासर में भी डब्ल्यू.एल.एल. (ग्रामीण) उपलब्ध करना।

(6) भुज के प्रत्येक एस.डी.सी.ए. में सभी एक्सचेंज एस.डी.एच. रिंग पर एस.डी.सी.सी. से मीडिया की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जोड़े जाएंगे एवं सभी एक्सचेंज ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियों से जोड़े जाएंगे।

(7) भुज में स्टाफ क्वार्टरों सहित क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनः निर्माण करना।

राज्यस्तरीय न्यासी मंडल

4209. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राज्यों में अभी तक राज्यस्तरीय न्यासी मंडल का गठन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय न्यासी मंडल को और अधिकार देकर और अधिक जवाबदेह बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि समितियां गठित की गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि समीक्षा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत राज्य स्तरीय बोर्डों का गठन न करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के समुचित प्रशासन के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए, फिलहाल केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

जैसलमेर में चूना पत्थर

4210. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में एस.एम.एस. श्रेणी के चूना पत्थर के विकास/खनन के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैसलमेर का चूना पत्थर आयातित चूना-पत्थर से अधिक मंहगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को, राजस्थान सरकार के एक उपक्रम, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) से, राजस्थान में निम्न सिलिका एस.एम.एस. ग्रेड चूना-पत्थर के विकास/खनन से संबंधित मुद्दों के बारे में, समय-समय पर, पत्र मिलते रहे हैं। इन मुद्दों में, आयातित निम्न सिलिका एस.एम.एस. ग्रेड चूना-पत्थर तथा रेल भाड़े के कारण जैसलमेर के निम्न सिलिका एस.एम.एस. ग्रेड चूना-पत्थर उद्योग द्वारा झेली जा रही समस्याओं का उल्लेख किया गया था।

(ग) और (घ) जैसलमेर से उपभोक्ताओं (जोकि अधिकांशत: भारत के पूर्वी हिस्से में रहते हैं) तक लगने वाले रेल भाड़े के कारण जैसलमेर के एस.एम.एस. ग्रेड चूना-पत्थर की लागत, एक्स-जैसलमेर चूना-पत्थर के मूल्य से बहुत अधिक है। इसलिए आयातित निम्न सिलिका एस.एम.एस. ग्रेड चूना-पत्थर की लैंडिड लागत, रेल भाड़ा जोड़े जाने पर, जैसलमेर में स्थानीय रूप से उत्पादित निम्न ग्रेड एस.एम.एस. ग्रेड चूना-पत्थर से कम है।

टेलीफोन मैकेनिक

4211. **डॉ. बलिराम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने उन फोन मैकेनिकों को आमेलित करने से इन्कार किया है जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वर्ष 1999 के दौरान प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस मैकेनिकों को कब तक आमेलित कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं, प्रशिक्षण के बाद उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक उम्मीदवारों को आमेलित कर लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जैसे ही और ज्यादा रिक्त स्थान उपलब्ध होंगे, बाकी उम्मीदवारों की भी तैनाती कर दी जाएगी।

गुजरात में जल के नये स्रोत

4212. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री श्रीनिवास पाटील:
श्री नवल किशोर राय:
श्री दिन्शा पटेल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में हाल ही में आए भूकम्प के बाद कोई नदी प्रकट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इस नदी में कितनी मात्रा में पानी बह रहा है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त नदी के जल के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) भूकम्प के बाद 29 जनवरी, 2001 को उदय गांव तथा पच्छम द्वीप के आसपास के क्षेत्र के लिए गए उपग्रह चित्र से कच्छ के रण में अनेक उप-सतही स्ट्रीम चैनलों की संभावना का पता चलता है। ये भूकम्प के पश्चात अस्थाई रूप से विकसित हो गए थे।

(ग) से (ङ) इन चैनलों में इस समय बह रहे जल की मात्रा का कोई आकलन नहीं किया गया है।

बिहार में भविष्य निधि संगठन के विरुद्ध शिकायत

4213. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार के भविष्य निधि संगठन और प्रवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देय राशियों की वसूली से संबंधित आरोपित अनियमितताओं, पेंशन दावों का निपटान न होने और बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से सम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है।

सी.बी.आई. छापे

4214. **श्री बब्बन राजभर:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यालयों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के परिसरों पर छापे मारे गए, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जब्त की गयी परिसंपत्तियों और गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले छः माह के दौरान सी.बी.आई. ने एम.टी.एन.एल., दिल्ली में तीन अधिकारियों और मुम्बई में एक अधिकारी के कार्यालयों पर छापे मारे।

(ख) पिछले छः माह के दौरान सी.बी.आई. द्वारा दिल्ली में तीन एम.टी.एन.एल. अधिकारियों और मुम्बई में एक एम.टी.एन.एल. अधिकारी के परिसरों पर छापे मारे गए।

(ग) एम.टी.एन.एल., दिल्ली के एक अधिकारी से रिश्वत के 5000 रुपये बरामद किए गए और एम.टी.एन.एल. मुम्बई के एक अधिकारी के संबंध में 800 रुपये रिश्वत की राशि के अलावा 10,74,703 रुपये के मूल्य को असंगत परिसम्पत्तियों की पहचान की गई।

इस अवधि के दौरान सी.बी.आई. ने एम.टी.एन.एल., दिल्ली के दो अधिकारियों और एम.टी.एन.एल. मुम्बई के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया और तत्पश्चात उन्हें निलम्बित कर दिया गया।

[अनुवाद]

मोबाईल टेलीफोन सुविधा

4215. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मंत्रियों को मोबाइल टेलीफोन और ऐसी अन्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन और अन्य ऐसी सेवाओं के प्रयोग हेतु प्रत्येक मंत्री पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि जमा

4216. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि की कुल कितनी धनराशि जमा है;

(ख) क्या पूरे पते के अभाव में या लाभार्थियों से धन वापस लेने संबंधी आवेदनों के न मिलने से बड़ी मात्रा में धनराशि बगैर दावे के पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो अब तक बगैर दावे के पड़ी कुल धनराशि को दर्शाते हुये, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है, जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले उनके कार्यस्थलों पर ही कर्मचारी भविष्य निधि की कुल जमा राशि का भुगतान किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिभूतियों और अन्य दस्तावेजों में निवेश की गई कर्मचारी भविष्य निधि का प्रगामी योग 79,248.81 करोड़ रुपये था।

(ख) से (ङ) 1999-2000 के दौरान, अदावी जमा खाते में कुल प्रगामी संचित राशि 207.19 करोड़ रुपये थी। भविष्य निधि राशि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में लिए गए कर्मकारों से संबंधित है। इस योजना के अन्तर्गत, भविष्य निधि राशि नियोजकों से वसूल की जाती है और कर्मकारों के अलग-अलग खाते में डाल दी जाती है। तदनुसार, देय ब्याज सहित भविष्य निधि राशि कर्मकारों/कानूनी उत्तराधिकारियों को तभी भुगतान कर दी जाती है जैसे ही उनके क.भ.नि. योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे संबंधित प्रतिष्ठानों तथा श्रमिक संघों से यह अनुरोध करते हुए पत्राचार करने सहित व्यापक प्रचार करें कि वे सदस्यों/कानूनी उत्तराधिकारियों को भविष्य निधि देयों को दिलवाने के लिए उनका पता लगाएं और उनकी मदद करें। क.भ.नि. अंशदाताओं को परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से हर तरह से पूर्ण दावों के निपटान के लिए 30 दिनों की कानूनी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि दावों के तुरंत निपटान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम भी चलाया गया है।

[अनुवाद]

कर्मचारियों द्वारा अर्जित औसत मासिक मजदूरी/वेतन

4217. **श्री मोइनुल हसन:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगठित क्षेत्र में कामगारों और कर्मचारियों को भुगतान की जा रही औसत मासिक मजदूरी/वेतन कितना है; और

(ख) उनके द्वारा अर्जित राशि का कितना प्रतिशत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर अलग-अलग खर्च किया जा रहा है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) उद्योगों से संबंधित 1997-98 के वार्षिक सर्वेक्षण (कारखाना क्षेत्र) के अनुसार एक कामगार एवं एक कर्मचारी का औसत मासिक वेतन/परिलब्धियां क्रमशः 3458 रुपये व 4331 रुपये है।

(ख) वर्ष 1981-82 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए औद्योगिक कामगारों के कामकाजी परिवार की आय एवं व्यय से संबंधित सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न मदों में कुल व्यय का प्रतिशत इस प्रकार है:

1.	भोजन	57%
2.	कपड़ा	8.54%
3.	मकान	8.67%
4.	शिक्षा	3.14%
5.	स्वास्थ्य (चिकित्सा देखरेख)	2.59%

जल संसाधनों का स्तर सुधारना

4218. **श्री रतनलाल कटारिया:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में परम्परागत जल संसाधनों का स्तर बढ़ाने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में जल के परम्परागत स्रोतों के पुनर्भरण के लिए ''भूजल पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों'' की एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम तैयार की है। ये स्कीमें 25 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय और बिहार राज्यों में स्थित 128 परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी दिशा-निर्देश के तहत परिस्रवण टैंकों, चेक बांधों, गैबियन संरचना, पुनर्भरण शाफ्टों वर्षा जल संचयन आदि जैसी पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केबल बिछाना

4219. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केबल बिछाने का काम अनुबंध के आधार पर देने हेतु मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या ये नियम देश भर में एक समान नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो बिहार और राजस्थान दोनों राज्यों में कौन से मानदंड एक समान हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) केबल बिछाने का कार्य ठेके के आधार पर दिया जाना है, यदि उक्त कार्य विभागीय तौर पर हाथ में नहीं लिया जा सकता है।

(ख) और (ग) जी नहीं। सम्पूर्ण देश के सभी दूरसंचार सर्किलों द्वारा उपर्युक्त मानदंड का अनुपालन किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कोचिंग योजनायें

4220. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में जिला स्तर पर चलाई जा रही राष्ट्रीय कोचिंग योजना के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र किस तरीके से लाभांवित हुये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजीकृत खेल संगठनों को बढ़ावा देने के लिये तहसील स्तर पर ऐसे राष्ट्रीय कोचिंग केन्द्रों की स्थापना का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कोचिंग स्कीम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभा को काफी लाभ हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक प्रतिभा का पता लगाने की प्रक्रिया में शामिल हैं जिसके माध्यम से अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाया गया है तथा उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल संवर्धनकारी योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.), विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.), सेना बाल खेल कंपनियां (ए.बी.एस.सी.) तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों (एस.टी.सी.) में भर्ती कराया गया है। विशेष क्षेत्र खेल योजना मुख्यत: देश के ग्रामीण, तटीय, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में प्रतिभा का पता लगाने पर केन्द्रित है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षक चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आतिशबाजी की फैक्ट्रियों में बाल श्रम

4221. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिवाकाशी (तमिलनाडु) स्थित विभिन्न पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों में अब भी करीब 45,000 बच्चे काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल श्रमिकों को काम पर लगाने के कारण विभिन्न फैक्ट्रियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गंगा जल का बंटवारा

4222. श्री अबुल हसनत खां: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और बंग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित गंगा जल के बंटवारे संबंधी समझौते की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में बंग्लादेश के साथ बातचीत शुरू हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकला?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों की तैनाती

4223. श्री अरुण कुमार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे पल्स पोलियो, जनगणना, मतदाता सूची तैयार करने आदि में बेरोजगार युवकों की तैनाती का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पल्स पोलियो, जनगणना, मतदाता सूची तैयार करने आदि जैसे केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का राज्य सरकार के कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों आदि के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है।

स्वरोजगार योजनायें

4224. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उदारीकरण के दौर में स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अनेक स्व-रोजगार एवं गरीबी उपशमन योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में दूरसंचार सुविधायें

4225. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में वर्तमान में कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं और वर्ष 2001-2002 के दौरान जिलावार कितने एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य में वर्तमान में कितने गांवों में टेलीफोन सुवि[illegible] उपलब्ध है/उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) बाकी बचे गांवों में कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध क[illegible] दी जाएगी;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर रामनाद जिले के शिव[illegible] क्षेत्र में टेलीफोन और दूरसंचार सुविधायें अपर्याप्त हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार राज्य में उक्त सुविधायें उपल[illegible] कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं [illegible] इसके क्या कारण हैं;

(झ) राज्य में जिलावार विशेषकर शिवगंगा क्षेत्र के प्रत्[illegible] गांव में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची [illegible] हैं; और

(ञ) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए क[illegible] कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क[illegible] उस ग्राम में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए विचार कि[illegible] जाता है जिसकी पंजीकृत मांग 10 अथवा उससे अधिक हो [illegible] इस मांग को कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) के मौज[illegible] एक्सचेंज से पूरा करना संभव न हो।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु सर्कि[illegible] में 1794 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं। इनमें से 1765 एक्सचें[illegible] तमिलनाडु राज्य में हैं और 29 एक्सचेंज पांडिचेरी के संघ शासि[illegible] क्षेत्र में हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु सर्किल में [illegible] नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिला-व[illegible] ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु सर्किल में, पांडिचेरी के संघ शासित क्षे[illegible] सहित 17,991 ग्राम बसे हुए हैं। इनमें से अब तक 17,899 ग्राम[illegible] को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं। शेष [illegible] 92 ग्रामों की जनसंख्या शून्य है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न न[illegible] उठता।

(ङ) जी नहीं, रामनाद जिले में प्रति हजार जनसंख्या 35.[illegible] टेलीफोन लगे हुए हैं।

(च) से (ज) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(झ) तमिलनाडु राज्य में 1,48,342 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं और शिवगंगा क्षेत्र में 4,511 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं। तमिलनाडु सर्किल की जिला-वार प्रतीक्षा सूची तथा शिवगंगा क्षेत्र की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ञ) 31.3.2002 तक समस्त प्रतीक्षा-सूची का निपटान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

इस समय (1.4.2001 की स्थिति के अनुसार) तमिलनाडु सर्किल में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों और 2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	1.4.2001 की स्थिति के अनुसार कार्यरत एक्सचेंजों की संख्या	2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अरियालूर	17	–
2.	कोयम्बटूर	122	–
3.	कुड्डालूर	58	1
4.	धरमापुरी	100	3
5.	डिंडीगुल	62	1
6.	एरोड़	105	1
7.	कांचीपुरम	50	3
8.	कन्याकुमारी	33	–
9.	करूर	46	–
10.	मदुरै	58	1
11.	नागापट्टिनम	53	–
12.	नामाक्कल	75	2
13.	पेरम्बलूर	26	4
14.	पुड्डुकोटे	53	3
15.	रामानाथपुरम	51	–
16.	सेलम	139	1
17.	शिवगंगा	48	1
18.	तंजावूर	68	2
19.	दी नीलगिरी	35	–
20.	थेनी	22	–
21.	तिवरूर	34	–
22.	त्रिनेलवेल्ली	77	–
23.	त्रिरूवन्नामलई	51	3
24.	तिरूवेल्लूर	47	–
25.	त्रिची	76	–
26.	टुटीकोरिन	63	3
27.	वेल्लोर	85	2
28.	विल्लुपुरम	65	3
29.	विरुद्धनगर	46	1
	जोड़ तमिलनाडु राज्य	1765	35
30.	पांडिचेरी	29	–
	तमिलनाडु सर्किल जोड़	1794	35

विवरण-II

तमिलनाडु राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची का जिला-वार तथा शिवगंगा क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) के लिए प्रतीक्षा-सूची का एक्सचेंज-वार ब्यौरा तमिलनाडु राज्य की प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	अरियालूर	1602
2.	कोयम्बटूर	28627

1	2	3
3.	कुड्डालूर	2972
4.	धरमापुरी	3196
5.	डिंडीगुल	6566
6.	एरोड़	2563
7.	कांचीपुरम	7422
8.	कन्याकुमारी	9877
9.	करूर	2780
10.	मदुरै	5525
11.	नागापट्टिनम	6365
12.	नामाक्कल	2360
13.	पेरम्बलूर	2180
14.	पुड्डुकोटे	3581
15.	रामानाथपुरम	2770
16.	सेलम	3392
17.	शिवगंगा	4511
18.	तंजावूर	7861
19.	दी नीलगिरी	2206
20.	थेनी	168
21.	तिरुवरूर	3021
22.	त्रिनेलवेल्ली	1981
23.	त्रिरूवन्नामलई	4771
24.	तिरूवेल्लूर	3972
25.	त्रिची	2366
26.	टुटीकोरिन	1940
27.	वेल्लोर	11272
28.	विल्लुपुरम	8160
29.	विरुद्धनगर	4355
	तमिलनाडु राज्य जोड़	148342

शिवगंगा क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) की प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	31.3.2001 के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	इदियामेलूर	110
2.	मादागुठल्ली	0
3.	मारवामंगलम	45
4.	नट्टारासां कोट्टाई	10
5.	पादाम्थूर	122
6.	पागानेरी	115
7.	साठारसानकोट्टाई	0
8.	कल्यारकोईला	0
9.	अक्कूर	0
10.	शिवगंगा	0
	जोड़	402

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधाएं

4226. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश में नये डाक और तार घर तथा एस.टी.डी. सुविधा के साथ टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):

डाक

(क) से (ग) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

दूरसंचार

(क) और (ख) समूचे देश में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार होने तथा एस.टी.डी. और फैक्स सुविधाओं की शुरूआत होने से, तार की मांग निरंतर घट रही है। इसलिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तार सुविधा मांग और औचित्य के अनुसार प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश में एसटीडी सुविधा के साथ 56 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिलावार/स्थानवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल के उन प्रस्तावित स्थानों की सूची जहां 2001-2002 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने हैं

क्र.सं.	जिला	स्थान
1	2	3
1.	बेतूल	अंधेरिया
2.	बेतूल	बुद्धि
3.	बेतूल	चुनालहोमा
4.	बेतूल	कल्याणपुर
5.	बेतूल	मेहतपुर
6.	भोपाल	चिपानेर
7.	छतरपुर	किशनगढ़
8.	दमोह	ख्वाजाखेड़ी
9.	देवास	जिजलाई
10.	देवास	खुतखेड़ा
11.	धार	जोलना
12.	गुना	घाटबमोरिया
13.	गुना	खिरियादेवात
14.	होशंगाबाद	लोहरिया
15.	इंदौर	जामबुरीहबसी
16.	इंदौर	कथाचोड़ा
17.	इंदौर	कुरदी
18.	मांडला	अमरपुर
19.	मान्डला	बजाग
20.	मान्डला	मवई
21.	मुरैना	जानपुरा
22.	मुरैना	मंडौरी
23.	नरसिंहपुर	भोरझिल
24.	नरसिंहपुर	देवनगढ़
25.	नरसिंहपुर	कच्छरकोना
26.	नरसिंहपुर	नौनी
27.	नरसिंहपुर	सिमरियापहरैया
28.	पन्ना	पहाड़खेरा
29.	रायसेन	बिकलपुर
30.	रायसेन	भरकछ
31.	रीवा	आकोरी
32.	रीवा	नालकिन
33.	रीवा	पथेरा
34.	रीवा	सथनी
35.	सतना	भूमखार
36.	सतना	चुरहट
37.	सतना	हिरोंडी
38.	सतना	कारीगोही
39.	सतना	नकाटी
40.	सतना	रामपुरचौरसी
41.	सतना	रोड
42.	शहडोल	अखरार
43.	शहडोल	बिलासपुर

1	2	3
44.	शहडोल	बरदवा
45.	शहडोल	गुडवा
46.	शहडोल	आंडिया
47.	शिवपुरी	दिगरौनी
48.	शिवपुरी	चाकसुनरिया
49.	शिवपुरी	करारखेड़ा
50.	सिद्धि	तमारजी
51.	सिद्धि	खुतार
52.	टीकमगढ़	विरमाडोंग
53.	उज्जैन	खानदोड़ा
54.	उज्जैन	नवादा
55.	उज्जैन	रनयापीर
56.	विदिशा	लेरा

मध्य प्रदेश में जोबाट परियोजना

4227. **श्री कांतिलाल भूरिया:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जोबाट परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के पूरा होने में कोई देरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह परियोजना कब तक पूरी होगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) मध्य प्रदेश में जोबट परियोजना एक निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के वास्ते पर्याप्त निधियों के अभाव होने के कारण इस परियोजना को पूरा करने में राज्य सरकार द्वारा विलंब हुआ है। इस परियोजना के 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

4228. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विमानपत्तन का अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उन्नयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विमानपत्तन से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है। सीमा-शुल्क और आव्रजन सुविधाएं उपलब्ध करायीं जा चुकी हैं। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा पहले ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है।

फ्रैंकफर्ट-बंगलौर मार्ग पर उड़ान

4229. **श्री आर.एस. पाटील:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी ने हाल में भारत और जर्मनी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में बंगलौर से अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा फ्रैंकफर्ट से बंगलौर के बीच तीन साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) माह फरवरी 2001 में जर्मनी संघीय गणराज्य सरकार के साथ उभयपक्षीय विमान सेवा परामर्श-वार्ता के अंतिम दौर में, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रीष्म-2001 से जर्मनी की नामित विमानकंपनी को बंगलौर तक भारतीय पक्ष की अप्रयुक्त हकदारियों में से दो उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दी गई है, परंतु यह दोनों देशों की नामित विमानकंपनियों के बीच वाणिज्यिक व्यवस्था के अध्ययधीन होगा। इन दोनों आवृत्तियों को तीन आवृत्तियों में बदला जा सकता है जिनका प्रचालन ए-340 विमानों से किया जाएगा।

चित्तूर में भूमिगत पुल का निर्माण

4230. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर कस्बे में भूमिगत पुल का निर्माण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या फैसला लिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि भूमिगत पुल चित्तूर कस्बे की नगरपालिका सीमा में स्थित है और चित्तूर कस्बे के बाहर पहले से ही निर्मित बाइपास का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए किया जा रहा है।

प्राणी उद्यानों को मान्यता प्रदान करना

4231. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक के कितने प्राणी उद्यानों को प्राणी आवास, सुरक्षा और खाद्यान्न हेतु धन उपलब्ध कराने हेतु मान्यता दी गयी है; और

(ख) सरकार द्वारा कर्नाटक में गैर-मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यानों को मान्यता देने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किए बगैर कोई चिड़ियाघर नहीं चलाया जा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रस्ताव है कि किसी भी चिड़ियाघर को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक प्राधिकरण द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी हितों और ऐसे मानकों, प्रतिमानों तथा यथा निर्धारित अन्य मामलों पर विचार करने के पश्चात इस आशय की संतुष्टि व्यक्त न की गई हो कि उसे मान्यता दी जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने भी चिड़ियाघरों को मान्यता देने के संबंध में 4 अगस्त, 1992 को व्यापक नियम अधिसूचित किए हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने धारा 38एच के अन्तर्गत निर्धारित नियमों और अन्य संबंधित मामलों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए कर्नाटक में 16 चिड़ियाघरों को मंजूरी प्रदान की है। अन्य चिड़ियाघरों को जो अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे चिड़ियाघरों को केवल तभी मान्यता दी जा सकती है जब राज्य सरकार ने इन चिड़ियाघरों को उपयुक्त मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए हों।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बड़े, मध्यम और लघु स्तर के चिड़ियाघरों को आवासीय सुधार और रख-रखाव के लिए धनराशि दी जाती है।

16 मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों में से केवल बन्नेर घाटा, शिमोगा और मैसूर चिड़ियाघर ही केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्त को पूरा करते हैं।

कोयना बांध

4232. **श्री श्रीनिवास पाटिल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सतारा जिले के कोयना बांध क्षेत्र में भूकंप के कई झटके आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयना नदी बेसिन हेतु कोई आपदा प्रबंधन योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) यह ज्ञात हुआ है कि कोयना बांध क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के कई भागों में 5 सितम्बर, 2000 को एक भूकम्प आया था।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने भूकम्प सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

चक्रवात के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/ पुलों को हुआ नुकसान

4233. **डा. चरणदास महंत:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

Scanned by CamScanner

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को राज्यवार कुल कितना नुकसान पहुंचा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सड़कों और पुलों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत हेतु विशेष धनराशि प्रदान करने का कोई अनुरोध मिला है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) उड़ीसा में वर्ष 1999 में चक्रवात के रूप में और गुजरात में 2001 में भूकम्प के रूप में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों को क्षति पहुंची है। पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में ऐसा कोई संकट नहीं आया है।

(ख) ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित आपदाओं के कारण उड़ीसा और गुजरात राज्यों में हुई क्षति की मरम्मत के लिए वर्ष 2000-2001 के दौराम क्रमश: 4.22 करोड़ रु. और 1.47 करोड़ रु. की राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) इस स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001
		अ. एवं म. के अंतर्गत आवंटन	वास्तविक खर्च	अ. एवं म. के अंतर्गत आवंटन	वास्तविक खर्च	अ. एवं म. के अंतर्गत आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4568.40	4069.47	3440.26	3278.33	3845.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	2815.51	2282.33	3420.00	2668.50	2884.19
4.	बिहार	3336.97	3336.97	5807.64	4925.89	4298.55
5.	चंडीगढ़	48.04	45.40	91.50	90.86	21.00
6.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	1030.00
7.	दिल्ली	2100.00	309.82	139.84	133.27	82.300
8.	गोवा	617.08	617.08	826.69	663.54	373.53
9.	गुजरात	3296.94	3296.94	2318.17	2210.22	2145.00
10.	हरियाणा	1239.42	1040.32	1611.70	1544.73	1543.59
11.	हिमाचल प्रदेश	2256.01	2256.01	2326.24	2348.44	25111.35

2	3	4	5	6	7
जम्मू व कश्मीर	129.65	4.51	302.36	23.99	284.42
झारखंड	—	—	—	—	845.84
कर्नाटक	3111.75	3065.34	3921.04	3993.36	3097.67
केरल	2090.63	2090.63	4059.00	3807.72	2816.03
मध्य प्रदेश	3945.04	3787.80	5573.14	5302.70	5035.92
महाराष्ट्र	4957.67	4957.67	4654.63	4769.99	4065.00
मणिपुर	365.59	365.59	876.08	584.60	824.49
मेघालय	625.80	620.50	905.89	761.82	798.59
मिजोरम	0.00	0.00	380.00	269.29	695.22
नागालैंड	382.90	382.90	501.63	598.63	361.25
उड़ीसा	2761.15	2760.77	3622.24	2855.13	4276.99
पांडिचेरी	64.18	18.06	105.00	86.67	80.00
पंजाब	1538.81	1440.83	1235.80	335.68	1690.00
राजस्थान	3718.19	3642.29	3320.00	2857.96	3412.25
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	3740.00	3597.85	5479.66	5383.46	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	24.00	5383.46	3610.37
उत्तर प्रदेश	6128.44	6071.10	6105.49	24.00	5390.63
उत्तरांचल	—	—	—	6070.66	409.19
पश्चिम बंगाल	2757.83	2757.83	3700.00	3700.00	3709.80

ी: वर्ष 2000-2001 के वास्तविक खर्च के आंकड़े अभी राज्य सरकारों से प्राप्त होने हैं।

दी]

टेलीफोन कनैक्शन पाने हेतु प्रतीक्षा सूची

4234. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:** क्या संचार मंत्री यह की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश में टेलीफोन शन पाने हेतु जिले-वार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) 31.3.2001 तक उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में व्यक्तियों की जिला-वार संख्या विवरण-I में दी गई है। आशा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रतीक्षा-सूची का निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	31.3.2001 के अनुसार प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	इलाहाबाद	1928
2.	कौशाम्बी	482
3.	गोरखपुर	2682
4.	महाराजगंज	1149
5.	कानपुर	2847
6.	कानपुर देहात	712
7.	लखनऊ	1781
8.	झांसी	979
9.	ललितपुर	326
10.	वाराणसी	1366
11.	भदोही	456
12.	चन्दौली	460
13.	आजमगढ़	3269
14.	गाजीपुर	1537
15.	प्रतापगढ़	1135
16.	हरदोई	1137
17.	उरई	1109
18.	फतेहपुर	647
19.	बांदा	726
20.	चित्रकूट	181
21.	हमीरपुर	371
22.	महोबा	124
23.	बलिया	2517
24.	बाराबंकी	1991
25.	बहराइच	140
26.	श्रावस्ती	60
27.	इटावा	864
28.	औरैया	370
29.	फर्रुखाबाद	1382
30.	कन्नौज	345
31.	फैजाबाद	2516
32.	अम्बेडकर नगर	1354
33.	गोंडा	1753
34.	बलरामपुर	944
35.	लखीमपुर	1371
36.	देवरिया	1657
37.	कुशीनगर	830
38.	मऊ	1655
39.	मैनपुरी	1048
40.	मिर्जापुर	785
41.	सोनभद्र	262
42.	रायबरेली	1579
43.	शाहजहांपुर	1249
44.	सीतापुर	2524
45.	सुल्तानपुर	3919
46.	उन्नाव	759
47.	जौनपुर	3311
48.	आगरा	12575
49.	फिरोजाबाद	3261
50.	अलीगढ़	3637
51.	हाथरस	1711
52.	बदायूं	709
53.	बरेली	4511

1	2	3
54.	बिजनौर	4753
55.	बुलन्दशहर	11115
56.	एटा	2639
57.	गजियाबाद	12398
58.	नौएडा	4120
59.	मथुरा	437
60.	मेरठ	7880
61.	बागपत	5451
62.	मुजफ्फरनगर	9654
63.	मुरादाबाद	4120
64.	जे.पी. नगर	2343
65.	पीलीभीत	2068
66.	रामपुर	810
67.	सहारनपुर	6417

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-93 की घोषणा

4235. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 26.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 709 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 का दायित्व संभालने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93 का पुनर्निमाण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) रा.रा.सं.-93 को विकास और अनुरक्षण के लिए उ.प्र. राज्य सरकार को सौंपने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य धनराशि की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में वार्षिक योजना में किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन पाने हेतु प्रतीक्षा सूची

4236. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में जिलेवार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त क्षेत्र में कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में 14380 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, जिले-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

जिला	प्रतीक्षा सूची
पालनपुर	13616
पाटन	764

(ख) बनासकांठा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन
1998-99	9160
1999-2000	11787
2000-2001	15700

(ग) 2001-2002 के दौरान मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार और नए एक्सचेंज खोल कर प्रतीक्षा-सूची का निपटान करने की योजना है।

गांवों में टेलीफोन सुविधा

4237. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश के कितने गांवों/ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या मार्च, 2002 तक देश के सभी गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान, 14,43,255 ग्रामों/ग्राम पंचायतों को बी.एस.एन.एल. द्वारा और शेष ग्रामों को फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा 1290 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) देश के शेष ग्रामों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) तथा सी-डॉट टी.डी.एम.ए./पी.एम.पी. जैसी नई प्रौद्योकियों की शुरूआत की जा रही है। उन दूरवर्ती तथा अलग-थलग क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के रूप में उपग्रह आधारित टेलीफोन लगाने की योजना है जहां अन्य कोई स्थलीय प्रौद्योगिकी व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायुक्त गांव	2001-2002 के लिए बी.एस.एन.एल. का लक्ष्य
1	2	3	4
1.	अंडमान एण्ड निकोबार	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	6077	0
3.	असम	7707	7707
4.	बिहार	26499	26499
5.	झारखण्ड	25510	25510
6.	गुजरात	4202	0
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	2631	2631
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	2742	2742
10.	कर्नाटक	10	10
11.	केरल	0	0
12.	मध्य प्रदेश	19484	316
13.	छत्तीसगढ़	4017	4017
14.	महाराष्ट्र	10926	0
15.	उत्तर-पूर्व-1	4676	4676
16.	उत्तर-पूर्व-2	5125	5125
17.	उड़ीसा	22024	22024
18.	पंजाब	0	0
19.	राजस्थान	14809	0
20.	तमिलनाडु	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14563	14563
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5566	5566
23.	उत्तरांचल	7287	7287
24.	पश्चिम बंगाल	14535	14535
25.	कलकत्ता	47	47
26.	दिल्ली	0	0
	जोड़	198437	143255

नैनीताल झील के पानी की गुणवत्ता

4238. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि नैनीताल झील का पानी, उसमें तांबा, क्रोमियम, जस्ता और सीसे की मात्रा निर्धारित स्तर से अधिक होने के कारण, मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसको निर्धारित स्तर तक लाकर इसे मानव उपयोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो नैनीताल झील की जल गुणता की निगरानी करता है, ने कालीफार्म बैक्टीरिया और जैव पदार्थों की उपस्थिति के कारण झील को संदूषित बताया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार तांबे, क्रोमियम और निकल जैसे भारी तत्वों के कारण नदी में कोई प्रदूषण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नदियों पर पुलों का निर्माण

4239. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसम्बर, 2000 के 'दैनिक जागरण' में "अनेक नदियों पर बांध बनाने का काम नेपाल की सहमति पर निर्भर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल से आने वाली कोसी, कमला और बागमती तथा विभिन्न सहायक नदियों के कारण आने वाली बाढ़ की विभीषिका से निपटने हेतु कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव नेपाल सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा किन ठोस कदमों पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई बहुद्देश्यीय परियोजनाओं अर्थात पंचेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना, सप्तकोसी-सनकोषी बहुद्देश्यीय परियोजना, कमला और बागमती बहुद्देश्यीय परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है।

(ग) से (ङ) जल संसाधन क्षेत्र में नेपाल के साथ सहयोग से संबंधित मुद्दों पर नेपाल और भारत के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इस संबंध में, दोनों देशों के संबंधित जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में जल संसाधन संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति की बैठक अक्तूबर, 2000 में हुई थी। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कोसी, कमला और बागमती नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, क्षेत्र सर्वेक्षणों, जांच को शुरू करने और सप्तकोशी-सनकोशी बहुद्देश्यीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय खोले जाने पर विचार-विमर्श करने के वास्ते विशेषज्ञों के संयुक्त दल की तीसरी बैठक, मार्च, 2001 को नेपाल में हुई थी।

कमला और बागमती बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में, सप्तकोशी-सनकोशी बहुद्देशीय परियोजना संबंधी विशेषज्ञों के संयुक्त दल को जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति ने सलाह दी है कि नेपाल और भारत दोनों में बागमती और कमला के कमान क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता की जांच करें। इस पर भी सहमति हुई कि कमला पर मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं संबंधी संगत आंकड़ों का आदान-प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श किया जाए।

पंचेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना के संबंध में भारत-नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय पंचेश्वर अन्वेषण, काठमांडू द्वारा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले से ही तैयार की जा रही है। इसके लिए भारत और नेपाल के विशेषज्ञों के संयुक्त दल की 15वीं बैठक दिसम्बर, 2000 में हुई थी।

[हिन्दी]

जबलपुर-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 का पुनर्निर्माण

4240. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की 'इम्प्रूवमेंट राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम' (आई.आर.क्यू.पी.) के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सड़क के दोनों ओर बसे हुए लोगों की सुरक्षा हेतु रेलिंग लगाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इन बस्तियों के लोगों की सुविधा हेतु पटरियों आदि का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या जबलपुर-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर स्थित पार पथों (क्रासिंगों) को भी विकसित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां। सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (आई.आर.क्यू.पी.) के अंतर्गत 354 से 445 कि.मी. में कार्य शुरू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

4241. श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बड़ी संख्या में टेलीफोन एक्सचेंज किराए की इमारतों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभाग की अपनी इमारतों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ङ) जहां कहीं भूमि उपलब्ध है, निर्माण शुरू कर दिया गया है/शुरू कर दिया जाएगा और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, विभाग विभागीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत/प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

विवरण-I

किराए के भवनों में कार्यरत ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	प्रादेशिक दूरसंचार सर्किलों के नाम	किराए के भवनों में कार्यरत एक्सचेंज
1	2	3
1.	अण्डमान-निकोबार	30
2.	आंध्र प्रदेश	2008
3.	असम	310
4.	बिहार	809
5.	हरियाणा	729
6.	हिमाचल प्रदेश	682
7.	गुजरात	1686
8.	जम्मू-कश्मीर	149
9.	कर्नाटक	2035
10.	केरल	563
11.	मध्य प्रदेश	2128
12.	महाराष्ट्र	3142
13.	गोवा	57
14.	उड़ीसा	764
15.	पंजाब	1044
16.	राजस्थान	1688
17.	तमिलनाडु	87
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1304
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	520
20.	पश्चिम बंगाल	973

2	3
कलकत्ता	0
दिल्ली	0
चेन्नई	0
सिक्किम	38
पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश	3
अरुणाचल प्रदेश	59
मेघालय	32
मिजोरम	20
मणिपुर	14
नागालैण्ड	9
त्रिपुरा	31
ाए के भवनों में कार्यरत एक्सचेंजों कुल संख्या	20,914

विवरण-II

राए के भवनों में कार्यरत एक्सचेंजों के लिए निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित विभागीय भवन

.	प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल का नाम	निर्माणाधीन या निर्माण के लिए प्रस्तावित विभागीय भवनों की संख्या
1	2	3
	अण्डमान-निकोबार	2
	आंध्र प्रदेश	0
	असम	23
	बिहार	93
	हरियाणा	35
	हिमाचल प्रदेश	28
	गुजरात	1206
	जम्मू-कश्मीर	0
9.	कर्नाटक	234
10.	केरल	74
11.	मध्य प्रदेश	219
12.	महाराष्ट्र	323
13.	गोवा	14
14.	उड़ीसा	117
15.	पंजाब	55
16.	राजस्थान	142
17.	तमिलनाडु	102
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	52
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	102
20.	पश्चिम बंगाल	8
21.	कलकत्ता	0
22.	दिल्ली	0
23.	चेन्नई	14
24.	सिक्किम	0
25.	पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश	0
26.	अरुणाचल प्रदेश	18
27.	मेघालय	12
28.	मिजोरम	8
29.	मणिपुर	2
30.	नागालैण्ड	7
31.	त्रिपुरा	9
	निर्माणाधीन भवनों की कुल संख्या	2899

रूपसी विमानपत्तन का उन्नयन

4242. श्री अब्दुल हमीद: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "रूपसी" विमानपत्तन का उन्नयन और नवीनीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विमानपत्तन के उन्नयन और नवीनीकरण हेतु अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि प्रस्ताव अपनी आरंभिक अवस्था में है इसलिए अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनैक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

4243. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर और जलगांव जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनैक्शन पाने हेतु बड़ी संख्या में आवेदन पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिलों में 2001-2002 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रतीक्षा सूची कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इन जिलों में टेलीफोन सुविधाओं की स्थिति असंतोषजनक है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, कोल्हापुर और जलगांव जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकृत और प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या क्रमशः 11969 और 11551 है।

(ग) कोल्हापुर और जलगांव के लिए 2001-2002 के दौरान क्रमशः 30,000 और 22,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) मार्च 2001 तक पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतीक्षा-सूची उत्तरोत्तर रूप से मार्च, 2002 तक निपटा दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं। वास्तव में यह बहुत अच्छी है।

(च) और (छ) ऊपर भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर उपमार्ग का निर्माण

4244. श्री माधव राजवंशी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलानदोई कस्बे में प्रदूषण कम करने और यातायात जाम के भारी बोझ को कम करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो असम राज्य की इस पुरानी मांग को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) जी हां। मंगालदोई कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 पर एक बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव है। इन बाइपास के संशोधित संरेखण के साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी के लिए वार्षिक योजना 2001-2002 में 25.00 लाख रु. का प्रावधान है

सेल्यूलर टेलीफोन

4245. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कितने शहरों में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितने शहरों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भुज विमानपत्तन पर उतरने वाली उड़ानें

4246. श्री. पी.एस. गढ़वी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 26 जनवरी से 15 फरवरी, 2001 के बीच देश के विभिन्न विमानपत्तनों से भुज विमानपत्तन पर जेट इंडिया एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के कितने विमान उतरे; और

(ख) इन विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सहित इन विमानों से कितनी राहत सामग्री उतारी गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) दिनांक 26.1.2001 से 15.2.2001 के दौरान जेट एयरवेज के 25 विमान, एलायंस एयर के 53 विमान, अन्य घरेलू वाहकों के 226 विमान और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों के 91 विमानों से विभिन्न स्थलों से भुज हवाई अड्डे तक कुल 395 उड़ानें प्रचालित की गई।

(ख) विमानों से कुल 28,64,837 किलोग्राम राहत सामग्री (अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्री सहित) भुज ले जाई गई और इस क्रम में 8713 यात्रियों को भुज लाया ले जाया गया।

[अनुवाद]

डाक टिकटें

4247. श्री विजय गोयल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कारगिल नायकों की छवि वाली डाक-टिकटें जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज

4248. श्री के. येरननायडू:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 मार्च, 2001 को दिल्ली और गुड़गांव में चल रहा अवैध टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) 20.3.2001 को गुड़गांव में, विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) के गेटवे की बाई-पास करते हुए इनकमिंग अन्तर्राष्ट्रीय वॉयस कॉलों को पास करने वाला, एक अवैध संगठन पकड़ा गया। वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वीसैट) और अनुषंगी उपस्करों के माध्यम से इनकमिंग वॉयस कालों को प्राप्त किया जा रहा था और गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंज की स्थानीय टेलीफोन लाइनों के माध्यम से बहुत से उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा था।

(ग) इस प्रकार के अनाचारों को रोकने के लिए, उन परिसरों पर निगरानी रखने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं जहाँ वीसैट अन्टीना (सैटलाइट डिस्क अन्टीना) संस्थापित किए गए हैं और बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन लिए गए हैं।

[हिन्दी]

सुरक्षा के पहलुओं पर अन्य देशों से समझौते

4249. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री सुबोध राय:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेपाल की भांति ही कुछ इजरायली और अन्य देशों की कंपनियों के साथ विमान यात्राओं को और सुरक्षित बनाने हेतु कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारत सरकार और विभिन्न देशों की सरकारों के बीच विमानन सुरक्षा अनुच्छेद के तहत विमान सेवा करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यद्यपि, इजरायल की कंपनियों के साथ ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

बेतिया में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

4250. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार के बेतिया क्षेत्र में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ चल रहे हैं;

(ख) इस क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित करने हेतु कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(ग) इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदन-पत्रों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार के बेतिया क्षेत्र में इस समय 402 पीसीओ कार्यरत हैं।

(ख) उक्त क्षेत्र में पीसीओ लगाने के लिए 71 आवदेन लम्बित पड़े हैं।

(ग) मार्च 2001, के दौरान ही आवेदन प्राप्त हुए थे और पीसीओ स्वीकृत किए गए थे। आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने की प्रतीक्षा है।

(घ) आवेदकों द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवेदनों को उत्तरोत्तर रूप से निपटाया जाएगा।

पक्षियों की सुरक्षा हेतु परियोजना

4251. श्री राम टहल चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पक्षियों के संरक्षण हेतु कोई परियोजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं;

(ग) यह परियोजना कब शुरू हुई और इसे कार्यान्वित करने वाली एजेंसी का नाम क्या है;

(घ) अभी तक इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या हाल ही में इसके कार्यकरण की समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (छ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 वन्य जानवरों की सभी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित सभी पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है। राज्य सरकारों को विभिन्न प्रजातियों, पशुओं और पक्षियों के महत्वपूर्ण आवास स्थलों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास स्कीम के तहत राज्य सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कीम के तहत सातवीं, आठवीं तथा नौंवी योजना के प्रथम 4 वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशियां निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

अवधि	जारी की गई धनराशि
सातवीं योजना	18.91
1990-91	7.74
1991-92	9.16
आठवीं योजना	49.50
नौंवी योजना (प्रथम 4 वर्ष)	59.25

स्कीम का आवधिक तौर पर पुनरावलोकन भी किया जाता है।

भारत सरकार ने बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, मुम्बई को कुछ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण हेतु उपाय सुझाने के लिए निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन भी सौंपे हैं:-

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	स्वीकृत धनराशि	जारी की गई धनराशि
1.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा मरुस्थली वन्यजीव को बचाने के लिए थार मरुस्थल में पर्यावरणीय शिक्षा	2.75 लाख रुपए	1.50 लाख रुपए
2.	वर्तमान संख्या स्थिति सहित भारत में गिद्धों का वितरण	2.21 लाख रुपए	0.66 लाख रुपए
3.	भारत में चित्तिदार वन्य उल्लुओं की पारिस्थितिकीय स्थिति	9.15 लाख रुपए	1.83 लाख रुपए
	कुल जोड़	14.11 लाख रुपए	3.99 लाख रुपए

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधाएं

4252. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में जिलेवार कितने गांवों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ा गया है और कितने गांवों को जोड़ा जाना बाकी है;

(ख) बाकी बचे गांवों को कब तक इस सुविधा से जोड़ दिया जाएगा;

(ग) इन राज्यों में वर्तमान में कितने शहर इन्टरनेट से जुड़े हैं और वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने शहरों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा;

(घ) वर्तमान में जिलेवार कितने एस.टी.डी./पी.सी.ओ./आई.एस.डी. बूथ चल रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान इन राज्यों में और बूथ स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि के लंबित मामले

4253. **श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों से निपटाए जाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (इ.पी.एफ.) के कुल कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) उनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों को असुविधा से बचाने हेतु उक्त मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) अप्रैल, 1997 से मार्च, 2000 तक की सूचना निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
1997-98	14,056
1998-99	11,998
1999-2000	8,677

(ख) और (ग) हर तरह से पूर्ण भविष्य निधि दावों को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक होता है। तथापि, कभी-कभी भविष्य निधि दावों के निपटान में अपूर्ण आवेदन-पत्रों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ के अभाव आदि की वजह से विलम्ब होता है। क.भ.नि. अभिदाताओं को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिकायत निपटान तन्त्र को सुदृढ़ और सक्रिय किया गया है ताकि भविष्य निधि दावों का तुरंत निपटान सुनिश्चित किया जा सके। क.भ.नि. संगठन का सतर्कता तंत्र सुदृढ़ बनाया गया है और भविष्य निधि दावों के निपटान में कदाचार में लगे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। लम्बित भविष्य निधि दावों का क.भ.नि. संगठन मुख्यालय में वार्षिक कारोबार योजना के माध्यम से आवधिक रूप में प्रबोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

इंटरनेट-शुल्क

4254. **श्री मंजय लाल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में इंटरनेट-सेवाएं चलाने की वर्तमान लागत पड़ोसी देशों की तुलना में ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इंटरनेट-सेवाओं की लागत कम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) यह बताने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इंटरनेट सेवाओं के संचालन की लागत पड़ोसी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। वस्तुतः इंटरनेट सेवा के संपर्क प्रभारों में लगातार कमी का रुझान दिखाई दिया है तथा कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) निःशुल्क इंटरनेट संपर्क की पेशकश कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय करने से इंटरनेट सेवा के संचालन की लागत में कमी आएगी:

(1) इंटरनेट-सेवा के लिए लाइसेंस-शुल्क को 31.10.2003 तक के लिए हटा दिया गया है तथा उसके बाद से 1 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

(2) 5% के रियायती सीमा-शुल्क पर दूरसंचार-उपस्कर अर्थात् एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड (एटीएम) स्विचों, फ्रेम रिले-स्विचों, रूटरों डी.डब्ल्यू.डी.एम. उपस्कर तथा एथरनेट स्विच का आयात करने की अनुमति दी गई है।

(3) उपग्रह तथा साथ ही सबमैरीन केबल माध्यम का इस्तेमाल करने वाले इंटरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति आई.एस.पी. को दी गई है।

(4) इंटरनेट-संपर्क के लिए ली गई लीज लाइनों के लिए वार्षिक लीज लाइन-किरायों के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा 20% रियायत की पेशकश की जा रही है।

(5) इंटरनेट परियात के संचालन के लिए वी.एस.एन.एल. की एक राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन स्थापित करने की योजना है। इसका उद्देश्य, आई.एस.पी. को सरल इंटरकनेक्ट प्वाइंट प्रदान करना है।

(6) राष्ट्रीय लंबी दूरी नीति के अंतर्गत अवसंरचना-प्रदाताओं को एण्ड टू एन्ड बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(7) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अन्तर्राष्ट्रीय लीज्ड सर्किट के प्रभारों तथा पोर्ट-प्रभारों में पर्याप्त कमी की घोषणा की है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधाएं

4255. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में राज्य-वार ऐसे कितने गांव हैं जहां डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन बूथ हैं;

(ख) आज की तारीख में देश में राज्यवार ऐसे कितने गांव हैं जहां डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन बूथ की सुविधाएं नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन गांवों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन बूथ की सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):

डाक

(क) और (ख) डाक का वितरण और संग्रहण जैसी डाक सेवाएं देश के सभी गांवों को प्रदान की गई हैं। देश में डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर खोलना एक योजना कार्यकलाप है तथा डाकघर क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना 2001-2002 में 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ), 50 विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) तथा 2000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

दूरसंचार

(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर वाले गांवों की संख्या	बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14775	15196
2.	असम	3627	21058
3.	बिहार	11218	56295
4.	दिल्ली	99	100
5.	गुजरात	8090	9935
	दादर-नगर हवेली	33	38
	दमन एवं दीव	15	11

1	2	3	4
6.	हरियाणा	2318	4441
7.	हिमाचल प्रदेश	2646	14351
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1469	5007
9.	कर्नाटक	8379	18697
10.	केरल	1452	शून्य
	लक्षद्वीप	11	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	10240	61286
12.	महाराष्ट्र	11337	29075
	गोवा	204	156
13.	उत्तर-पूर्व		
	अरुणाचल प्रदेश	301	3348
	मणिपुर	637	1545
	मेघालय	451	5038
	मिजोरम	400	312
	नागालैण्ड	322	896
	त्रिपुरा	695	4055
14.	उड़ीसा	7533	39456
15.	पंजाब	3405	9023
	चंडीगढ़	7	17
16.	राजस्थान	9581	29902
17.	तमिलनाडु	10396	6984
	पांडिचेरी	59	233
18.	उत्तर प्रदेश	18146	94658
19.	पश्चिम बंगाल	7553	33559
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	86	118
	सिक्किम	193	234
	कुल	135678	465024

[हिन्दी]

टेलीफोन बिल

4256. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के टेलीफोन बिल उपभोक्ताओं को समय पर नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार टेलीफोन बिलों को डाक विभाग के बजाय निजी कुरियर सेवा से भेजने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) एम.टी.एन.एल. के उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल समय पर वितरित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। पहले, बिल प्राइवेट कुरियर के माध्यम से वितरित किए जाते थे और लिखित एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से शिकायतें मिलने पर बिलों को वितरण करने के लिए डाक विभाग के सौजन्य से एक विशिष्ट व्यवस्था की गई है और अब उनके द्वारा उपभोक्ताओं को बिलों का वितरण किया जा रहा है।

(ग) यदि उपभोक्ताओं को बिलों के विलंब से प्राप्त होने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विलंब के कारणों की जांच करने के लिए उसे डाक विभाग को भेजा जाता है और डाक विभाग, भविष्य में इस प्रकार के विलंब के परिहार हेतु की गई कार्यवाही की पुष्टि करता है। यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे तुरन्त ठीक कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एम.टी.एन.एल. ने एक कम्प्यूटर बिल घोषणा सेवा प्रारम्भ की है। यदि किसी ग्राहक को देय तिथि को बिल प्राप्त नहीं होता है वह फोन करके उसे 24 घंटे के भीतर प्राप्त कर सकता है। तत्पश्चात वह बिल का भुगतान किसी भी बैंक में पे-इन-स्लिप के माध्यम से कर सकता है।

(घ) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन में नया कार्गो काम्प्लैक्स

4257. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर स्थित शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुओं के लिए निर्मित कार्गो काम्प्लैक्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उक्त कार्गो काम्प्लैक्स के प्रबंधन को आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम को सौंपने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा (ए.पी.ई.डी.ए.) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त कर एक बार में 17 मैट्रिक टन विकारी वर्गों की क्षमता वाला विकारी निर्यात कार्गो केन्द्र हैदराबाद हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) हवाई अड्डों पर हैंडलिंग के बारे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कार्य सौंपने के लिए प्रबंधन और इस सुविधा के अनुरक्षण के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। बोलीकर्त्ताओं में से एक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का एक उपक्रम, आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम सफल निविदाकर्त्ता सिद्ध हुआ है।

टेलीफोन एक्सचेंज

4258. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कित टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं और जिला-वार उनकी अलग अलग क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान उ राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और मौजूदा टेलीफो एक्सचेंजों के क्षमता में विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; औ

(घ) इसमें कितना व्यय होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों व क्षमता सहित संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) आंध्र प्रदेश राज्य:-

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या - 2759

(ii) सुसज्जित क्षमता - 3364322

(iii) जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(2) महाराष्ट्र राज्य:

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या - 4506

(ii) सुसज्जित क्षमता - 6129119

(iii) जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश और महारा राज्य में क्रमशः 6 लाख और 8.85 लाख सीधी एक्सचेंज लाइ प्रदान किये जाने की योजना बना ली गयी है। स्थान-वार योज को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए अपेक्षित निधि संबंधी अनुमान का ब्यौरा निम्नानुसा है:-

1. (1) राज्य का नाम-आंध्र प्रदेश

   (2) अपेक्षित निधि संबंधी अनुमान - 1460 करोड़ रुप

2. (1) राज्य का नाम - महाराष्ट्र राज्य

   (2) अपेक्षित निधि संबंधी अनुमान - 3456 करोड़ रुप

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और उनकी क्षमता के जिले-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की सं.	31.3.2001 के अनुसार क्षमता
1.	अदिलाबाद	93	71385
2.	अंनतपुर	145	97695
3.	चित्तूर	168	158051
4.	कुड्डाप्पा	105	88917
5.	ईस्ट गोदावरी	141	208240
6.	गुन्टूर	166	196598
7.	हैदराबाद	153	904490
8.	कारीमनगर	119	133646
9.	खम्माम	119	96332
10.	कृष्णा	157	114768
11.	कुन्नूर	175	104242
12.	महबूबनगर	143	70091
13.	मेडक	105	72095
14.	नालगोंड़ा	140	99062
15.	नेल्लोर	128	100950
16.	निजामाबाद	96	89028
17.	प्रकाशम	127	99636
18.	श्रीकाकुलम	76	43260
19.	विशाखापट्टनम	85	168852
20.	विजयानगरम	69	55110
21.	वारंगल	83	96238
22.	वेस्ट गोदावरी	166	185636
	कुल	2759	3364322

विवरण-II

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और उनकी क्षमता के जिले-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की सं.	31.3.2001 के अनुसार क्षमता
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	317	150868
2.	अकोला	80	52500
3.	अमरावती	125	76026
4.	औरंगाबाद	140	123058
5.	बीड	117	47028
6.	भण्डारा	54	23104
7.	बुलधाना	115	48728
8.	चन्द्रपुर	80	54364
9.	धुले	86	52546
10.	गढ़चिरोली	37	13747
11.	गोंदिया	50	21696
12.	हिंगोली	42	14012
13.	जलगांव	208	120860
14.	जालना	78	29876
15.	कल्याण	128	396368
16.	कोल्हापुर	305	196432
17.	लातूर	128	61092
18.	नागपुर	127	218960
19.	नांदेड	122	62748
20.	नासिक	227	232764
21.	नंन्दुरवार	45	20596
22.	उस्मानाबाद	83	33736

1	2	3	4
23.	परभनी	56	34108
24.	पुणे	255	626452
25.	रायगढ़	153	148242
26.	रत्नागिरी	146	69896
27.	सांगली	320	178822
28.	सतारा	203	116380
29.	सिन्धुदुर्ग	93	34196
30.	सोलापुर	219	124662
31.	वर्धा	70	38134
32.	वाशीम	50	16940
33.	यवतमाल	93	44300
34.	मुम्बई जिला	127	2246302
35.	थाणे जिला	27	400576
	कुल	4506	6129119

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहरी/भीतरी ग्रिड

4259. श्री साहिब सिंह: क्या **परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात का घनत्व दिन-प्रति बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अगले कुछ वर्षों में मेरठ, खुर्जा, पलवल, रिवाड़ी, झज्जर, रोहतक, गोहाना और पानीपत को जोड़ने वाले बाहरी ग्रीड और मेरठ, बागपत, मुर्थल, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद को जोड़ने वाले भीतरी ग्रिड की आयोजना, विकास और निर्माण के प्रस्ताव का क्रियान्वयन करने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके क्रियान्वयन की लागत और सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बीच हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह मंत्रालय प्रश्न में यथा उल्लिखित हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में बाहरी ग्रिड और भीतरी ग्रिड के विकास और निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त विमान पट्टी

4260. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में कई विमान पट्टियाँ अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विमान पट्टियों के न उपयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप कितनी राशि फंसी पड़ी है;

(घ) क्या सरकार का इन विमान पट्टियों के उचित उपयोग के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में दोनाकोण्डा और कुडापाहा, आसाम में रूपसी और शेल्ला, बिहार में चाकुला, जोगबानी और रक्सौल, मध्य प्रदेश में पन्ना और त्रिपुरा में खोवाई के हवाई अड्डों का इस समय उपयोग नहीं हो रहा है चूंकि अपर्याप्त विमान यातायात के कारण इन हवाई पट्टियों से विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए किसी भी अनुसूचित एयरलाइनों ने कोई योजना नहीं बनाई है।

(ग) इनमें से अधिकांश हवाई पट्टियों का निर्माण द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान किया गया था और जिन्हें बाद में भारत सरकार ने ले लिया था। इसके बाद से इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है चूंकि कोई भी एयरलाइन इन हवाई पट्टियों से प्रचालन नहीं कर रही हैं और इस प्रकार इस समय निर्माण इत्यादि में निहित राशि का आकलन करना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन हवाई पट्टियों को विमानन कार्यकलापों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सौंपने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन हवाई पट्टियों के स्थानांतरण को स्वीकार करने के लिए कोई भी राज्य सरकार आगे नहीं आई है।

राष्ट्रीय उद्यानों में प्रबंधन प्रणाली

4261. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल की जांचों में कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार की गतिविधियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवैध शिकारी गिरोह शामिल पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए मौजूदा प्रबंधन प्रणाली की असफलता की पहचान करने हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों विशेषकर कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षा के प्रबंध में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) उत्तरांचल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाथी को मारने के लिए अवैध शिकार की उसी विधि का प्रयोग किया गया था, जो विधि पूर्वोत्तर राज्यों की लिशु जनजाति द्वारा प्रयोग में लाई जाती है।

(ग) और (घ) 29-30 जनवरी, 2001 को कोयम्बतूर में आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक में देश के वन्यजीवों के प्रबन्धन व उनकी सुरक्षा से संबंधित मौजूदा प्रणाली में निम्नलिखित खामियों की ओर संकेत किया गया:-

(1) वन रक्षकों, वनपालों, रैंजरों तथा सहायक वन संरक्षकों के स्तर की बड़ी संख्या में पड़ी रिक्तियां।

(2) आसूचना एकत्र करने, जांच करने व अपराधियों पर मुकदमा चलाने के क्षेत्र में विशेषज्ञता का अभाव।

(3) गश्त लगाने, संचार सुविधाओं तथा उपयुक्त आग्नेय शस्त्रों की कमी।

(4) जीवन और सम्पत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी में विलम्ब।

(5) वन्यजीवों से जुड़े अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों का न होना।

(6) वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का विश्लेषण करने के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का न होना, और

(7) पशु चिकित्सा सुविधाओं का अभाव।

(ङ) उत्तरांचल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि:

(1) सभी स्वीकृत पदों को भरा जाए।

(2) संचार नेटवर्क तथा फील्ड सुरक्षा कर्मियों की गश्त में सुधार किया जाए।

(3) संवेदनशील स्थानों पर अवैध शिकार-रोधी कैंप लगाए जाएं।

(4) कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गश्त में तेजी लाई जाए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी प्रभावी ढंग से निगरानी सुनिश्चित की जाए।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट श्रृंखला

4262. श्री भीम दाहाल:
श्री जय प्रकाश:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ने अपने हाल के भारत दौरे में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट श्रृंखला आयोजित करने के मुद्दे पर सरकार से चर्चा की;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के संबंध में एक स्पष्ट नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी नीति कब तक बना दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट

परिषद के अध्यक्ष ने हाल ही में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री से भेंट की थी। इस बैठक के दौरान, वर्ष 2002 में भारत द्वारा आई.सी.सी. नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने के मामले पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) से (ङ) सरकार ने राय व्यक्त की है कि वर्तमान परिस्थितियों में, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दो देशों के बीच किसी भी द्विपक्षीय श्रृंखला में भाग लेना सही नहीं होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि भारत को किसी गैर-नियमित स्थानों पर खेले जाने वाले किसी भी क्रिकेट मैच में तीन वर्ष के लिए भाग नहीं लेना चाहिए।

विदेश संचार निगम लिमिटेड का निजीकरण

4263. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय तब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) मंत्रिमंडल के 1.2.2001 के एक निर्णय के अनुसार सरकार विदेश संचार निगम लि. में अपने शेयरों का 25 प्रतिशत हिस्सा किसी अनुकूल साझेदार को तथा 1.97 प्रतिशत इक्विटी निगम के कर्मचारियों को बेचेगी। इससे, विदेश संचार निगम लि. में सरकार की इक्विटी का अंश घटकर 26 प्रतिशत रह जाएगा।

बालको के कामगारों द्वारा हड़ताल

4264. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मार्च में सरकार का अपने 51 प्रतिशत हिस्से को मैसर्स स्टर्लाइट को हस्तांतरित करने के कारण भारत अल्युमिनियम कंपनी के कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि हड़ताल खत्म हो जाए क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) बालको के कोरबा यूनिट में अधिकांश कामगार 3 मार्च, 2001 से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कंपनी को अपना कोई मांग-पत्र (चार्टर ऑफ डिमांड्स) नहीं दिया है। प्रबंधन ने कामगारों से कार्य पर लौटने के लिए कई बार अपील की है और संबंधित कानून के अधीन मामले के समाधान हेतु राज्य तंत्र से हस्तक्षेप करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम का शारजाह में भाग लेना

4265. **डा. (श्रीमती) सुधा यादव:**
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2001 में शारजहा में आयोजित होने वाले तीन देशों के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य मैचों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि शारजाह क्रिकेट मैचों के लिए एक गैर नियमित स्थल है।

ठेका श्रम

4266. **श्री विकास चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970 उद्योगों में अभी भी लागू है;

(ख) यदि नहीं, तो कोयला उद्योग के विभिन्न निषिध रोजगारों में ठेके के कितने श्रमिक लगे हुए हैं;

(ग) इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में निषिद्ध रोजगार श्रेणी में कुल कितने ठेके के श्रमिक लगे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ईस्टर्न कोलफील्ड लि. में ठेका श्रमिकों को लगाकर उक्त अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 उस उद्योग जिसमें बीस अथवा अधिक कर्मकार ठेका श्रम के रूप में पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी एक दिन नियोजित थे अथवा नियोजित हैं सहित प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है। प्रतिषिद्ध कार्य श्रेणियों में ठेका श्रमिक लगाने की सूचना मिलने पर अथवा निरीक्षण किए जाते समय ऐसी घटनाओं का पता चलता है तो कानून में उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है। ईस्टर्न कोलफील्ड् लिमिटेड के मामले में, प्रतिषिद्ध श्रेणियों के जॉबों/कार्यों में 19 ठेका श्रमिकों को लगाए जाने के बारे में सूचना मिली है और इस मामले में उपचारात्मक कानूनी कर्रावाई की जा रही है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

4267. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों के पंजीकरण के लिए क्या नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आज की तारीख तक केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों में कितने ग्रामीण शिक्षित युवक पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों में नामों के पंजीकरण से प्राप्त होने वाले अवसर और लाभों को मीडिया के माध्यम से विज्ञापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) देश में रहने वाले समस्त भारतीय नागरिक रोजगार सहायतार्थ रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवाने के पात्र हैं। नेपाल, भूटान के वासी तथा भारतीय मूल के पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, यूगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया जैसी पूर्वी अफ्रीकी देशों तथा वियतनाम के भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से भारत में प्रवासित नागरिक भी पंजीकरण करवाने के पात्र हैं। इसी प्रकार, स्थायी रूप से भारत में बसने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में आए तिब्बती शरणार्थी भी पंजीकरण करवाने के पात्र हैं।

(ख) देश में केवल एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय है तथा इस रोजगार कार्यालय में रोजगार चाहने वालों का प्रत्यक्ष पंजीकरण नहीं किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में होने वाली 1400 रु. (संशोधन-पूर्व) और उससे अधिक के वेतनमान वाली वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति की रिक्तियों को प्राप्त किया जाता है तथा अखिल भारतीय स्तर पर उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त करने के लिए इसका विज्ञापन रोजगार समाचार के माध्यम से किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल संसाधनों में वृद्धि

4268. श्री रामशकल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या में लगातार वृद्धि और हिमालयीय हिमनद के संकुचित होने के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जल संसाधन बढ़ाने और प्रत्येक राज्य में उसके दोहन के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) प्राकृतिक जल वैज्ञानिक चक्र के अनुसार देश में औसत वार्षिक वर्षापात कमोबेश यथावत बना रहता है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले 60 वर्षों के दौरान गंगोत्री ग्लेशियर पर किए गए अध्ययनों से पता जला है कि यह ग्लेशियर धीरे-धीरे घट रहा है। पिछले 1000 वर्षों की जलवायु के अध्ययन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सैकड़ों वर्ष की अवधि के दौरान ग्लेशियर आमतौर पर घटते-बढ़ते रहते हैं तथा इसके घटने की इस प्रक्रिया में अनुकूल जलवायुवीय परिस्थियां होने पर बढ़ोत्तरी हो सकती है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता धीरे-धीरे कम हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2000 ईसवी सन में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 घन मीटर आंकी गई है।

जल के उपयोग के लिए भण्डारणों के निर्माण सहित जल संसाधनों का विकास राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1995 तक देश में बड़े बांधों के निर्माण के जरिए 177 बी.सी.एम. सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। लगभग 75 बी.सी.एम. अतिरिक्त भण्डारण क्षमता

सृजित करने के लिए परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132 बी.सी.एम. की क्षमता सृजित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। पुनर्भरणीय भूजल 432 बी.सी.एम. है, जिसमें से 154 बी.सी.एम. जल उपयोग के योग्य बनाया गया है। इन भण्डारणों और अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मि.हे. चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं योजना के अंत तक 90 मि.हेक्टे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, जिसमें जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्राय:द्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

भारत सरकार, जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अन्तर्गत छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। जिसके लिए राज्य सरकार और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सहायता दी जाती है। चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता दे रही है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल टेलीफोन जारी किया जाना

4269. श्री उत्तमराव पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कितने मोबाइल टेलीफोन जारी किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खराब सेवा के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कितने मोबाइल टेलीफोन वापस किए गए;

(ग) कितने उपभोक्ताओं की जमा राशि वापस कर दी गई है और कितनों का वापस किया जाना अभी बाकी है; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की जी.एस.एम. सेल्यूलर मोबाइल सेवा ''डोल्फिन'' को 07.02.2001 से प्रारम्भ किया गया है तथा अब तक कुल 10,211 मोबाइल कनेक्शन जारी किए गए हैं। मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लि., की जी.एस.एम. मोबाइल सेल्यूलर सेवा ''डोल्फिन'' 27.02.2001 को प्रारम्भ की गई थी और 8032 ग्राहक, इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली ने सी.डी.एम.ए. (डब्ल्यू.एल.एल.)-प्रौद्योगिकी को स्थानीय लूप में बेतार (डब्ल्यू.एल.एल.) फोन-प्रणाली से 6307 मोबाइल फोन भी जारी किए हैं।

(ख) 7.2.2001 से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में 55 जी.एस.एम. ग्राहकों ने सेवाओं में कमी के कारण अपने कनेक्शनों को वापस करने का अनुरोध किया है। सी.डी.एम.ए. स्थानीय लूप में बेतार (डब्ल्यू.एल.एल.)-प्रणाली के 1576 मोबाइल फोनों को वापस किया गया है।

(ग) अभी तक जी.एस.एम. सेल्यूलर के लिए किसी भी मामले में प्रतिभूति जमा को वापस नहीं किया गया है। सी.डी.एम.ए. (डब्ल्यू.एल.एल.) के संबंध में 783 आवेदकों की प्रतिभूति जमा को वापस कर दिया गया है तथा अन्य 793 ग्राहकों को वापसी हेतु प्रक्रिया जारी है।

(घ) जी.एस.एम. सेल्यूलर सेवाओं के लिए, अतिरिक्त ''बेस ट्रांसीवर केन्द्रों'' (बी.टी.एस.) की स्थापना की जा रही है तथा रेडियो फ्रिक्वेंसी (आर.एफ.) ओप्टीमाइजेशन की प्रक्रिया गतिशील है। इससे कवरेज तथा सिग्नलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। यही कार्रवाई मुम्बई में की जा रही है। दिल्ली शहर में पर्याप्त रेडियो फ्रिक्वेंसी (आर.एफ.) कवरेज प्रदान करने के लिए और अधिक बी.टी.एस. की व्यवस्था होने से दिल्ली में सीडीएमए (डब्ल्यूएलएल)-मोबाइल के लिए पुराने डब्ल्यूएलएल-सिस्टमों को नए सिस्टमों के साथ बदलने की प्रक्रिया चालू है।

[अनुवाद]

विमानन प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना

4270. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु और अधिक संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विमानन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए मैसर्स त्रिकुट उड़ान अकादमी, जम्मू और मैसर्स अल्फा एविएशन, पंतनगर (उत्तर प्रदेश) से नागर विमानन महानिदेशालय को दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

रेडियो स्पेक्ट्रम का आबंटन

4271. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री जे.एस. बराड़:
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री अनंत गुढे:
श्री किरीट सोमैया:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री राम प्रसाद सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री चरनजीत सिंह:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर मोबीलिटी पर आधारित "वायरलेस इन लोकल लूप" (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रदान करने वाले आधारभूत सेवा प्रदाताओं के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम का आबंटन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्पेक्ट्रम का मूल्य क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) और दूरसंचार आयोग ने उक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के मूल्य और प्रक्रिया के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनकी राज्यवार रैंकिंग क्या है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन किया है; और

(च) उन कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिन्हें ये सुविधाएं मिल गई हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) स्थानीय क्षेत्रों/कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में वायरलेस सब्स्क्राइबर एक्सेस प्रणालियों के बुनियादी सेवा-प्रदाता को रोल आउट-दायित्वों से जुड़े स्पेक्ट्रम, जो उन 5 मेगाहार्ट्ज से अधिक नहीं होगा, का आबंटन संदर्भित विषय से संबंधित घोषित मार्ग निर्देशों पर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि मौजूदा प्रयोक्ताओं का सहयोग प्राप्त हो। वैयरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल)- उपभोक्ताओं से अर्जित वार्षिक समायोजित सकल राजस्व को 2% (दो प्रतिशत), राजस्व शेयर-स्पेक्ट्रम-प्रभार के रूप में सेवा-प्रदाताओं द्वारा अदा करना होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा-प्रदाताओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए अलग से किसी प्रवेश-शुल्क की सिफारिश नहीं की है।

(ङ) और (च) कम्पनियां ऐसे कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त कर लेने तथा प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स स्थापित कर लेने के पश्चात् स्पेक्ट्रम-आबंटन के लिए आवेदन देने की हकदार हो जाएंगी। वैध लाइसेंस धारण करने वाली लाइसेंसशुदा कम्पनियां ही आवेदन देने की हकदार हैं और उनके नेटवर्कों में वायरलेस सब्स्क्राइबर-ऐक्सेस प्रणालियों के इस्तेमाल सहित अनुमत्य वायरलेस इस्तेमाल के लिए निर्दिष्ट/निर्धारित फ्रिक्वेंसी-बैण्डों में उन्हें स्पेक्ट्रम के आबंटन पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि उनके आवेदन हर दृष्टि से पूर्ण हों।

सिंचाई परियोजनाओं संबंधी समिति

4272. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति ने अपनी 75वीं बैठक में कुछ सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण या पुनरुद्धार पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं द्वारा कितनी अतिरिक्त भूमि सिंचित की जा सकेगी;

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी परामर्शी समिति की 75वीं बैठक दिनांक 18.12.2000 को आयोजित की गई थी, जिसमें 10 परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	लागत (करोड़ रु. में)	सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र	परामर्शी समिति का निर्णय
1.	भूपतीपालेम जलाशय स्कीम (मध्यम)	आंध्र प्रदेश	47.23	5419	कुछ शर्तों के आधार पर स्वीकार्य
2.	सुरमपालेम जलाशय स्कीम फेज-2 (मध्यम)	आंध्र प्रदेश	49.50	5129	-तदैव-
3.	कथुवा नहर का आधुनिकीकरण (मध्यम)	जम्मू व कश्मीर	15.68	1994	-तदैव-
4.	जैनगिर नहर का आधुनिकीकरण (मध्यम)	जम्मू व कश्मीर	13.66	300	"
5.	बल्ह घाटी (बायां तट) मध्यम सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	41.64	2780	"
6.	भाखड़ा मुख्य लाइन के स्तर को ऊपर उठाना	पंजाब	20.46	लागू नहीं होता	"
7.	राजघाट बांध परियोजना (वृहद)	मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश	300.60	145378 (उत्तर प्रदेश) 150227 (मध्य प्रदेश)	"
8.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण (वृहद)	उत्तर प्रदेश	74.16	32,700	"
9.	कोनार सिंचाई परियोजना (वृहद)	बिहार	336.69	56293	"
10.	बुतंग सिंचाई परियोजना (वृहद)	उड़ीसा	227.25	23,300	"

(घ) और (ङ) परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना, आवश्यकतानुसार पर्यावरण और वन दृष्टिकोणों से सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने, योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करने और अपेक्षित निधियां मुहैया कराने के बाद ही राज्य सरकारों को परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करना है।

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन से उड़ानें

4273. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन से और अन्तर्राष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के बाद एयर इंडिया ने त्रिवेन्द्रम से उड़ानों की संख्या में कटौती की है और त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच यातायात बांटे जाने के पैटर्न का

ध्यान रखते हुए इन विमानों को कोचीन से उद्‌गम के लिए नियत किया गया है।

विमानों की क्षमता अवरोधों के कारण त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें शुरू करने संबंधी इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है।

वर्तमान समय में त्रिवेन्द्रम से/तक विमानों का प्रचालन बढ़ाने के बारे में किसी दूसरी विदेशी एयरलाइनों की भी कोई योजना नहीं है। यद्यपि, श्रीलंकाई एयरलाइन्स ने हाल ही में अपनी सीटों की संख्या प्रति सप्ताह 870 से बढ़ाकर 978 कर दी है।

सी वाल

4274. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल की तरह उड़ीसा सरकार से 432 करोड़ रुपये की लागत से 480 कि.मी. लम्बी ''सी वाल'' का निर्माण करने का प्रस्ताव हुआ है:

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या हाल में देश के विशेष रूप से उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भू-क्षरण से संबंधित कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) 480 कि.मी. लम्बी समुद्री दीवार के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए 436.286 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला एक संशोधित प्रस्ताव मई, 2000 में उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ है। इसमें 97.55 कि.मी. लंबी समुद्री दीवार का निर्माण, नए लवणीय तटों का 70.85 कि.मी. लम्बा निर्माण कार्य तथा नदियों की ज्वारीय पहुंचों में नदी तट सुरक्षा कार्य शामिल है। केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच की गई तथा इस प्रस्ताव में और संशोधन करने के लिए, टिप्पणियां उसी माह में राज्य सरकार को भेज दी गईं। उड़ीसा सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश के तटीय क्षेत्र में समुद्री कटाव की मात्रा के आकलन के लिए हाल में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

भारत सरकार, तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति (सीपीडीएसी) के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ निम्न के लिए कार्रवाई कर रही है:

1. राज्य सरकारों से आंकड़े एकत्र करने और उन्हें राष्ट्रीय तटीय आंकड़ा बैंक को भेजने का अनुरोध किया गया है जिसे केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सी.डब्ल्यू. एण्ड पी.आर.एस.), पुणे में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय तटीय आंकड़ा बैंक में एकत्रित आंकड़े तटीय अध्यनन करने, कटाव की मात्रा का आकलन करने तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने में सहायक होंगे।
2. तटीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से तटीय अध्ययनों से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।
3. समुद्र तटीय राज्यों से उपग्रह से प्राप्त चित्रों से तटीय रेखा में होने वाले परिवर्तन की जांच करने का अनुरोध किया गया है ताकि समुद्री कटाव से प्रभावित तटीय रेखा के व्यवहार का अध्ययन किया जा सके।

बीड़ी कामगार

4275. **श्री समर चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने बीड़ी कामगारों को बीड़ी कामगार कल्याण कोष से आवास विकास के लिए राजसहायता तथा उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी गई;

(ख) वर्तमान में ऐसे बीड़ी कामगारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसी राजसहायता के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, 7950 बीड़ी कामगारों को आवासीय विकास हेतु राजसहायता प्रदान की गई तथा बीड़ी कामगारों के 2,28,300 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई।

(ग) राजसहायता के लिए प्राप्त उन सभी आवेदनों पर स्वीकृति हेतु विचार किया गया है जो हर प्रकार से पूर्ण थे।

[हिन्दी]

गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं

4276. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान गुजरात में, विशेषरूप से भरूच-क्षेत्र में वर्तमान टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता का विस्तार करने तथा आधुनिक संचार-सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में तथा उक्त क्षेत्र में कितने केन्द्रों का विस्तार किया गया और आधुनिक सचार सुविधाएं प्रदान की गई; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान राज्य में दूरसंचार तथा डाक-सेवाओं के कितने अधिकारी भ्रष्टाचार संबंधी कार्यों में लिप्त पाए गये और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 2001-2002 के दौरान गुजरात में 6,50,000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने की योजना है, जिनमें से 1,40,000 सैल्यूलर टेलीफोन होंगे। भरूच-क्षेत्र में 24,200 सीधी एक्सचेंज-लाइनें प्रदान करने की योजना है, जिनमें से 5200 सैल्यूलर टेलीफोन होंगे।

(ग) पिछले तीन वर्षों में गुजरात व भरूच-क्षेत्र के विकास कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-

गुजरात

वर्ष	प्रदत्त निवल सीधी एक्सचेंज-लाइनें	खोले गए नए टेलीफोन केन्द्र
1998-99	2,55,388	72
1999-2000	3,74,022	122
2000-2001	4,76,841	456

भरूच

वर्ष	प्रदत्त निवल सीधी एक्सचेंज-लाइनें	खोले गए नए टेलीफौन केन्द्र
1998-99	10,006	2
1999-2000	11,269	5
2000-2001	16,098	30

(घ) राज्य में गत वर्ष दूरसंचार व डाक-सेवाओं में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया गया था।

तटवर्ती राज्यों में भू-क्षरण रोधी परियोजनाएं

4277. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या जल संसाधन मंत्री 20 दिसम्बर, 2000 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4860 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अब तक तटवर्ती राज्यों में स्वीकृत भू-क्षरण रोधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्यों में किये गये भू-क्षरण रोधी कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्त चालू परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरा नहीं किया जा सका; और

(घ) उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) स्वीकृत की गई कटावरोधी परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) 7.3125 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के मध्य डेल्टा में गोदावरी नदी की धाराओं के बाढ़-किनारों पर 7 मुहाना स्लुइसों का पुनर्निर्माण।

(2) चिन्ना कुप्पम गांव (खंड-1 एन.एस. 15/475 कि.मी. से 15/775 कि.मी. तक) पेरियाकुप्पम गांव (खंड-1 एल.एस. 16/000 कि.मी. से 16/150 कि.मी. तक और खंड-2 एल.एस. 16/150 कि.मी. से 16/300 कि.मी.), इंदिरा गांधी कुप्पम (खंड एल.एस. 14/740 से 14/960 कि.मी. तक) और अन्नै सिवकामी नगर कुप्पम (एल.एस. 13/950 से 14/025 तक और 14/205 से 14/280 कि.मी. तक) को सुरक्षित करने के लिए 2.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्तरी चेन्नई में रोड़ी वाले टीले का निर्माण। योजना आयोग ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान इस स्कीम के वास्ते एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन किया है।

(ख) से (घ) समुद्र कटावरोधी कार्य सहित बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है। समुद्री कटावरोधी परियोजनाओं सहित बाढ़ नियंत्रण कार्यों के आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है।

[अनुवाद]

रोजगार के अवसरों में कमी

4278. श्री जे.एस. बराड़: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अकुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों के लिये रोजगार के अवसरों में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में अकुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में दूरभाष-केन्द्र

4279. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राजस्थान में नये दूरभाष-केन्द्र खोलने के लिये कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार को हाल में नए केन्द्र खोलने के लिये नए प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय राजस्थान में नए टेलीफोन-केन्द्र खोलने के 340 प्रस्ताव लम्बित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) नए एक्सचेंज खोलने के 340 मामले लंबित हैं।

(घ) नए एक्सचेंज चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। टी.डी.एम.ए. (टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस), पीएमपी (प्वाइंट टू मल्टी प्वाइंट), डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) व जीएसएम (ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल) आदि जैसे विश्वसनीय माध्यम व अन्य नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने वाले नए केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है।

राष्ट्रीय फुटबाल लीग मैच

4280. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें राष्ट्रीय फुटबाल लीग मैच दिल्ली में नहीं खेले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गोवा, मुम्बई, कोलकाता जैसे अन्य बड़े शहरों की तरह दिल्ली में भी इतनी ही संख्या में फुटबाल मैचों को कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (ए.आई.एफ.एफ.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उद्घाटन मैच को छोड़कर राष्ट्रीय लीग मैचों की पांचवें सत्र को दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था क्योंकि दिल्ली किसी भी सहभागी टीम का गृह स्थान नहीं था और राष्ट्रीय लीग विनियमावली के अनुसार, मैच गृह स्थान तथा गृह स्थान से दूर के आधार पर खेले जाते हैं।

(ग) सरकार की फुटबाल मैचों के आयोजन में कोई भूमिका नहीं होती है और ऐसे मैचों को आयोजित करने तथा विभिन्न राज्यों/शहरों के लिए इन मैचों को आबंटित करने की जिम्मेदारी अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ की होती है।

सिंचाई सुविधा के अंतर्गत भूमि

4281. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसके संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना आवंटन किया गया तथा दिसम्बर, 2000 के अंत तक कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) अब तक वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और कितनी अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) सिंचाई के तहत और अधिक भूमि को शामिल करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2000) के वास्ते 17.05 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 1999-2000 के अंत तक लगभग 5.17 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने का अनुमान है। राज्य योजना के तहत वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान सिंचाई विकास के लिए राज्यों को 36,689.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी और उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किया गया वार्षिक/प्रत्याशित व्यय 33,425.77 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्यों को 4447.68 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई थी और उन्होंने 1997-98 से दिसंबर, 2000 के अंत तक राशि प्रयुक्त कर ली थी।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों में डाक सेवाएं

4282. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत को डाक सेवाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाक का वितरण और संग्रहण जैसी डाक सेवाएं देश के सभी गांवों को प्रदान की गई हैं। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ख) डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर वाले ग्राम पंचायत गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13113
2.	असम	2416
3.	बिहार	8579
4.	दिल्ली	शून्य
5.	गुजरात	8146
6.	दादर-नगर हवेली	10
	दमन एवं दीव	12
6.	हरियाणा	2318
7.	हिमाचल प्रदेश	2405
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1093
9.	कर्नाटक	5180
10.	केरल	990
	लक्षद्वीप	10
	माहे	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	10167
12.	महाराष्ट्र	11879
	गोवा	188
13.	उत्तर-पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	185
	मणिपुर	17
	मेघालय	1142
	मिजोरम	397
	नागालैण्ड	288

1	2	3
	त्रिपुरा	661
14.	उड़ीसा	5067
15.	पंजाब	3405
	चंडीगढ़	7
16.	राजस्थान	8227
17.	तमिलनाडु	4611
	पांडिचेरी	5
18.	उत्तर प्रदेश	17640
19.	पश्चिम बंगाल	3320
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	39
	सिक्किम	124
	कुल	115641

[हिन्दी]

केन्द्रीय नर्मदा प्राधिकरण

4283. श्री बाबूभाई के. कटारा:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय नर्मदा प्राधिकरण की हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अंतिम बैठक 17 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संबंधी एक कार्यवाई योजना को अंतमि रूप दिया गया था, इसके अनुसार सरदार सरोवर बांध को जून, 2005 तक पूर्ण ऊँचाई तक ऊपर उठाया जाना है तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी गतिविधियों को दिसम्बर, 2004 तक पूरा किया जाना है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अपने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उप दल तथा पर्यावरण उप दल के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के कार्यान्वयन के साथ-साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की मानीटरी भी कर रहा है।

सरस्वती नदी का पुन: प्रकट होना

4284. श्री जय प्रकाश: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में सरस्वती नदी का पता लगाने के लिए अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोलकाता में कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिए गए तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) राजस्थान सरकार का भूमि जल विभाग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तथा क्षेत्रीय दूर-संवेदी केन्द्र, मुम्बई के सहयोग से एक बहुविषयक अध्ययन द्वारा नदी-मार्ग का उचित निर्माण कर सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग में भूजल क्षमता वाले स्थानों का पता लगाने में संलग्न है। प्राचीन नदी सरस्वती से संबद्ध दूर संवेदी अध्ययनों और पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि वर्तमान सतलुज नदी के मूल मार्ग से एक बड़ी नदी उत्तरी राजस्थान, बहावलपुर और सिन्ध से होते हुए सतलुज और सिन्ध के मौजूदा मार्ग के दक्षिण पूर्व तक बहती थी। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने भू-भौतिकी विधियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के किसनगढ़-तनीत-तांगेवाला क्षेत्र में अन्वेषण किए हैं तथा पुरा चैनल पर स्थित सत्रह स्थलों में से पांच स्थानों पर ताजा जल प्राप्त किया। ये कुएं भूमि स्तर से 70 से 136 मीटर की गहराई तक खोदे गए और उनसे प्रति मिनट 60 से 1000 लीटर तक जल प्राप्त हुआ। समस्थानिक अध्ययनों के जरिए जल की आयु का पता लगाने के लिए यह अध्ययन जारी है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले वर्ष कोलकाता में सिंचाई एवं जल राज्य मंत्री द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यह निचली सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और उसमें सुधार करने से संबंधित एक आम बैठक थी। इस स्कीम के विभिन्न कार्यों में नदी को पुन: खण्डों में विभाजित करना और उसे पक्का करना, मौजूदा संरचनाओं को चौड़ा करना तथा नई संरचनाओं का निर्माण इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को निधियां

4285. **श्री किरीट सोमैया:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को जारी की गई निधियों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	जारी की गई निधियां
1998-99	1719.15
1999-2000	660.60
2000-2001	461.14

पिछले तीन वर्षों (1998-1999 से 2000-2001 तक) के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत खेत संबंधी विकास (ओएफडी) कार्यों के मुख्य घटकों अर्थात खेत चैनलों, खेत नालियों और बाराबंदी के लिए निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

(क्षेत्र हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	खेत चैनल		खेत नाली		बाराबंदी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1998-99	30.80	23.89	30.80	23.89	29.00	7.40
1999-2000	49.00	22.64	49.00	22.64	14.50	0.25
2000-2001	41.50	30.00 (संभावित)	41.50	30.00 (संभावित)	*निर्धारित नहीं है	शून्य

*प्रशासनिक कारणों से वर्ष 2000-2001 के दौरान बाराबंदी संबंधी कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

कर्नाटक में भू-जल स्तर को बढ़ाना

4286. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने उनके मंत्रालय के साथ मिलकर कर्नाटक में भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं के कब तक लागू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबधी अध्ययन" पर अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक आधार पर भूमि जल पुनर्भरण प्रयोग और वर्षा जल संचयन किया है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। बोर्ड ने कर्नाटक में गौरीदिदानुर और मुलबागल तालुकों में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन पूरे कर लिए हैं। इस बोर्ड ने उक्त क्षेत्र में जल उपलब्धता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न पुनर्भरण कार्यों को शुरू करने के वास्ते 13.75 लाख रुपये की लागत से बंगलौर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया है। यह कार्य जून, 2001 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों का आबंटन

4287. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों के आबंटन की प्रक्रिया संशोधित और सरलीकृत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

सिद्धमुख-रत्नपुरा सिंचाई परियोजना

4288. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में सिद्धमुख-रत्नपुरा सिंचाई परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना को कार्यान्वित न किये जाने के कारण कितने गांव प्रभावित हुए हैं; और

(घ) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) निधियों की कमी के कारण सिद्धमुख-रत्नपुरा सहायक नदी-उप परियोजना पर निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इस परियोजना से कुल 38 गांवों को लाभ पहुंचेगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

नागपुर में मूलभूत टेलीफोन-सेवा

4289. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ह्यूजेस टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड ने अक्तूबर, 2000 से नागपुर में अपनी मूलभूत टेलीफोन-सेवाएं प्रारम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी को गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों में बेसिक टेलिफोनी के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा 2001-2002 के दौरान कितने बेसिक टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उस पर कुल कितना व्यय किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) ह्यूजेस टेलीकॉम (इंडिया) लि. ने मार्च, 2001 में नागपुर में बेसिक टेलीफोन-सेवा शुरू की है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उक्त कम्पनी ने बताया है कि 2001-2002 के दौरान लगभग एक लाख बेसिक टेलीफोन-कनेक्शन जारी किए जाने तथा कुल लगभग 1800 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है।

डाक टिकट

4290. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मणिपुर तथा त्रिपुरा की भांति हैदराबाद के चुनिन्दा क्षेत्रों पर भी डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

नि:शुल्क टेलीफोन कनेक्शन

4291. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत कर्मचारियों को नि:शुल्क टेलीफोन प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य पर कितना खर्च किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेहरू युवक केन्द्र

4292. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेहरू युवक केन्द्रों का लाभ गरीब युवकों को पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान समाचार-पत्रों, आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन के जरिए विज्ञापनों पर अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह गरीब युवाओं सहित ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए देश में स्थित 500 जिला नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमो और योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान, इस योजना के प्रचार के लिए विज्ञापन पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कन्नूर विमानपत्तन का विकास

4293. श्री टी. गोविन्दन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कन्नूर विमानपत्तन का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट के तकनीकी पहलुओं तथा नागर विमानन मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल की रिपोर्ट के विचारों में मतभेद को दृष्टि में रखकर, यह निर्णय लिया गया है कि विशेषज्ञों की एक समिति प्रस्ताव की पुन: जांच करें जिसमें प्रचालनों की तकनीकी साध्यता सुरक्षा और पड़ोसी देशों के हवाई अड्डों के वित्तीय व्यवहार्य पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के प्रभाव की छानबीन भी सम्मिलित हो।

जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

4294. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जलपाईगुड़ी तथा सिलीगुड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिलीगुड़ी में लगभग 6500 कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में लाने योग्य हैं। सिलीगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं की गई है। इसलिए वहां पर फिलहाल कोई कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

निविदा में अनियमितताएं

4295. श्री रामजी मांझी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बोधगया में एक भवन तथा उसकी सामग्री की विशिष्टताओं तथा आरेखणों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व

अनुमति के बिना परिवर्तन करने के संबंध में किए गए अनधिकृत व्यय के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में जिम्मेदार पाये गए कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तरण-ताल

4296. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय ओलंपिक स्तर के कितने तरण-ताल हैं;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) पर्याप्त संख्या में ओलंपिक स्तर के तरण-तालों के विकास की गिनरानी कर रहा है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को ऐसे तरण-तालों का निर्माण तथा रख-रखाव करने के लिए प्रोत्साहित करने की भारतीय खेल प्राधिकरण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण के निम्नलिखित स्थानों पर ओलंपिक स्तर के तरण-ताल हैं:-

(1) भा.खे.प्रा. एन.एस. दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर

(2) भा.खे.प्रा. एन.एस. पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर

(3) भा.खे.प्रा. एन.एस.एन.आई.एस. पटियाला

(4) तालकटोरा तरण-ताल, नई दिल्ली

(ख) भारतीय तेल प्राधिकरण अपने क्षेत्रीय केन्द्रों तथा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में ओलंपिक स्तर के तरण-तालों के विकास पर निगरानी रखता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.टी.डी. सुविधा

4297. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रमीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में मांगें सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 24,828 एक्सचेंजों में से केवल लगभग 10.30% केन्द्र एस.टी.डी. सुविधा रहित हैं।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा देने के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के शेष सभी एक्सचेंजों को मार्च, 2002 तक चरणबद्ध तरीके से एस.टी.डी.-सुविधा-युक्त बनाने की योजना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सचेंजों को एस.टी.डी.-प्रावधान की स्थिति

क्रम सं.	सर्किल	कुल ग्रामीण एक्सचेंज	एस.टी.डी.-सुविधा युक्त ग्रामीण एक्सचेंज	एस.टी.डी.-सुविधा दिए जाने वाले ग्रामीण एक्सचेंज
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2333	2333	0
2.	असम	352	352	0

1	2	3	4	5
3.	बिहार	762	762	0
4.	झारखंड	243	239	4
5.	गुजरात	2119	2103	16
6.	हरियाणा	745	494	251
7.	हिमाचल प्रदेश	707	687	20
8.	जम्मू और कश्मीर	149	112	37
9.	कर्नाटक	2048	2048	0
10.	केरल	748	748	0
11.	मध्य प्रदेश	2229	1903	326
12.	छत्तीसगढ़	413	247	166
13.	महाराष्ट्र	3834	2961	873
14.	गोवा	57	57	0
15.	अरुणाचल प्रदेश	84	56	28
16.	मणिपुर	22	18	4
17.	मेघालय	61	53	8
18.	मिजोरम	40	18	22
19.	नागालैण्ड	37	24	13
20.	त्रिपुरा	50	44	6
21.	उड़ीसा	823	794	29
22.	पंजाब	1043	1002	41
23.	राजस्थान	1762	1417	345
24.	तमिलनाडु	803	803	0
25.	उत्तर प्रदेश	2067	1868	199
26.	उत्तरांचल	314	239	75
27.	पश्चिम बंगाल	918	824	94
28.	सिक्किम	30	29	1
29.	दिल्ली (यूटी)	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार (यूटी)	35	35	0
	योग	24828	22270	2558

विमान अपहरण की घटनाएं

4298. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में विमान के अपहरण की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विमान अपहरण के संबंध में व्यापक नीति तैयार करने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) सरकार इस मामले को लेकर चिन्तित है। नागर विमानन प्रचालनों में ऐसे विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप के पूर्व-निवारण के लिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाया जाना, हवाई अड्डों पर सीढ़ी पर चढ़ते समय छानबीन किया जाना, तात्कालिक आधार पर कुछ चुने हुए मार्गों पर स्काई मार्शलों को लगाया जाना, सुरक्षा कर्मियों तथा कॉकपिट/केबिन कर्मीदलों को वृहत् प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

सिंचाई योजनाओं को मंजूरी

4299. श्री रामानन्द सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की उन सिंचाई योजनाओं का जिलेवार ब्यौरा क्या है जो इस समय केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) उक्त राज्य की सभी सिंचाई योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सतना जिले में पाटना जलाशय योजना का कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1998 से फरवरी, 2001 तक के तीन वर्षों के दौरान वानिकी मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत सभी सिंचाई स्कीमों में से गुना जिले में सुमेरी टैंक के निर्माण और इन्दौर जिले में नहारखेड़ी सिंचाई परियोजना नामक दो प्रस्तावों पर अपेक्षित विवरणों के अभाव में निर्णय नहीं लिया जा सका है। राज्य सरकार से यह विवरण क्रमशः 16.8.99 और 21.12.2000 को मांगे गए थे। चूंकि राज्य सरकार से मांगे गए विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) और (घ) मंत्रालय को सतना जिले में पाटना जलाशय स्कीम की वानिकी मंजूरी के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फैक्ट्रियों द्वारा गंगा को प्रदूषित किया जाना

4300. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन फैक्ट्रियों द्वारा गंगा नदी में किस प्रकार का बहिस्राव छोड़ा जा रहा है;

(ग) गंगा नदी को अब तक प्रदूषणमुक्त न बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) कुल 187 औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें अपने बहिस्रावों को गंगा नदी में प्रवाहित करने वाली इकाइयों के रूप में पहचाना गया है, में 112 इकाइयों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं। 31 संयंत्र बन्द हैं और 44 इकाइयां दोषी हैं। दोषी इकाइयों की राज्य वार स्थिति नीचे दर्शायी गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	औद्योगिक इकाइयों की संख्या
1.	बिहार	00
2.	उत्तर प्रदेश	43
3.	पश्चिम बंगाल	01
	जोड़	44

औद्योगिक इकाइयों जैसे चमड़ा उद्योग, चीनी, मद्य निर्माण शालाएं, लुग्दी व कागज तथा वस्त्र उद्योग आदि से उत्पन्न बहिस्रावों में हाई बाइलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमीकल ऑक्सीजन डिमांड, सस्पेंडिड सोलिड और रंग सम्मिलित होते हैं।

(ग) गंगा कार्य योजना के धीमे क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को जिन कारणों का पता चला है, वे निम्नलिखित हैं:

- राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में अनुभव की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, मुकदमें और न्यायालयी मामले, संविदा संबंधी झगड़े तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियों का अपवर्तन।

- गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत जुटाई गई परिसम्पत्तियों का सही प्रचालन और रख-रखाव न होना।

- पम्पिंग स्टेशनों, मलजल शोधन संयंत्रों और बिजली चलित शवदाह गृहों जैसी परिसंपत्तियों के प्रचालन के लिए अनियमित व अपर्याप्त उपलब्धता।

(घ) गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

- राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जहां कहीं लागू हो वहां भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम रूप से कार्रवाई करें जिसके बाद केवल सम्बद्ध स्कीमों को ही मंजूरी दी जाती है। निधियों के अपवर्तन को कम से कम करने के लिए केन्द्रीय अनुदान जारी करने और राज्य सरकारों द्वारा इसे उपयोग में लाए जाने के संबंध में अधिक सख्ती से मानीटरी की जाती है।

- राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परिसंपत्तियों के लिए जहां कहीं अपेक्षित हो वहां डैडीकेटिड फीडरों की सहायता से सतत बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करें।

नदियों की सफाई

4301. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का कुछ राज्यों में 23 नई नदियों की सफाई करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन नदियों का चयन किया गया है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सफाई कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावनाएं हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों की 23 नई नदियों की सफाई के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हजारी बाग दूरसंचार जिला

4302. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार दूरसंचार जिला सर्कल के अंतर्गत हजारी बाग दूरसंचार जिले की दूरसंचार राजस्व लेखा शाखा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ग्राहकों के खाते में अधिक धन जमा करने और वास्तविक अदाकर्त्ता से इतर अन्य ग्राहकों के खातों में धन जमा करने की धोखाधड़ी के गंभीर मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) यह मामला भुगतान-गणना में धोखाधड़ी, मई '94 से सितंबर '96 की अवधि में उपभोक्ता-रिकॉर्ड-कार्डों में 1.90 करोड़ रुपये कम चढ़ाने, मई ''94 से जुलाई '96 तक 1.90 लाख रुपये के सरकारी राजस्व के दुर्विनियोजन तथा अप्रैल '95 से दिसंबर '95 तक आठ माह के दौरान 8.12 लाख रुपये की एस.टी.डी./आई.एस.डी. की अनधिकृत सुविधा देने से संबंधित है।

(ग) जी हां। मंडल सतर्कता अधिकारी, बिहार दूरसंचार सर्किल के पर्यवेक्षण में एक सतर्कता संबंधी जांच की गई थी।

(घ) उत्तर के भाग (ख) में यथा वर्णित अनियमितताएं सिद्ध हुई हैं।

(ङ) इसमें हजारी बाग दूरसंचार जिले के 6 अधिकारियों की संलिप्तता/चूकों हेतु, नियम 14 के तहत उनके विरुद्ध कड़ी (मेजर) अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

राजौरी और कश्मीर के बीच मुगल सड़क का निर्माण

4303. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घाटी में शेष देश के साथ जोड़ने वाले वैकल्पिक राजमार्ग के रूप में राजौरी और कश्मीर के बीच मुगल सड़क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इसके वित्तीय स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार इस समय साध्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना आदि तैयार कर रही है। परियोजना की अनुमानित लागत और वित्तीय स्रोत के बारे में बता बाना अभी संभाव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन सुरक्षा प्रणाली

4304. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का विमान अपहरण की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय और अन्य हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा प्रणाली में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंध-17 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस संशोधन में कोड-शेयर मानक एयरलाइन सुरक्षा कार्यक्रम प्रारूप, सामंजस्य क्रियाविधि, कार्गों से संबंधित एहतियाती सुरक्षा उपाय, पृष्ठभूमि (रोजगार से पहले ही) जांच पहले ही किया जाना, माननीय तथ्यों का विकास, विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप के प्रबंधन का दायित्व, विमान में सशस्त्र व्यक्तियों की तैनाती और समाचार जनसंपर्क माध्यम द्वारा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाये जाने के बारे में उपबंध शामिल हैं। संशोधित अनुलग्न-17 से सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रभावीपन में वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

जल की कमी

4305. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत नई सहस्त्राब्दि में जल की अत्यधिक कमी वाले देशों में शामिल हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने कि देश सिंचाई प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति में अत्यधिक कटौती का सामना नहीं करेगा, के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4000 बिलियन घन मीटर (वीसीएम) वर्षा होती है। इसमें से लगभग 1869 बिलियन घन मीटर जल विभिन्न नदियों में अपवाह के रूप में बह जाता है। प्राकृतिक जल वैज्ञानिक चक्र के अनुसार, देश में जल उपलब्धता औसत रूप से कमोबेश यथावत बनी रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार वार्षिक रूप से 1000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति से कम की जल उपलब्धता की किसी भी स्थिति को कमी वाली स्थिति माना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता मौजूदा 1869 क्यू. मी. से घटकर 1350 क्यू. मी. हो सकती है। देश में वर्षा की स्थानिक असमानता के कारण तथा जनसंख्या घनत्व में भिन्नता होने के कारण भी अलग-अलग बेसिनों में जल की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता ब्रह्मपुत्र-बराक बेसिन में 14,057 क्यू. मी. से साबरमती बेसिन में 307 क्यू. मी. तक विभिन्न रूपों में रहती है। इसके अतिरिक्त वर्षा में इस अस्थाई भिन्नता के कारण कुछ वर्षों में जल की कमी होती है।

(ख) जल के उपयोग के लिए भण्डारणों के निर्माण सहित जल संसाधनों का विकास राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1995 तक बड़े बांधों के निर्माण के जरिए 177 बी.सी.एम. सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। लगभग 75 बी.सी.एस. अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132 बी.सी.एम. की क्षमता सृजित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। पुनर्भरणीय भूजल 432 बी.सी.एम. है, जिसमें से 154 बी.सी.एम. जल उपयोग के योग्य बनाया गया है। इन भण्डारणों और अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मि.हे. चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं योजना के अंत तक 90 मि.हे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में भारत सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, जिसमें जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार, जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकार और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सहायता दी जाती है। चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता दे रही है।

आईसी-814 विमान अपहरण की जांच में प्रगति

4306. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दिसम्बर, 2000 को काठमांडू से दिल्ली के लिए आईसी-814 विमान के अपहरण की जांच की प्रगति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक किए गए सुरक्षा उपाय सफल सिद्ध नहीं हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच निष्कर्षों में भारतीय सुरक्षा कार्मिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता की कमी का पता चला है;

(घ) क्या ऐसी खबरें मिली हैं कि देश में उड़ान भर रहे विमानों के द्वारा हथियार और निषिद्ध वस्तुएं अभी भी ले जाई जा रही है जिनका पता विमानपत्तनों में की जानी वाली जांच में भी नहीं चल पाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विमान अपहरण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उड़ानों में सख्त सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) दिसम्बर, 1999 में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आईसी-814 के अपहरण के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच अब पूरी हो गई है।

(ख) पर्याप्त सुरक्षा उपाय कर दिये गये हैं।

(ग) भारतीय सुरक्षा कार्मिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता की कोई भी चूक नोटिस में नहीं आई है।

(घ) और (ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान, व्यवधान उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। यदि कोई व्यक्तिगत मामला होता है, इसे कड़ाई से निपटा जाता है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

कामगारों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा

4307. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व मानकों के अनुरूप कामगारों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं प्रदान करना सरकार के लिए बाध्यकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूरे विश्व में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/व्यवसायों

नियोजित कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित श्रम संरक्षण के क्षेत्रों में अभिसमयों, सिफारिशों, रीति संहिता इत्यादि के रूप में विश्व मानक निर्धारित करने वाला अभिकरण है। भारत ने अब तक 38 अं.श्र.सं. अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है।

(घ) विश्व व्यापार सगंठन के किसी भी अनुबंध के अंतर्गत सरकार पर कामगारों को स्वास्थ्य अथवा वातावरण सुरक्षा से संबंधित कोई भी सुरक्षा प्रदान करने की बाध्यता नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नदी तल विद्युत गृह के लिए टर्बोजेनरेटिंग सेट

4308. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना की नदी तल विद्युत गृह के लिए टर्बो जेनरेटिंग सेटों की खरीद में ओवरसीज इकनॉमिक कार्पोरेशन फंड (ओ.सी.ई.एफ.) की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार और सरदार सरोवर परियोजना के अन्य लाभार्थी राज्यों ने जापान से टी.जी. सेटों के आयात के लिए ओ.सी.ई.एफ. के बदले अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक विलम्ब किए बिना सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह को चालू करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने 1995 में टर्बो जेनरेटर सेटों को मंगाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। तथापि, मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन लि. जापान से टर्बो जेनरेटिंग सेटों की खरीद की जा रही है। उन्होंने आपूर्तिकर्त्ताओं की क्रेडिट बढ़ा दी है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग बंद कर दी है।

असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए मजदूरी

4309. श्री ए. नरेन्द्र: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंड/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय उत्पादन और उत्पादकता को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) मूलरूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के हित को संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तथापि, यह अधिनियम न तो न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित करता है न न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संबंधी मानदंड/मानक ही निर्धारित करता है। किसी स्तरीय कार्यप्रणाली के अभाव में, भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1957 में आयोजित अपने सत्र में की गयी सिफारिशों तथा तत्पश्चात् की गयी न्यायिक उद्घोषणाओं को ध्यान में रखा जाता है। मानदंडों में कपड़ों, किराए, ईंधन, प्रकाश, बच्चों की शिक्षा, दवाइयों, मनोरंजन, विवाह, वृद्धावस्था आदि की आवश्यकताएं शामिल हैं।

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों, निर्वाह व्यय, उत्पादकता, भुगतान क्षमता तथा मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय परिस्थितियों जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है।

[हिन्दी]

इंटरनेट सुविधा

4310. डा. अशोक पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना शुरू करने का है जिसके अंतर्गत लोग, जिनके पास कम्प्यूटर और टेलीफोन भी नहीं हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) नीति के अनुसार अधिकृत केबल प्रचालक के माध्यम से बिना अतिरिक्त लाइसेंसिंग के इन्टरनेट की अभिगम्यता की अनुमति है बशर्ते केवल नियमों का पालन हो।

जनसाधारण सेट टॉप बाक्स इस्तेमाल करके केबल के माध्यम से अपना टेलीविजन इस्तेमाल करके इन्टरनेट अभिगम्यता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामले में कम्प्यूटर अथवा टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अथवा आईएसपी द्वारा स्थापित साइबर कैफे/साइबर ढाबा से भी इन्टरनेट की अभिगम्यता प्राप्त की जा सकती है।

[अनुवाद]

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

4311. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक के नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में माजरी के निकट कवाड़ी कोयला खानों में खान ढह जाने के संबंध में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, भद्रावती, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र के न्यायालय में 6.12.2000 को 9 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई, जिनमें एक मुख्य महा प्रबंधक, एक एजेंट, एक पूर्व एजेंट, एक प्रबंधक, एक सहायक प्रबंधक, एक सुरक्षा अधिकारी और तीन अवर प्रबंधक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

दूरसंचार सुविधाएं

4312. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली और मुम्बई में अपने उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक सुविधाओं सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुविधाओं में कुछ निर्धारित समय के भीतर खराब टेलीफोन कनेक्शनों की मरम्मत करना शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में क्या कार्रवाई की जाएगी;

(ङ) क्या एम.टी.एन.एल. ने उपभोक्ताओं को पाक्षिक रीडिंग सुविधा भी प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना प्रभार और समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) एम.टी.एन.एल. ने अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं:

1. डायनामिक एसटीडी/आईएसडी नियंत्रित सुविधा।
2. बेक-अप अलार्म सुविधा।
3. काल अलर्ट (हंटिंग) सुविधा।
4. काल अन्तरण सुविधा।
5. क्लिप सुविधा।
6. संक्षिप्त डायलिंग सुविधा।
7. निम्न के माध्यम से बिलों का आसान भुगतान:-
   * इलैक्ट्रानिक क्लीयरेन्स सिस्टम।
   * स्वैच्छिक जमा योजना।
   * क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान।
8. ग्राहक सेवा केन्द्र तथा संचार हॉट के माध्यम से एकल खिड़की धारणा।
9. शिकायत दर्ज कराने तथा बदले नम्बर आदि के लिए आईवीआरएस।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकतर खराबियां 48 घन्टों के भीतर ठीक की जाती हैं। केबल में खराबी के कारण आए दोष को ठीक होने में कुछ समय लगता है। जिन उपभोक्ताओं के टेलीफोन 7 दिन अथवा इससे अधिक समय तक खराब रहते हैं, उन्हें तदनुसार किराए में छूट दी जाती है।

(ङ) जी, हां।

(च) कोई भी, एक्सचेंज के डिविजन इन्जीनियर प्रभारी से संपर्क करके प्रत्येक पखवाड़े के लिए 2 रुपए भुगतान करके पन्द्रह दिन में मीटर रीडिंग प्राप्त कर सकता है।

टेलीफोन किराया

4313. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर 1992 में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए किराया प्रभारों हेतु शुल्क में संशोधन के बावजूद उनका विभाग पुराने दरों पर बिल जारी कर रहा है जिसके कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) टेलीफोन कनेक्शनों के किराया प्रभारों के लिए नवम्बर, 1992 में कोई टैरिफ संशोधन नहीं किया गया था। तथापि, नवम्बर 1992 के दौरान पट्टे पर दी गयी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं (सर्किटों) के टैरिफ संशोधित किये गये थे। बहुत ही कम मामलों में, पट्टाकृत सर्किटों के लिए बिल पुरानी दरों पर जारी किये गये थे।

(ख) नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक द्वारा यथा उल्लिखित पिछले 3 वर्षों में कम राशि की बिलिंग और इस मामले में की गयी कार्रवाई की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कुछ मामलों में संशोधित टैरिफ के क्रियान्वयन में कुछ विलम्ब हुआ था। उन मामलों में अब संशोधित बिल जारी कर दिये गये हैं।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट—वर्ष	लेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित कम बिलिंग की राशि	वास्तविक राशि, जिसके लिए बिल देय थे और जिन्हें प्रमाणीकरण के पश्चात जारी किया गया था	अब तक वसूली गयी धनराशि
1998	39.97	39.97	39.97
1999	198.43	183.49	44.82
2000	37.40	36.97	22.66

[हिन्दी]

बांधों के निर्माण की गुणवत्ता

4314. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बांधों के निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में नया कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) बांधों के निर्माण की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न संहिताओं, द्वारा नियंत्रित की जाती है। चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन जिसमें निर्माण की गुणवत्ता सहित बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी किस्म की सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव का दायित्व मूलत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। इसलिए, भारत सरकार का इस विषय पर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय समुद्र मार्ग के माध्यम से अवैध प्रव्रजन

4315. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समुद्र मार्ग हाल ही में भारत से पश्चिम एशिया, इस्राइल, पूर्वी यूरोप और अन्य देशों के लिए अवैध प्रवास हेतु नया मार्ग बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच से पता चला है कि अवैध प्रवर्जनकारियों द्वारा अधिकांशतया खाड़ी देशों और पूर्वी यूरोप के मार्गों का उपयोग किया जाता था;

(ग) क्या नये मार्गों के बारे में तुर्की प्राधिकारियों ने अंकरा में भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय समुद्र मार्ग के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार के पास भारत से पश्चिम एशियाई देशों—इस्राइल, पूर्वी यूरोप और अन्य देशों के लिए भारत से अवैध प्रवास हेतु नए मार्गों के रूप में समुद्री जलमार्ग का प्रयोग किए जाने के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है। तथापि, यमन सहित इक्का-दुक्का घटनाएं रही हैं जहां से भारतीय नागरिकों को समुचित कागजात न होने के कारण हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) अंकारा, (तुर्की) स्थित भारतीय दूतावास को अवैध प्रवास हेतु प्रयोग किए गए नए मार्गों के संबंध में तुर्की के प्राधिकारियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जब कभी भी भारतीय नागरिकों को तुर्की में रोके जाने का दावा करते हुए अवैध उत्प्रवासियों को स्वदेश भेजे जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है तो भारतीय दूतावास आवश्यक कार्रवाई करता है।

बाढ़ नियंत्रण

4316. श्री अबुल हसनत खां: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने फरक्का संयंत्र के आसपास बाढ़ के पानी के जमाव की समस्या के समाधान के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए ''वापकोस'' को लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ''वापकोस'' ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या एन.टी.पी.सी. ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) रिपोर्ट के ब्यौरे और उस पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

इस समस्या से निपटने के लिए मैसर्स वापकोस (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं:-

1. रेलवे लाइन और एश डाइक के बीच, एश डाइक के उत्तरी दिशा में और त्रिमोहिनी नाल्ला मुहाने में अतिरिक्त मुहाना संरचनाओं का निर्माण।

2. एश डाइकों के चारों ओर मौजूदा जल निकास का संवर्द्धन।

3. मौजूदा एश स्लरी पाइप ब्रिज का पुन: पता लगाना।

4. बाढ़ों के दौरान फरक्का बराज से पोषक नहर को प्रवाहों का नियमन।

5. खाली पड़े रेलवे तटबंध से होने वाले अवरोधों को हटाना।

6. रिपोर्ट में पहचान किए गए अनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपाय।

उपरोक्त सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए बहुत से अभिकरणों जैसे—फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण, पूर्वोत्तर रेलवे, राज्य सिंचाई विभाग/केन्द्रीय जल आयोग, आदि द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है। एन.टी.पी.सी. ने फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण के साथ जल निकास स्थलों में हो रही वृद्धि पर विचार-विमर्श शुरू किया है।

[हिन्दी]

डाकघरों में पासपोर्ट सेवाएं

4317. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाकघरों में स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई शुल्क राशि स्पीड पोस्ट सेवाओं की तुलना में अधिक है;

(ख) पासपोर्ट कार्यालय द्वारा और डाकघरों में स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवाओं के माध्यम से वसूले जा रहे शुल्क में कितना अंतर है; और

(ग) देश में उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय उक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं। पासपोर्ट सेवा के लिए ली जाने वाली स्पीड पोस्ट दर वही है जो अन्य स्पीड पोस्ट मदों के लिए ली जाती है। तथापि, डाकघर में आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

(ग) उन स्पीड पोस्ट केन्द्रों/डाकघरों की सूची विवरण में दी गई है, जिनमें यह सेवा प्रदान की गई है।

विवरण

केरल:	तिरूवनंतपुरम, कोल्लम, तिरूवल्ला, कोट्टयम, कोच्चि, अल्वै, त्रिशूर, कोजीकोड।
कर्नाटक:	बेंगलूर, मेंगलूर, उदिपी।
मुम्बई:	मुम्बई जीपीओ, अंधेरी एचपीओ।
अहमदाबाद:	नवरंगपुर, पिंडी बाजार, अहमदाबाद एसपीसी, अहमदाबाद जीपीओ।
कोलकाता:	कोलकाता जीपीओ, विधान नगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी।
दिल्ली:	एसपीसी नई दिल्ली, कृष्णनगर एचओ, रमेश नगर एचओ, दिल्ली जीपीओ, कालकाजी डाकघर तथा अशोक विहार एचओ।
हैदराबाद:	हैदराबाद जीपीओ, सिकन्दराबाद एचओ, खैराताबाद, हैदराबाद जुबली एचओ, हुमायुं नगर।
चेन्नई:	एसपी बिजनेस आफिस, आईआईटी डाकघर, वदापलानी डाकघर, अन्ना नगर डाकघर, ट्रिप्लीकेन डाकघर, अन्ना रोड एचपीओ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

4318. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे विद्यमान टेलीफोन-एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू और अगले वित्तीय वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन-एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार, राज्य में कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ङ) इस समय जिलावार कितने पुराने एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार सभी पुराने एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(छ) यदि हां, तो इन्हें कब तक बदले जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में सभी एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की कुल संख्या 3272 है।

(ङ) शून्य।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

4319. **श्री शिवराजसिंह चौहान:**
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विमानन सुविधाएं हेतु शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं/परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार परियोजना के पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में आरंभ की गयी विमानन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

- भोपाल हवाई अड्डे पर 5.53 करोड़ रुपए की लागत पर धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का पुन:सतहलेपन और 4.48 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल भवन का विस्तार कार्य 1998 में पूरा हो गया था। विवादग्रस्त हो जाने के कारण, चारदीवारी के निर्माण का कार्य रुका पड़ा है।
- रायपुर हवाई अड्डे पर, 8.55 करोड़ रुपए की लागत से नये टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य 1998 में पूरा हो गया था
- इन्दौर हवाई अड्डे पर 5.76 करोड़ रुपए की लागत से तकनीकी ब्लॉक व नियंत्रण टावर के निर्माण का कार्य दिसम्बर, 1999 में पूरा हो गया था।
- जबलपुर हवाई अड्डे पर 11.76 करोड़ रुपए की लागत से बी-737 विमानों के प्रचालन के लिए धावनपथ के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का कार्य दिसम्बर, 1998 में पूरा हो गया था।
- खजुराहो हवाई अड्डे पर 27 लाख रुपए की लागत से स्टराइल लाउंज के वातानुकूलन का संस्थापन नवम्बर, 1998 में किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिजनेस डिपार्टमेंट डाइरेक्टोरेट

4320. श्री रामदास रुपला गावीत:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाकघरों में लाभ आधारित सेवाएं/गतिविधियां शुरू करने के लिए बिजनेस डिपार्टमेंट डाइरेक्टोरेट स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग के प्रीमियम उत्पादों को डिजाइन करने, विकसित करने तथा उनका विपणन करने के लिए व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना 1996 में की गई थी। व्यवसाय विकास निदेशालय के दायित्व निम्नानुसार हैं:-

- वर्तमान मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं का विस्तार तथा प्रोत्साहन।
- नए मूल्यवर्धित उत्पादों तथा सेवाओं को डिजाइन करना और उनकी शुरूआत।
- उनकी बिक्री तथा नेटवर्किंग के लिए पद्धतियां, विनियम तथा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना।
- बाजार अध्ययन, बाजार परीक्षण तथा उत्पादों में सुधार।
- बाजार नीतियां, संबंध और सहयोग।
- कार्मिकों को प्रशिक्षण।
- मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं के विकास की मॉनीटरिंग और पुनरीक्षण।

ई.एस.आई. अस्पतालों का निजीकरण

4321. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ ई.एस.आई. अस्पतालों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ई.एस.आई. सुविधाभोगी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है, केवल दिल्ली और नोएडा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इसका प्रशासन सीधे किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम

ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में स्टाफ की व्यवस्था करने और उसे सज्जित करने के मानक/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। निगम अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देखरेख पर होने वाले व्यय के 7/8 भाग का वहन करता है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा देखरेख सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है और उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया है। कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपकरण प्रणाली का प्रावधान, औषधालयों में आवश्यक मूलभूत उपकरणों की आपूर्ति, क्षेत्रीय ट्राउमा केन्द्रों, उच्च विशेषज्ञता सेवा में, ब्लड बैंकों, कैंसर इलाज केन्द्रों की स्थापना, देशी औषधि प्रणाली का विकास और उच्च विशेषज्ञता इलाज के लिए प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के साथ टाई-अप व्यवस्था शामिल है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशकों के स्तर पर एक चक्रीय निधि की भी स्थापना की गई है ताकि उच्च विशेषज्ञता इलाज पर बीमित व्यक्तियों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की तुरन्त प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके। हाल ही में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आजादपुर, सर्वोदय नगर और किदवई नगर कानपुर में तीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अल्प बिस्तर अधिभोगिता की समीक्षा की गई है और इन अस्पतालों के इण्टतम उपयोग के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन

4322. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यावरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन करने के लिए धनराशि जारी करने के विषय में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने धनराशि जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां। कर्नाटक के हास्पेट बेल्लेरी क्षेत्र में खनन् के पट्टे अत्यधिक अव्यवस्थित तथा बिखरे हुए तरीके खोले गए थे जिसके कारण पर्यावरणीय अवक्रमण हो रहा था। इसे देखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार से किसी विख्यात संस्था द्वारा क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तथा वहन क्षमता अध्ययन करने का अनुरोध किया था ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके और क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालीन खनन नीति तैयार की जा सके। राज्य सरकार ने 1.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इन अध्ययनों को प्रारम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें कर्नाटक सरकार ने धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) चूंकि मंत्रालय के पास ऐसे अध्ययन करवाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं इसलिए खनन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर से यह अध्ययन कराए।

इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर की उड़ानों में तकनीकी खराबी

4323. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एयरलाइनों के पायलटों ने बार-बार होने वाली तकनीकी खराबियों का अनुभव किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर की उन उड़ानों का ब्यौरा क्या है जिनमें तकनीकी खराबियां आयी और उन तकनीकी खराबियों की प्रकृति क्या थी;

(ग) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर की उड़ानों का तकनीकी खराबियों से मुक्त-संचालन को सुनिश्चित किए जाने हेतु कोई कार्यविधि तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) वर्ष 1998 से 2000 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एअर की 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक की उड़ानों में तकनीकी खराबी पाई गई। बार-बार होने वाली खराबी के पहलुओं पर दैनिक बैठकों में समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है और सुधारात्मक/उपचारी कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) उड़ानों के दौरान विमानगत तकनीकी खराबी/खामियों के रिकार्डिंग रिपोर्टिंग उपचारात्मक कार्रवाई, अन्वेषण और

विश्लेषण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षा-खंड-2-उडनयोग्यता श्रेणी-ग, भाग-1 और भाग-2 में वृहत् अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया है।

[हिन्दी]

चंदौसी दूरभाष-केन्द्र

4324. **श्री दिलीप संघाणी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के चंदौसी दूरभाष-केन्द्र में उपभोक्ता-शिकायतों के निपटान और बिलों के अधिक प्रभार की विद्यमान अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ता-शिकायतों के तीव्र निपटान और उनके द्वारा की गई कॉलों के उचित बिल बनाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निपटान व समुचित बिलिंग हेतु, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) चन्दौसी में एफआरएस कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

(2) संबंधित एसडीई/डीई प्रतिदिन 1500 से 1700 बजे तक उपभोक्ताओं की सेवा में हाजिर रहते हैं।

(3) चन्दौसी में विस्तृत बिल-सुविधा प्रारम्भ की जा रही है।

(4) वहां कम्प्यूटरीकृत बिल जारी किए जा रहे हैं।

नेहरू युवा केन्द्रों को बंद किया जाना

4325. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेहरू युवा केन्द्रों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या क्या है जिसके विरुद्ध उनकी असक्रियता की वजह से कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार का नेहरू युवा केन्द्रों को बंद करने का कोई विचार नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी विकास योजना

4326. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से संबंधित विकास योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लक्षित लंबाई को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों की विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है और अब तक किए गए कार्य का प्रतिशत क्या है; और

(ग) यदि हां, तो खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं और देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के विकास को गति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) उत्तर प्रदेश के संबंध में विकास स्कीमों के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णत: प्राप्त किए गए। झारखंड जिसका गठन 15.11.2000 को किया गया था, के संबंध में निर्धारित लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के मामले में प्रश्न नहीं उठता। झारखंड के मामले में 5% की मामूली गिरावट बिहार राज्य से इसके अलग होने के फलस्वरूप कार्य सौंपने में देरी के कारण आई।

विवरण

उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

मदें		वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश							
1.	कार्यों की संख्या	50	53	50	50	50	51
2.	दो लेन की कमजोर सड़कों का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	85	85	60	80	80	80
3.	सड़क गुणता सुधार कार्य (कि.मी.) (आई.आर.क्यू.पी.)	-	-	185	185	197	197
झारखंड							
1.	दो लेन की कमजोर सड़कों का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	-	-	-	-	15	14
2.	सड़क गुणता सुधार कार्य (कि.मी.) (आई.आर.क्यू.पी.)	-	-	-	-	40	37.80

ग्रामीण दूरभाष केन्द्र

4327. श्री मानसिंह पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के मांडवी क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) एक माह से खराब पड़े ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) गुजरात के माण्डवी क्षेत्र में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 35 है।

(ख) माण्डवी क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज एक महीने से खराब नहीं पड़ा हुआ है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

4328. श्री हरिभाई चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की वे प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है;

(ख) उन परियोजनाओं को कब आरंभ किया गया था और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इनके पूरा होने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इनकी मूल लागत और विलंब लागत कितनी है; और

(ङ) अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन पर कितनी लागत आएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क), (ख) और (घ) गुजरात की चल रही वृहद सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। किसी परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारक—इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, भू-भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है और इतना ही महत्व की प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न परियोजना को राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधियों का होता है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में देरी वन स्वीकृति, विस्थापितों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास तथा निधियों की कमी के कारण हुई।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

नौवीं योजना की चल रही परियोजनाए—वृहद परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू हुई	लागत (करोड़ रुपये)	
			अनुमोदित लागत	बढ़ी लागत
1.	दमनगंगा	IV	24.40	248.38
2.	पानम	IV	10.67	96.112
3.	साबरमती	IV	17.59	105.98
	-माही बजाज सागर (गुजरात हिस्सा लागत)	IV	12.61	-
4.	करजन	V	37.20	243.78
5.	सुखी	V	23.11	98.25
6.	सिपु	वा.यो. 1978-80	18.80	83.64
7.	वतरक	वा.यो. 1978-80	43.70	20.07
8.	सरदार सरोवर (नर्मदा)	VI	4655.52	5500.75
9.	जंखारी	VI	18.70	71.3

बढ़ी हुई लागत अर्थात "नवीनतम अनुमानित लागत—अनुमोदित लागत"

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	व्यय की जाने वाली संभावित शेष लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	6417
2.	असम	4	224
3.	बिहार	8	1945
4.	झारखण्ड	7	2633
5.	गोवा	1	420
6.	गुजरात	9	6306
7.	हरियाणा	5	304

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1	136
9.	जम्मू व कश्मीर	1	28
10.	कर्नाटक	14	6866
11.	केरल	7	1338
12.	मध्य प्रदेश	19	6732
13.	छत्तीसगढ़	5	1162
14.	महाराष्ट्र	44	12272
15.	मणिपुर	2	326
16.	उड़ीसा	6	3741
17.	पंजाब	–	142
18.	राजस्थान	6	3314
19.	उत्तर प्रदेश	16	4948
20.	उत्तरांचल	1	409
21.	पश्चिम बंगाल	3	1143
	कुल	171	60806

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

4329. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री राजो सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण किए जाने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रत्येक राज्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित पुलों की संख्या कितनी है;

(घ) देश में विभिन्न नदियों पर पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) शीघ्र मंजूरी दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या ज्यादातर पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य समय से पीछे चल रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों तथा 2001-2002 में निर्माण के लिए प्रस्तावित पुलों के ब्योरे दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(घ) लंबित प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे उपर्युक्त अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ) लंबित प्रस्ताव, स्वीकृति के लिए चालू वार्षिक योजना में शामिल किए गए हैं।

(च) और (छ) भूमि अधिग्रहण की समस्या, संविदा संबंधी समस्या, वास्तविक कार्यस्थल स्थिति के कारण यथा आवश्यक तकनीकी ब्यौरों की समीक्षा आदि के कारण कुछ पुलों के निर्माण में विलंब हुआ।

विवरण

प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों तथा 2001-2002 के लिए प्रस्तावों और लंबित प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	(क) 1998-2001 में प्राप्त प्रस्ताव	(ख) स्वीकृत प्रस्ताव	(ग) 2001-2002 में प्रस्ताव	(घ) लंबित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12	12	13	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1	1	14	1
4.	बिहार	19	19	11	–
	झारखंड	2	2	11	–
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–
6.	दिल्ली	1	1	–	–
7.	गोवा	1	1	1	–
8.	गुजरात	4	–	1	–
9.	हरियाणा	2	2	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	2	2	–	–
11.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	10	10	5	–
13.	केरल	6	6	12	–
14.	मध्य प्रदेश	18	18	5	–
	छत्तीसगढ़	1	1	18	–
15.	महाराष्ट्र	27	27	19	–
16.	मणिपुर	–	–	15	–
17.	मेघालय	6	6	9	–
18.	नागालैंड	1	1	2	–
	मिजोरम	–	–	7	–
19.	उड़ीसा	9	6	8	3
20.	पांडिचेरी	–	–	2	–
21.	पंजाब	1	1	–	–
22.	राजस्थान	2	2	1	–
23.	तमिलनाडु	10	10	10	–
24.	उत्तर प्रदेश	15	4	15	6
	उत्तरांचल	–	–	8	–
25.	पश्चिम बंगाल	11	10	6	–

तरण-ताल का निर्माण

4330. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर के भवरताल में तरण ताल के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि कितनी है;

(ख) क्या निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तरण-ताल के संचालन का कार्य किस अभिकरण को सौंपा गया है;

(घ) क्या तरण-ताल के निर्माण में कोई कमी पाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या तरण ताल में कोई डायविंग बोर्ड प्लेफार्म का निर्माण नहीं किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर के भवरताल में तरण-ताल के निर्माण के लिए 43.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई थी। उपर्युक्त धनराशि में से 21.12.94 को 25.00 लाख रु. की रकम प्रथम किस्त के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को जारी की गयी है।

(ख) से (छ) राज्य सरकार से मंगाये गये अपेक्षित ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

4331. श्री वाई.जी. महाजन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र के जलगांव एवं धुलिया जिलों में कार्यरत नए रेल इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान और अधिक दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रानिक केन्द्रों में परिवर्तित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितना धन आवंटित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव और धुलिया जिलों में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1.	जलगांव	208
2.	धुलिया	85

(ख) महाराष्ट्र सर्किल के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों इलेक्ट्रानिक हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों से क्षेत्रों को जोड़ना

4332. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डकैत प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं;

(ख) राजस्थान और मध्य प्रदेश के संपूर्ण डकैत प्रभावित क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से नहीं जोड़े जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान को शियोपुर होकर शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) देश के विभिन्न भागों से गुजरने वाले 172 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 57737 कि.मी. है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग खंड जैसे मध्य प्रदेश में रा.रा.-3 और 92, पश्चिम बंगाल में रा.रा.-34, उत्तर प्रदेश में रा.रा.-2, 25, 91, 92 और 93 और राजस्थान में रा.रा.-3 और 76 डाकू आक्रांत क्षेत्रों से गुजरते हैं।

(ख) देश के डाकू आक्रांत क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ना राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मानदंड नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जामनगर में राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण्य/उद्यान

4333. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस उद्योग ने अलग से सी.आर.आई. मंजूरी प्राप्त किए बिना जामनगर में राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण्य/उद्यान में पोतघाट और समुद्री सुविधाओं का निर्माण किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के उल्लंघनों और उक्त अभ्यारण्य/उद्यान को हुए नुकसान पर सरकार द्वारा किस तरह से निगरानी किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जैटी और उससे जुड़ी समुद्रीय सुविधाएं, रिलायंस उद्योग की रिफायनरी परियोजना प्रस्ताव का एक हिस्सा थी, जिसे सितम्बर, 1995 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। मंजूरी प्रदान करते समय समुद्रीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया गया था। इस प्रकार तटीय विनियमन जोन की कोई अलग से मंजूरी नहीं दी गई।

(घ) गुजरात सरकार और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल गुणता की नियमित मानीटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे निर्माण से अभ्यारण्य/उद्यान का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

तटीय पर्यावरण के संरक्षण और इसकी गुणता में सुधार लाने के लिए तथा गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी किया है।

इंटरनेट पर यात्रियों की टिकट-बुकिंग

4334. **श्री विजय गोयल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विमान कंपनियों ने इंटरनेट के माध्यम से यात्रियों की टिकट-बुकिंग आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस प्रणाली को कब तक अपनाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एयरलाइन अथवा एयरलाइन के एजेंटों से टिकट प्राप्त करने में आ रही कठिनाई से यात्रियों को मुक्ति दिलाने के लिए पिछले कुछ सालों से *अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक परिवहन संघ (आयटा)* ने इलैक्ट्रानिक बुकिंग शुरू करने पर विचार किया है। विकसित देशों में कुछ एयरलाइनों द्वारा सीमित रूप में यह प्रक्रिया शुरू की गई है। यद्यपि, रिपोर्ट मिली है कि यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने से पूर्व यात्रियों की पहचान में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इसे देखते हुए, भारत में इस प्रक्रिया को अपनाए जाने में और अधिक सुरक्षा पहलुओं पर संभवतः गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

[हिन्दी]

जाली प्रदूषण-मुक्त प्रमाण-पत्र

4335. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई प्रदूषणकारी कारखानों/उद्योगों को जाली ''प्रदूषणमुक्त'' के प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य को करने वाले अभिकरणों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन अभिकरणों पर अंकुश रखने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) इस तरह की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सहमति तंत्र (कन्सेंट मैकेनिजम) के संबंध में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समय-

समय पर विचार-विमर्श कर रही है। इस सहमति तंत्र को सरल तथा कारगर बनाने के लिए समान सहमति प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और इन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास उनके संदर्भ व प्रयोग के लिए भेजा गया है।

रांची में दूरभाष सेवाएं

4336. श्री राम टहल चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में, विशेषकर रांची में दूरभाष सेवाओं को असंतोषजनक पाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार-सेवाओं में सुधार लाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेवाओं में चरणबद्ध तरीके से सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) और अधिक भूमिगत केबल बिछाना;

(2) 5 पेयर केबिलों और डीपी-बक्सों का प्रयोग;

(3) विश्वसनीय पारेषण-मीडिया का प्रावधान;

(4) दोष-सुधार सेवा का कम्प्यूटरीकरण;

(5) जहां संभाव हो, वहां लाइन-स्टाफ को पेजर्स उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

सांख्य वाहिनी परियोजना

4337. श्री अनन्त नायक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांख्य वाहिनी परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग के स्थान पर भारत संचार निगम लिमिटेड के नया भागीदार बनने के पश्चात् कुछ नई शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सांख्य वाहिनी परियोजना सूचना-प्रौद्योगिकी व साफ्टवेयर-विकास से संबंधित राष्ट्रीय कार्यदल के प्रौद्योगिकी-लक्ष्य के तौर पर तैयार की गई है। परियोजना का उद्देश्य भारत में शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक तथा निजी निगमों, सेवा-प्रदाताओं, व्यक्ति विशेष आदि के लाभ के लिए ज्ञानार्जन, प्रशिक्षण देने, अनुसंधान तथा अन्य मल्टीमीडिया गतिविधियों के लिए उच्च गति डाटा नेटवर्क स्थापित करना है। सांख्य-वाहिनी नेटवर्क 2.5 गिगा बिट्स प्रति सैकिण्ड की क्षमता-सहित जैसे डेन्स वेव डिवीजन मल्टीप्लेकि संग (डी.डब्ल्यू.डी.एम.) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, 40 गिगा बिट्स प्रति सैकिण्ड तक बढ़ाया जा सकता है, बहुत विश्वसनीय होगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। परियोजना प्रस्ताव-स्तर पर है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण

4338. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राज्यवार सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन-कौन से हैं; और

(ख) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान ऐसे राज्यों में प्रदूषण स्तर में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) निम्नलिखित शहरों के कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर चिंतनीय स्तर पर पहुंच चुके हैं:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शहर
1	2
बिहार	पटना
	धनबाद
	जमशेदपुर
दिल्ली	दिल्ली

1	2
हिमाचल प्रदेश	परवाणु
कर्नाटक	बंगलौर
महाराष्ट्र	शोलापुर
	नासिक
	पुणे
मध्य प्रदेश	भोपाल
	इन्दौर
	भिलाई
	रायपुर
राजस्थान	अलवर
	उदयपुर
	जयपुर
	जोधपुर
	कोटा
तमिलनाडु	मदुराई
उत्तर प्रदेश	देहरादून
	गजरौला
	कानपुर
	वाराणसी
	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
चंडीगढ़	चंडीगढ़

(ख) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु कदम उठाए गए हैं।

* लघु उद्योगों में प्रदूषण निवारण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बेहतर कार्य अभ्यासों तथा ऊर्जा संरक्षण तकनीकों के अंगीकरण के उद्देश्य से अनेक अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कल स्थापित किए गए हैं।

- ऑटोमोबाइलों से उत्पन्न प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कठोर उत्सर्जन मानक, बड़े शहरों में सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत, केटेलिटिक कन्वर्टर की स्थापना, निम्न सल्फरयुक्त ईंधन तथा ईंधन गुणवत्ता में सुधार किया गया।

- अधिकतर क्षेत्रों में लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के समूहों में सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) स्थापित किए गए हैं।

- देश भर में परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

- उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) ने दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

खनन हेतु विदेशी कम्पनियों से सहायता

4339. श्री रामदास आठवले: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान खनन कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में खनन कार्य के संबंध में विदेशी संस्थानों से कोई तकनीकी सहायता मांगी गई है मांगे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के लिए किन-किन विदेशी कम्पनियों से सहायता मांगी गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

बहुत क्षेत्रों में आरम्भ किए गए खनन कार्य के बारे में पृथक सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुत क्षेत्र जहां खनन कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र राज्य में अमरावती, भण्डारा, चन्द्रपुर, गडचिरोली, गोडिया और नागपुर; मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट, बेतुल, छिन्दवाडा, धार, झबुआ, खारगांव और सिओनी; और छत्तीसगढ़ राज्य में जाशपुर, कोरबा, जंजगीर, चम्पा, कांकेर, दन्तेवाडा, रायगढ़, राजनंदगांव और दुर्ग।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, फ्रांस की सहायता से कैपेसिटी बिल्डिंग ऐट स्टेट लेवल फॉर मिनरल डेवलेपमेंट एण्ड इन्वाइरनमेंट मैनेजमेंट पर एक परियोजना तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

4340. श्री साहिब सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम क्या हैं;

(ख) इस परियोजना को कितने चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) प्रथम दो चरणों में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त पोषण में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है; और

(ङ) इन राजमार्गों पर भीड़-भाड़ की समस्या के समाधान हेतु इस परियोजना के आयोजना विकास और निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार गति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) का इन सभी क्षेत्रों पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ख) और (ग) इस परियोजना के 2 घटक हैं—4 महानगरों को जोड़ने वाला दिल्ली-मुम्बई-चेन्नई-कोलकाता-दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज पर 643 कि.मी. और उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर 648 कि.मी. लम्बाई पूरी कर ली गई है। समग्र स्वर्णिण चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग को क्रमशः दिसम्बर 2003 और दिसम्बर, 2007 तक पूरा किया जाना है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को निम्नवत वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है:-

स्रोत	(1999 के मूल्य पर करोड़ रु.)
पेट्रोल और डीजल पर उपकर	20,000
विदेशी सहायता	20,000
बाजार ऋण	10,000
निजी क्षेत्र की भागीदारी	4,000
जोड़	54,000

(ङ) ये परियोजनाएं प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं द्वारा नियोजित एवं तैयार की जा रही है, अनुभवी ठेकेदारों द्वारा निष्पादित की जा रही है, विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इन उपायों से परियोजनाओं पर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी।

आप्टिकल फाइबर केबल

4341. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या संचार मंत्री 31 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताल (हमीरपुर) दूरभाष-केन्द्र और पुणे-केन्द्र में वर्तमान में व्यस्त लाइनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ताल-केन्द्र को अब माइक्रोवेव-प्रणाली के माध्यम से हमीरपुर से जोड़ दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को ताल-केन्द्र के उपभोक्ताओं की लाइनों की उपलब्धता से संबंधित समस्या की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ताल-केन्द्र को हमीरपुर के साथ माइक्रोवेव अथवा आप्टिकल फाइबर केबल से कब तक सीधे जोड़े जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय ताल (हमीरपुर) तथा पुणे-एक्सचेंज में उपयोग की गई लाइनों की कुल संख्या

	ताल	पुणे
सज्जित क्षमता	1,000	6,26,452
चालू कनेक्शन	795	5,47,062

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अगस्त, 2001 तक ताल को ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली के विश्वसनीय माध्यम पर हमीरपुर से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

जलाशयों की संचयन स्थिति

4342. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रमुख जलाशयों की वर्तमान संचयन स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में औसत क्षमता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिसम्बर, 1990 की तुलना में दिसम्बर, 2000 के अंत में इन जलाशयों की संचयन स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग 70 महत्वपूर्ण बड़े जलाशयों के भंडारण स्थिति की मानीटरी कर रहा है। जिसकी फुल अभिकल्पित सक्रिय भंडारण क्षमता 130.553 बिलियन घन मीटर है। 9 अप्रैल, 2001 को इन 70 जलाशयों की मानीटरिंग स्थिति के अनुसार इस वर्ष और पिछले वर्ष की सक्रिय भंडारण के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

जलाशय क्षमता (बि.घ.मी.)

इस मौसम में	पिछले मौसम में	पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की सक्रिय क्षमता का%
31.101	45.974	67.6

जलाशयों में कम भंडारण होने का मुख्य कारण जलशयों के आवाह क्षेत्रों में कम वर्षा होना है।

(ग) दिसम्बर, 2000 के अन्त तक मानीटर किए जा रहे 70 जलाशयों का सक्रिय भंडारण 63.812 बिलियन घन मीटर था जबकि दिसम्बर, 1990 के अन्त तक मानीटर किए गए 58 जलाशयों का सक्रिय भंडारण 80.072 बिलियन घन मीटर था।

(घ) राज्य सरकारों को इन जलाशयों को अत्यन्त सावधानी से नियंत्रित करने की सलाह दी है क्योंकि आगामी मानसून तक भंडारण में पर्याप्त रूप में सुधार होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ उपलब्ध जल के संरक्षण और अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए जाने भी आवश्यक हैं। निम्नलिखित उपाय विचार और अपनाए जाने के लिए सुझाए गए हैं:

(1) राज्य कृषि विभाग के परामर्श से जल की संभावित कमी और सिंचाई के वास्ते कमी करने को ध्यान में रखते हुए जलाशय से जल छोड़े जाने वाले जल को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(2) जलाशय से जल छोड़े जाते समय, पेय जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जून, 2001 तक क्षेत्र को पोषित करने के वास्ते पेय जल आवश्यकताओं को पूरा करने की समुचित योजना की जानी चाहिए।

(3) जल विद्युत/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में, जहां पर जलाशय में भंडारण काफी कम है, अगले मानसून के आने तक पेय जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत पैदा करने के लिए जल छोड़ा जाए।

जलाशयों में जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जल के अंतर्बेसिन हस्तांतरण का अध्ययन भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खेलकूद सम्मेलन

4343. श्री राजो सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितनी राष्ट्रीय खेलकूद संगोष्ठियों का आयोजन किया गया; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा

किसी भी राज्य में कोई राष्ट्रीय खेल सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

4344. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने महानगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने हेतु वर्ष 1996 में दिशानिर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगरों के नगरपालिका निकाय उक्त दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है;

(ङ) क्या न्यायालय ने मुम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में स्वच्छता की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(छ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने हेतु महानगरों के नगरपालिका निकायों को सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देश क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क), (ख) और (ङ) से (छ) रिट याचिका संख्या 881/96 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8.1.1998 के निर्णय में देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने और भारत के श्रेणी-1 के शहरों जिनमें मुंबई, चैन्नई, कोलकता और बंगलूर शामिल हैं, में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाने के संबंध में सुझाव देन के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 25 मार्च, 1999 को प्रस्तुत कर दी थी जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी।

(1) संग्रहण परिवहन पृथक्करण उपचार और अंतिम निपटान की प्रणाली का आधुनिकीकरण खुले में कूड़े-करकट के भण्डारण और गलियों के अस्वस्थकर कूड़ेदानों को समाप्त करना।

(2) कामगारों द्वारा अपशिष्ट भरण की पद्धति को समाप्त करना और प्राइमरी संग्रहण प्रणाली और भारी मात्रा में भण्डारण की समकालिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

(3) सार्वजनिक और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से विकेन्द्रित संयुक्त प्रणाली।

(4) शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता देना और उन्हें परती भूमि का आवंटन।

(5) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन बनाना, और

(6) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न शहरों के लिए समय सीमा निश्चित करना।

(ग), (घ) और (ज) इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 25 सितम्बर, 2000 को नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 को अंतिम रूप से प्रकाशित किया इन नियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था है।

- नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान;
- भूमि भरण स्थलों के लिए चयन, प्रचालन और निगरानी के लिए मानदण्ड;
- भूमिभरण से सम्मिश्र तरल बहाव उपचार के लिए मानदण्ड;
- नगरीय प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और
- निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन समय सूची तैयार करना।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 18 अगस्त, 1999 को पांच वर्ष की अवधि के लिए एक प्रौद्योगिकी परामर्श ग्रुप का गठन किया है जिसका कार्य प्रक्रिया और निपटान के लिए परीक्षित प्रौद्योगिकियों का पता लगाना, उपयुक्त प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना, विभिन्न मंत्रालयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं

के लिए निर्धारित राशियां देना, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को विकसित करना, शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण संवर्धन आदि है। तकनीकी परामर्श ग्रुप ने जनवरी, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए इसे सभी स्थानीय निकायों में परिचालित कर दिया गया है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा विभागीय आवासों का निर्माण

4345. डा. बलिराम: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने नई दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग/उद्यान मार्ग में टाइप-IV के विभागीय आवासों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) शिलान्यास किस तिथि को किया गया था;

(घ) क्या अब तक उक्त स्थान पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) काली बाड़ी/उद्यान मार्ग पर 96, टाईप IV विभागीय क्वाटरों का निर्माण कार्य चल रहा है, करार के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने की तारीख 22.12.2000 है, पूरा करने की निर्धारित तारीख 21.3.2002 है, अनेक ब्लाकों में नींव रखने का कार्य जारी है।

(ग) नींव को शिला तत्कालीन संचार मंत्री (माननीय श्री जगमोहन जी) के द्वारा दिनांक 14.4.1999 को रखी गयी थी।

(घ) जहां पर टाईप-IV विभागीय क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है, उस भू-खण्ड के भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है, तथापि, एन.डी.एम.सी. का एक भण्डार अभी तक हटाया नहीं गया है। यह भण्डार उस भाग में अवस्थित है जहां भविष्य में टाईप-V क्वार्टरों का निर्माण प्रस्तावित है।

(ङ) एन.डी.एम.सी. के भण्डार को हटाने के मामले पर मुख्य महाप्रबन्धक (एन.टी.आर.), नई दिल्ली द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

दूरभाष केन्द्र को शुरू किए जाने में विलंब

4346. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी जिले में गोमिनपेट गांव में दूरभाष केन्द्र के भवन का निर्माण पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां लगाए गए दूरभाष केन्द्र ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त केन्द्र के कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) नए टेलीफोन-एक्सचेंज भवन में 1000 लाइनों का आरबीएम-एक्सचेंज अभी लगाया जाना है।

(ग) 2001-2002 के दौरान 1000 लाइनों के आरबीएम-एक्सचेंज की योजना है और मार्च, 2002 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) मार्च, 2002 तक।

(ङ) ऊपर दिए अनुसार।

केन्या में टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम

4347. श्री भीम दाहाल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्या में मूलभूत दूरभाष-सेवाओं हेतु संयुक्त उद्यम बनाने के लिए टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेली-कम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम में कितना निवेश किया गया है; और

(घ) टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने केन्या में वैश्विक निविदाओं के माध्यम से कितने अनुबंध प्राप्त किए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को केन्या में संयुक्त उद्यम में 30% इक्विटी धारित करने के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसका मूल्य 21.9 मिलियन अमेरिकी डालर बैठता है। टीसीआईएल संयुक्त उद्यम कंपनी केन्या में लाइसेंस प्राप्त पांच क्षेत्रों, अर्थात कोस्ट, न्यान्जप, वेस्टर्न साउथ रिफ्ट और सेन्ट्रल क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराएगी। यह लाइसेंस 15 वर्षों की अवधि के लिए दिया गया है जिसमें आगे 10 वर्षों की और अवधि तक विस्तार किया जा सकता है।

(घ) यह टीसीआईएल का केन्या में वैश्विक निविदा के जरिए पहला संयुक्त उद्यम है।

भारतीय फुटबाल

4348. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय फुटबाल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) किसी भी विशिष्ट खेल का संवर्धन करने की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एस.) की होती है। इस प्रकार फुटबाल खेल का संवर्धन करने की जिम्मेदारी अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ की है जो अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों की तरह एक स्वायत्तशासी निकाय है। तथापि, सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देने संबंधी अपनी योजना के अंतर्गत विदेश में प्रदर्शन, सीनियर, जूनियर एवं सब-जूनियर स्तरों पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन, भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण/कोचिंग, उपस्करों वैज्ञानिक व तकनीकी समर्थन आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराकर परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

लंबी दूरी वाला दूरभाष नेटवर्क

4349. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **संचार मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी वाले दूरभाष नेटवर्क को खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी वाले दूरभाष नेटवर्क केन्द्र खोलने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) ट्राई की सिफारिश के आधार पर सरकार ने अगस्त, 2000 में राष्ट्रीय लम्बी दूरी-सेवा में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस क्षेत्र में प्रतियोगियों की संख्या पर बिना किसी पाबन्दी के मुक्त तथा खुली प्रतियोगिता है। दिशा-निर्देशों में प्रभावी तारीख से संबंधित 2 वर्षों, 3 वर्षों, 4 वर्षों तथा 5-7 वर्षों में 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 7 प्रतिशत तथा सभी अलाभकर व सुदूर क्षेत्रों को कवर करने का प्रावधान है। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सुदूर तथा अलाभकारी क्षेत्रों का कवरेज भी शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

जोनिंग एटलस

4350. डा. चरणदास महंत: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जर्मन सरकार की सहायता से देश में "जोनिंग एटलस" के माध्यम से उद्योगों के लिए स्थानों के चयन की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोई योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक राज्यवार और स्थानवार कितना धन खर्च किया गया;

(ग) अब तक "जोनिंग एटलस" के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है और अगले तीन वर्षों के दौरान किन-किन जिलों को शामिल किया जाना है;

(घ) क्या "जोनिंग एटलस" के अंतर्गत शामिल जिलों में केवल उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं जिनका सुझाव एटलस में दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो "जोनिंग एटलस" में दिए गए सुझावों का उल्लंघन करते हुए कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) "जोनिंग एटलस" के किस हद तक पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में उपयोगी होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। सरकार जोनिंग एटलस परियोजना क्रियान्वित कर रही है जो विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित अप्रैल, 1997 से जून, 2003 तक की अवधि वाली पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण (ई.एम.सी.बी.) तकनीकी सहायता परियोजना का एक उप-घटक है। इस कार्यक्रम को भारत-जर्मन द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत जर्मन तकनीकी सहयोग (जी.टी.जैड.) से भी तकनीकी सहायता मिल रही है।

इस कार्यक्रम में पर्यावरणीय मैपिंग, उद्योगों एवं औद्योगिक सम्पदाओं का स्थल निर्धारण, पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं (शहरी क्षेत्र, खनन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्र) क्षेत्रीय नियोजन, ढांचागत विकास, मानव संसाधन विकास आदि शामिल हैं।

विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा कार्यक्रम को लागू करने वाली अन्य एजेंसियों को उद्योगों के स्थल निर्धारण तथा औद्योगिक सम्पदा नियोजन अध्ययनों हेतु जिला-वार जोनिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए अब तक 585.53 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।

संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। की गई स्वीकृतियां अनुमान मात्र हैं तथा मानव शक्ति और संचालन संबंधी लागतों पर होने वाले वास्तविक व्यय तक ही सीमित है। वास्तविक व्यय सामान्यतः अनुमान लागतों से कम रहे हैं।

(ग) 1995-97 के दौरान 19 जिले, 1997-1999 के दौरान 43 तथा 1999-2001 के दौरान 53 जिले लिए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ परामर्श से जून, 2003 तक 50 जिले कवर किए जाएंगे।

(घ) जिला-वार जोनिंग एटलसें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उद्योगों के अवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने में उनकी स्थापना/स्थल संबंधी स्वीकृतियां जारी करने में दिशा-निर्देशों के रूप में सहायता करती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जिला-वार जोनिंग एटलस अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को बचाते हुए उद्योगों हेतु स्थल निर्धारण करने तथा पर्यावरणीय विचार-विमर्शों पर आधारित अभ्यर्थी स्थलों के चयन करने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करती है। औद्योगिक सम्पदा नियोजन संबंधी अध्ययन प्रदूषण उपशमन संबंधी अवसंरचना तथा सुरक्षित बहिःस्राव/अपशिष्ट निपटान बिन्दुओं और सम्पदाओं के आसपास अनुकूल भूमि प्रयोगों के विनियमन में सहायता करता है।

विवरण-I

जोनिंग एटलस प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत बजट

क्र.सं.	राज्य	एसपीसीबी/एक्स एजेंसी	वर्ष	जिलावार जोनिंग एटलस		औद्योगिक एस्टेट प्लानिंग (आईपीएस) अध्ययन	
				जिले का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	स्थान का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	पी.सी.बी. असम	1995-1997	1. गोलपाड़ा	4.0	शून्य	शून्य
				2. कामरूप			
			2000-2001	3. सिबसागर	16.41	शून्य	शून्य
				4. डिब्रूगढ़			
				5. गोलाघाट			

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	ईपीटीआरआई,	1995-1997	6. पूर्वी गोदावरी	6.0	शून्य	शून्य
		हैदराबाद	1997-1999	7. मेडक	10.0	पूर्वी गोदावरी	6.0
				8. रंगारेड्डी			
			1999-2000	9. नेल्लोर	18.5	शून्य	शून्य
				10. प्रकाशम			
				11. श्रीकाकुलम			
			2000-2001	12. चित्तूर	20.25	शून्य	शून्य
				13. विजयानगरम			
				14. पश्चिमी गोदावरी			
3.	बिहार	बीएसपीसीबी, पटना	1995-1997	15. पूर्वी सिंहभूम	4.0	शून्य	शून्य
				16. पश्चिमी सिंहभूम			
			1997-99	17. पटना	7.6	आदित्यपुर	4.83
				18. भोजपुर			
				19. सारन			
				20. वैशाली			
				21 रांची			
			2000-2001	22. भागलपुर	8.25	शून्य	शून्य
				23. मुजफ्फरपुर			
				24. हजारीबाग			
				25. चतरा			
4.	गुजरात	जीएसपीसीबी,	1995-97	26. पंचमहल	4.0	शून्य	शून्य
		गांधी नगर	1997-99	27. जामनगर	7.6	अमरेली	4.83
				28. जूनागढ़			
			2000-2001	29. अमरेली	9.5	शून्य	शून्य
				30. कच्छ			
				31. नाडियाड			
				32. आनन्द			

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसपीसीबी,	1995-97	33. सोलन	4.0	शून्य	शून्य
		शिमला	1997-99	34. सिरमौर	7.6	सोलन	4.83
				35. ऊना			
				36. बिलासपुर			
			2000-2001	37. शिमला	8.25	शून्य	शून्य
				38. कुल्लू			
				39. कांगड़ा			
6.	कर्नाटक	केएससीएसटी,	1995-97	40. मैसूर	6.0	शून्य	शून्य
		बैंगलौर	1997-99	41. बंगलौर (शहरी)	10.0	तांडया (मैसूर)	6.0
				42. बेल्लारी			
			2000-2001	43. बेलगाम	8.25	शून्य	शून्य
				44. रायचूर			
				45. मान्डया			
7.	केरल	केएसपीसीबी,	1995-97	46. पालाकड	4.0	शून्य	शून्य
		तिरूवन्तपुरम	1997-99	47. एरनाकुलम	10.00	पालाकड	6.0
				48. कन्नूर			
			2000-2001	49. कसारीगॉड	8.25	शून्य	शून्य
				50. खोजियाकोड			
				51. मल्लापुरम			
8.	महाराष्ट्र	एमएसपीसीबी,	1995-97	52. रत्नगिरी	4.0	शून्य	शून्य
		मुम्बई	2000-2001	53. पुणे	12.5	शून्य	शून्य
				54. औरंगाबाद			
9.	मध्य प्रदेश	ईपीसीओ, भोपाल	1995-97	55. छिंदवाड़ा	5.0	शून्य	शून्य
		एमपीपीसीबी, भोपाल	1997-99	56. रायपुर	7.6	अगसोड (सागर)	4.83
				57. सागर			
			2000-2001	58. धार	8.25	शून्य	शून्य
				59. रायसेन			
				60. इंदौर			

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मणिपुर	एमपीसीबी, इम्फाल	1995-97	61 इम्फाल	4.0	शून्य	शून्य
				62. थउबाल			
				63. विष्णुपुर			
			1997-99		शून्य	इम्फाल	6.0
11.	उड़ीसा	ओएसपीसीबी,	1995-97	64. सुन्दरगढ़	4.0	शून्य	शून्य
		भुवनेश्वर	1997-99	65. कटक	7.6	पारादीप (कटक)	4.83
				66. जगतसिंहपुर			
				67. जयपुर			
				68. केन्द्रपारा			
				69. संबलपुर			
				70. देवगढ़			
				71. बारागढ़			
				72. झारसुगुड़ा			
			2000-2001	73. पुरी	8.5	शून्य	शून्य
				74. केओंझार			
				75. मयूरभंज			
12.	राजस्थान	आरएसपीसीबी,	1995-97	76. राजसमंद	4.0	शून्य	शून्य
		जयपुर		77. उदयपुर			
			1997-99	78. कोटा 79 अलवर	7.6	खजूरियावास (अल्वर)	4.83
			2000-2001	80. जयपुर	8.25	शून्य	शून्य
				81. भीलवाड़ा			
				82. सिरोही			

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	उत्तर प्रदेश	यूपीएसपीसीबी, लखनऊ	1995-97 1997-99	83. गाजियाबाद 84. बुलंदशहर 85. मेरठ	4.0 7.6	शून्य (खुर्जा) बुलन्दशहर	शून्य 4.83
				86. बागपत			
			1999-2000	87. उन्नाव	8.25	शून्य	शून्य
				88. मुरादाबाद			
				89. मुजफ्फरनगर			
14.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएससीएसटी, कलकत्ता	1995-97 1997-99	90. बेंकुरा 91. मिदनापुर 92. जलपाईगुड़ी	6.0 7.6	शून्य बरजोरा (बंकुरा)	शून्य 4.83
			2001-2002	93. हुगली	8.25	शून्य	शून्य
				94. बरादवान			
				95. 24 परगना दक्षिण			
15.	जम्मू और कश्मीर	जेएंडकेएसपीसीबी	1997-99	96. जम्मू	3.0	शून्य	शून्य
16.	मेघालय	एमएसपीसीबी, शिलौंग	1997-99	97. री-भोई 98. पूर्वी खासी पहाड़ियां	7.6	बिरनीहाट (री-भोई)	4.83
			2000-2001	99. पूर्वी गारो पहाड़ियां	5.5	शून्य	शून्य
				100. पश्चिम गारो पहाड़ियां			
				101. जैंतिया पहाड़ियां			
				102. दक्षिणी गारो पहाड़ियां			
17.	पंजाब	पीएसपीसीबी, पटियाला	1997-99	103. लुधियाना	शून्य	कोहरा मच्छीवाड़ा (लुधियाना)	9.33
			2000-2001	104. लेनधार	13.5	शून्य	शून्य
				105. कपूरथला			
				106. अमृतसर			
18.	तमिलनाडु	टीएनपीसीबी, चेन्नई	1997-99	107. त्रिवेल्लूर	6.0	शून्य	शून्य
				108. कांचीपुरम			

1	2	3	4	5	6	7	8
			2000-2001	109. कोयम्बतूर	8.25	शून्य	शून्य
				110. वेल्लौर			
				111. तूतीकोरीन			
19.	त्रिपुरा	टीएसपीसीबी, अगरतला	1997-99	112. सम्पूर्ण राज्य (चार जिले) 112-115)	7.6	बोधजंगनगर (उत्तरी त्रिपुरा)	-
20.	सुदूर संवेदन और जी.आई.एस. लागत				151.32		
			कुल		508.23		77.3

कुल स्वीकृत राशि = 585.53 लाख

टिप्पण: वास्तविक व्यय स्वीकृत व्यय से कम होने की आशा थी।

विवरण-II

जोनिंग एटलस के अंतर्गत सम्मिलित जिले

राज्य	सम्मिलित जिले		
	1995-97	1997-1998	1999-2001
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1. पूर्वी गोदावरी	1. मेडक	1. नेल्लोर
		2. रंगारेड्डी	2. प्रकाशम
			3. श्रीकाकुलम
			4. चित्तूर
			5. विजयानगरम
			6. पश्चिमी गोदावरी
असम	2. कामरूप		7. सिवसागर
	3. गोलपाड़ा		8. डिब्रूगढ़
			9. गोलाघाट
बिहार	4. पूर्वी सिंहभूम	3. पटना	10. भागलपुर
	5. प. सिंहभूम	4. रांची	11. मुजफ्फरपुर
		5. वैशाली	12. हजारीबाग
		6. सारण	13. चतरा
		7. भोजपुर	

1	2	3	4
गुजरात	6. पंचमहल्स	8. जमानगर	14. अमरेली
		9. जूनागढ़	15. कच्छ
			16. नाडियाड
			17. आनंद
हिमाचल प्रदेश	7. सोलन	10. सिरमौर	18. शिमला
		11. उना	19. कुल्लू
		12. बिलासपुर	20. कांगड़ा
जम्मू व कश्मीर	-	13. जम्मू	-
कर्नाटक	8. मैसूर	14. बंगलौर (शहरी)	21. बेलगाम
		15. बेल्लारी	22. रायचूर
			23. मंडया
केरल	9. पालाक्कड	16. इरनाकुल	24. कसारगौड
		17. कन्नूर	25. कोझिकोडे
			26. मालापुरम
मध्य प्रदेश	10. छिन्दवाड़ा	18. रायपुर	27. धार
		19. सागर	28. रायसेन
			29. इन्दौर
मणिपुर	11. इम्फाल	-	-
	12. थाऊवल		
	13. बिष्णुपुर		
महाराष्ट्र	14. रत्नागिरी	-	30. पुणे
			31. औरंगाबाद
मेघालय	-	20. रि-भोई	32. पूर्वी गारो हिल्स
		21. पूर्वी खासी हिल्स	33. पश्चिमी गारो हिल्स
			34. जैंतिया हिल्स
			35. दक्षिणी गारो हिल्स
उड़ीसा	15. सुन्दरगढ़	22. कटक	36. पुरी

1	2	3	4
		23. जगतसिंह नगर	37. क्योंझर
		24. सम्बलपुर	38. मयूरभंज
		25. जजपुर	
		26. केन्द्रपाड़ा	
		27. देवगढ़	
		28. झारसुगुदा	
		29. बारागढ़	
पंजाब	–	30. लुधियाना	39. जलंधर
			40. कपुरथला
			41. अमृतसर
राजस्थान	16. उदयपुर	31. कोटा	42. जयपुर
		32. अलवर	43. भीलवाड़ा
			44. सिरोही
तमिलनाडु	–	33. तिरूबल्लूर	45. कोयम्बटूर
		34. कांचीपुरम	46. वेल्लोर
			47. टूटीकोरिन
त्रिपुरा	–	35. से 38 संपूर्ण राज्य	–
उत्तर प्रदेश	18. गाजियाबाद	39. बुलंदशहर	48. उन्नाव
		40. मेरठ	49. मुरादाबाद
		41. बागपत	50. मुजफ्फरनगर
पश्चिम बंगाल	19. बंकुड़ा	42. मिदनापुर	51. हुगली
		43. जलपाईगुड़ी	52. बर्दमान
			53. परगना साउथ

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग

4351. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए किये गये अपर्याप्त बजटीय प्रावधानों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) क्या सरकार को भुवनेश्वर-खुर्द लाइन को चार लाइनों में बदलने और भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रामजार्ग पर एक ऊपरि पुल के निर्माण में हो रहे विलम्ब की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भुवनेश्वर से खुर्द तक चार लेन के निर्माण का कार्य दिसम्बर, 2000 में सौंप दिया गया है और इसे दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस खंड में 4 लेन के निर्माण कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। भुवनेश्वर में रसूलगढ़ में सड़क ऊपरि-पुल का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है।

स्वर्ण रेखा बहु उद्देशीय परियोजना

4352. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री लक्ष्मण सेठ:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण रेखा बहु उद्देशीय परियोजना संबंधी कार्य काफी समय से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना को पुनः शुरू करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है और परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना का कार्य बंद नहीं है। संबंधित राज्यों द्वारा वर्ष 1999-2000 (प्रत्याशित) के दौरान किया गया व्यय और वर्ष 2000-2001 के लिए प्रस्तावित परिव्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	बिहार	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल
1999-2000	41.36 करोड़	25.46 करोड़	2.50 करोड़
2000-2001 (परिव्यय)	90.00 करोड़	20.40 करोड़	3.50 करोड़

राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, कार्यान्वयन एवं उनका वित्त पोषण सरकार द्वारा उनके निजी संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में सिंचाई परियोजनाएं

4353. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं पर किस तिथि को कार्य आरंभ किया गया और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) इन्हें पूरा करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शुरू करते समय इनकी लागत कितनी थी और इन पर वास्तव में कितना धन खर्च किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जम्मू व कश्मीर में रावी-तवी सिंचाई नहर परियोजना एक वृहद सिंचाई परियोजना है जो अधूरी पड़ी हुई है।

(ख) और (ग) इस परियोजना का कार्य वर्ष 1975-76 के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का पूरा होना पंजाब में शाहपुरकांडी बांध परियोजना के पूरा होने तथा उसके प्रारंभ करने पर निर्भर करता है।

(घ) तवी नहर परियोजना को वर्ष 1977-78 में 7.45 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया था। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1973 में किए गए अनुमोदन के अनुसार रावी नहर परियोजना की लागत 29.84 करोड़ रुपयें थी। रावी-तवी सिंचाई नहर परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 151.18 करोड़ रुपये है। तथापि, संभावित खर्च की वास्तविक लागत शाहपुरकांडी बांध परियोजना के पूरा होने में लिए गए समय, पर्याप्त निधियों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही वानिकी परियोजना

4354. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना के दूसरे चरण को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

Scanned by CamScanner

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना-2 को आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विदेशी सहायता लेने हेतु विश्व बैंक को भेजा गया है।

[हिन्दी]

रानी अवंतिबाई सागर परियोजना

4355. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में रानी अवंतिबाई सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजना के दायें किनारे का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त कार्य पूरा न होने की वजह से बांध की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मिट्टी के जमाव के कारण बांध की क्षमता घट गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) रानी अवन्तीबाई सागर परियोजना एक निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को अपर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के कारण इस परियोजना के दाएं तट के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन और वित्तपोषण स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई के लिए गंगा का पानी

4356. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा नदी में बहने वाले जल में से कितना जल अनुमानतः उपयोग हेतु उपलब्ध है;

(ख) सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अलग-अलग गंगा के जल की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है;

(ग) कितना जल समुद्र में बेकार बह जाता है; और

(घ) गंगा नदी के जल के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) गंगा नदी में प्रवाहित हाने वाले जल की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता 501.6 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) है।

(ख) वर्ष 2000 के दौरान, सिंचाई के लिए 150.8 बी.सी.एम., घरेलू उपयोग के लिए 7.9 बी.सी.एम. और औद्योगिक उपयोग के लिए 5.9 बी.सी.एम. जल की मात्रा के उपयोग का आंकलन किया गया था।

(ग) और (घ) मुख्यतः मानसून के मौसम के दौरान इस समय अप्रयुक्त जल समुद्र में बेकार बह जाता है। सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। इसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के वास्ते अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्राय द्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इस योजना में प्राय द्वीपीय नदी विकास घटक के तरह 17 जल अंतरण संपर्कों तथा हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 जल अंतरण संपर्कों की योजना है। अन्य बातों के साथ-साथ जल संतुलन और जल हस्तांतरण संपर्कों के व्यवहार्यता अध्ययन करने के उद्देश्य से स्वायत्त सोसाइटी के रूप में जुलाई 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन किया गया। इसने सभी संपर्कों के व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन और पांच जल अंतरण संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं।

रात्रि में विमान उतरने की सुविधाएं

4357. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन विमानपत्तनों पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा है, उक्त विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त सुविधा को उन विमानपत्तनों पर भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

Scanned by CamScanner

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) देश में 39 हवाई अड्डों पर अर्थात् अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बेंगलूर, भावनगर, भोपाल, बेलगांव, भुवनेश्वर, चेन्नई, कालीकट, कोयम्बतूर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गुवाहाटी, हुब्ली, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, खजुराहो, लखनऊ, मुम्बई, मुदरै, मंगलौर, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, तिरूवनन्तपुरम, तिरूचिरापल्ली, तिरूपति, उदयपुर, बड़ोदरा, वाराणसी और विजयवाड़ा में रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) उड़ानों की प्रचालन-अपेक्षाओं के आधार पर किसी भी हवाई अड्डे पर रात्रि-अवतरण सुविधा नियोजित ढंग से संस्थापित करने की योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा की जाती है। वर्तमान में लीलाबाड़ी, जम्मू, पोर्ट ब्लेयर और सिल्चर में इन सुविधाओं के उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

विमानों के रखरखाव पर व्यय

4358. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस और इनकी सहायक कंपनियां विमानों के रखरखाव और प्रशासनिक व्यय पर प्रति वर्ष धनराशि खर्च करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने खर्च को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के लिए जारी किये गये विज्ञापनों और दृश्य प्रसार पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को भारत के भीतर और बाहर एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मौजूदा विमानों की अपर्याप्त संख्या और उड़ानों की समय सारणी में अपर्याप्त होने की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के अस्पताल

4359. श्री के. येरननायडू: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विभिन्न राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) अस्पतालों की स्थापना के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक-एक तथा कर्नाटक में दो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया तथा फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया है। जहां तक हैदराबाद के पुराने क्षेत्र में नए अस्पताल की स्थापना का प्रश्न है इस मामले पर विचार किया गया है तथा इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार से वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद तथा अस्पताल की जरूरत तथा तर्कसंगतता को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

सेल्यूलर मोबाइल सेवा-ऑपरेटर

4360. श्री जे.एस. बराड़: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेल्यूलर ऑपरेटरों द्वारा सेल्यूलर मोबाइल-सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भुगतान किये गये प्रवेश शुल्क का भुगतान किया;

(ख) क्या सेल्यूलर टेलीफोन-ऑपरेटरों और बेसिक सर्विस-प्रदाताओं के स्पैक्ट्रम-उपयोग संबंधी प्रभार एक समान हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नई दूरसंचार नीति, 1999 की घोषणा के बाद, अब तक कोई भी नया लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है। मौजूदा सेल्यूलर (सर्किल और महानगरों) लाइसेंसधारियों को पेशकश किए गए माइग्रेशन पैकेज के अनुसार, जिन 37 सेल्यूलर-लाइसेंसधारियों ने इस माइग्रेशन

पैकेज को स्वीकार किया है उनके द्वारा प्रवेश-शुल्क के रूप में 5491.79 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है। सेल्यूलर-ऑपरेटरों द्वारा स्पेक्ट्रम-शुल्क के रूप में 152 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्पैक्ट्रम-उपयोग-प्रभारों में रॉयल्टी-प्रभार और लाइसेंस-शुल्क शामिल है। रॉयल्टी-प्रभार, विशिष्ट वैंडविड्थ पर संगत आवृत्तियों की संख्या तथा रेडियों-सम्पर्क-दूरी पर और लाइसेंस-शुल्क वायरलेस-स्टेशनों की संख्या पर निर्भर करता है।

कर्नाटक में हीरे

4361. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण ने कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हीरों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनकी अलग-अलग किस्मों की जांच करने और इन हीरों में लौह तत्वों की मात्रा का पता लगाने और हीरों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने हेतु कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गुलबर्गा जिले में हीरे के उत्खनन के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (च) जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के गलुबर्गा जिले में सेदम, यदगीर, गौडागिरी टाण्डा में कुछ किम्बरलाइट पिंडों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की है। तथापि, अभी तक यह प्रामाणित नहीं हुआ है कि ये डायमण्डफेरियास हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) द्वारा आंध्र प्रदेश को देय राशि

4362. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) नई दिल्ली द्वारा बीमा चिकित्सा सेवाओं हेतु आंध्र प्रदेश को देय राशि को जारी करने के संबंध में निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा के मद में होने वाला व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा राज्य सरकार द्वारा 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है, बशर्ते वह व्यय निर्धारित अधिकतम सीमा के दायरे में हुआ हो। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत स्वीकार्य 1977-78 तक के सम्पूर्ण अंशदान आन्ध्र प्रदेश सरकार को जारी कर दिए गए हैं। निगम ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए 58.06 करोड़ रु. की राशि का "लेखागत" अग्रिम के बतौर भुगतान किया है। आंध्र प्रदेश सरकार से लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, योजना के तहत स्वीकार्य शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

रोजगार की वृद्धि दर

4363. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 के लिए श्रम शक्ति के आकलन के आधार पर वर्ष 1997-2002 की अवधि के लिए रोजगार की प्रति वर्ष अनुमानित वृद्धि दर 2.82% निर्धारित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नौवीं योजना अवधि में परिकल्पित रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2002 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना दस्तावेज में किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार नौवीं योजना अवधि में श्रम बल में चरम सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है। यह अनुमान है कि सन् 2007 तक पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि 2.36% (1978 से 1994) की वास्तविक वृद्धि की तुलना में नौवीं योजना अवधि के उपरांत 2.8% की वृद्धि हो तथा नौवीं योजना में इसे

2.44% प्रक्षेपित किया हो। इस उद्देश्य को तैयार एवं 9वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान तैयार की गई नीतियों के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेद्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही सृजित होगा।

[हिन्दी]

डाकघरों में पी.सी.ओ.

4364. श्री जय प्रकाश: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सभी मुख्य डाकघरों/शाखा डाकघरों में पी.सी.ओ. स्थापित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी पी.सी.ओ. चालू हालत में हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) हरदोई जिले में दोनों प्रधान डाकघरों तथा 289 शाखा डाकघरों में से 120 में पी.सी.ओ. लगाए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) कुछ पी.सी.ओ. तकनीकी कारणों से खराब पड़े हैं। इन्हें तत्काल ठीक करने के लिए यह मामला भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में दूरसंचार-सुविधा

4365. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से टेलीफोन-बिल-संग्रहण करने तथा उपभोक्ताओं को बिल-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और अन्य परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने टेलीफोन-बिल के संग्रहण और उपभोक्ताओं को बिल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ट्विन्स-(टी.डब्ल्यू.आई.एन.एस.) परियोजना में आंध्र प्रदेश दूरसंचार-सर्किल की भागीदारी के लिए अनुरोध किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने वीएमएनएल (डॉट-सॉफ्ट) के बिलिंग सॉफ्टवेयर की डिजाइन विशिष्टियों में भागीदारी की अनुमति भी मांगी ताकि ट्विन्स-परियोजना में भागीदारी करने वाले दूसरे विभागों और एजेंन्सियों के विभिन्न अनुप्रयोगों को समन्वित किया जा सके।

(ग) से (ङ) हैदराबाद दूरसंचार की मौजूदा टीसीआईएल वेल साउथ लिमिटेड (टीवीएल) विलिंग-प्रणाली ट्विन्स केन्द्रों पर वीएसएनएल के टर्मिनलों को अनुमति देने पर विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर

4366. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एन.आर.सी.) के अंतर्गत चयन किए गए गरीब और पिछड़े वर्गों के युवाओं का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) परियोजना अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नियुक्तियां

शीघ्र किए जाने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत, स्वयंसेवकों का चयन एवं नियुक्ति इसके बाद में की जाएगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित पात्र उम्मीदवारों के चयन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है तथा आगे भी ध्यान दिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, व्यय की गई राशि तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान व्यय की जाने वाली संभावित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निम्नलिखित अवधि के दौरान किया गया व्यय		किया जाने वाला संभावित व्यय
1999-2000	2000-2001	2001-2002
0.61 करोड़ रु.	0.79 करोड़ रु.	12.00 करोड़ रु.

[अनुवाद]

खानों से स्वर्ण की चोरी

4367. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करोड़ों रुपये मूल्य के स्वर्ण की प्रतिवर्ष खानों से चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खानों से वर्षवार कितने बाजार मूल्य का स्वर्ण चुराया गया और इस स्वर्ण की गुणवत्ता कितनी थी; और

(घ) सरकार ने स्वर्ण खानों से स्वर्ण चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (घ) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) और कर्नाटक राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम हट्टी गोल्ड माइंस कम्पनी लिमिटेड (एच.जी.एम.एल.), देश में स्वर्ण का खनन और उत्पादन करते रहे हैं। बी.जी.एम.एल. में आर्थिक, प्रचालन अप्रैल, 2000 से बंद कर दिए गए क्योंकि बी.जी.एम.एल. का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष था और बी.आई.एफ.आर. ने बी.जी.एम.एल. को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। चूंकि एच.जी.एम.एल. राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिए इसके प्रचालन केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते। विगत तीन वर्षों के दौरान बी.जी.एम.एल. में रिपोर्ट की गई स्वर्ण की चोरी निम्नानुसार थी:

वर्ष	मूल्य (रुपये में)
1998-99	1013.09
1999-2000	296.70
2000-2001	शून्य

कम्पनी द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों में खानों से बाहर निकलने वाले कामगारों और पर्यवेक्षकों की, उनके पद का लिहाज किए बिना तलाशी; सुरक्षा कार्मिकों को बेतार उपकरणों से सज्जित करना; आकस्मिक जांच; प्रगालन कक्ष में चौबीसों घंटे की मानीटरिंग और रिकार्डिंग क्षमता वाले सी.सी.टी.वी. आदि की स्थापना आदि शामिल हैं।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का अन्य कार्यों हेतु उपयोग

4368. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य क्षेत्रों में कोई वैकल्पिक स्टेडियम निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोनों पर आने वाली कॉलों को शुल्क-मुक्त करना

4369. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मोबाइल टेलीफोन पर आने वाली कालों को निःशुल्क करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मोबाइल फोन पर आने वाली कॉलों के लिए शुल्क ले रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दूरसंचार-सेवा के टैरिफ का मामला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है। ट्राई ने 17 सितम्बर, 1999 को दूरसंचार-टैरिफ (पांचवां संशोधन) आदेश, 1999 और दूरसंचार इंटरकनेक्शन (प्रभार और राजस्व शेयरिंग प्रथम संशोधन) विनियमन, 1999 जारी किया था, जिसमें 1 नवंबर 1999 से सेल्यूलर मोबाइल-सेवा के लिए कॉलिंग पार्टी पेज (सीपीपी)-व्यवस्था लागू करने को कहा गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोबाइल फोन से स्थिर नेटवर्क-ऑपरेटर को एक्सेस-प्रभार के भुगतान संबंधी लाइसेंस-करार के प्रावधान के अनुरूप न होने के आधार पर इस विनियमन को रद्द कर दिया था।

ट्राई ने दूरसंचार विभाग को बताया कि सेल्यूलर मोबाइल के लिए सीपीपी-व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु लाइसेंस-करार में संसोधन करना जरूरी होगा। ट्राई की सलाह पर संगत खंड में संशोधन किया गया है। इस मुद्दे पर स्टेक-होल्डरों के विचार जानने के उद्देश्य से ट्राई फिलहाल सीपीपी-व्यवस्था-संबंधी परामर्श-दस्तावेज तैयार करा रहा है। कालांतर में उक्त व्यवस्था लागू हो जाने पर कॉल्ड मोबाइल-उपभोक्ता के लिए आवक कॉलें निःशुल्क हो जाएंगी। तथापि, स्थिर (फिक्स्ड) उपभोक्ता को अतिरिक्त 'मोबाइल टर्मिनेशन प्रभार' देने होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (क) व (ख) के अनुसार।

[अनुवाद]

बाल मजदूरी

4370. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बाल मजदूरी के कितने मामले राज्यवार प्रकाश में आये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार बाल मजदूरी के कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) इनमें से कितने मामले उक्त अवधि के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार न्यायालय में भेजे गये; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में वर्षवार और राज्यवार सजा सुनाई गयी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केबल की खरीद

4371. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने वर्ष 1997 के दौरान अपनी आवश्यकता से अधिक 2000 करोड़ रुपये मूल्य की केबल की खरीद की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खरीदी गयी केबल का ब्यौरा क्या है तथा इसकी लागत और वास्तविक आवश्यकता कितनी थी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

(ग) लागत एवं वास्तविक आवश्यकता सहित, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के केबल संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान खरीदी गई केबलों का ब्यौरा

क्रम सं.	वर्ष	केबलों की आवश्यकता (एलसी कि.मी.)	प्राप्त की गई केबलों की मात्रा (एलसी कि.मी.)	केबलों की लागत रुपये करोड़ों में/ एलसी कि.मी.	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1.	1998-99	387.20	359.39	7.48	2688.24
2.	1999-2000	494.50	448.22	7.13	3195.81
3.	2000-2001	583.00	567.33	7.37	4181.22

राष्ट्रीय युवा नीति

4372. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 में तैयार की गई राष्ट्रीय युवा नीति किशोरों को प्रभावित करने वाली समस्याओं से निपटने में प्रभावशाली नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में करवाये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत युवा 17-18 वर्ष तक की आयु तक पहुंचते-पहुंचते दिशा-विहीन और दिग्भ्रमित हो जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या तैयार की जा रही राष्ट्रीय युवा नीति में इन बिंदुओं को लिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ङ) वर्ष 1988 में एक राष्ट्रीय युवा नीति (एन.वाई.पी.) तैयार की गयी थी और इसे संसद के समक्ष रखा गया था। तथापि, देश में तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों तथा युवाओं की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए, सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की थी। तदनुसार सरकार ने सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालयों, राजनीतिक दलों की युवा शाखाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ परामर्श से एक नई राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार किया है। नई मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति में किशोरों के अलावा, विकलांग युवाओं, ग्रामीण युवाओं, बेरोजगार युवाओं, गैर-विद्यार्थी युवाओं, गली के बच्चों और विद्यार्थियों जैसे युवाओं के कतिपय प्राथमिकता-प्राप्त लक्ष्यगत समूहों का पता लगाया गया है ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। किशोरों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं को नई मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति में समुचित स्थान मिला है। वास्तव में, किशोरों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, यह प्रस्तावित किया गया है कि युवाओं के आयु निर्धारण को 15-35 वर्षों से कम करके 13-35 वर्ष कर दिया जाए।

प्रतिभूति-जमा राशि

4373. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय, पिछले पांच वर्षों से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आपरेटरों द्वारा भरे जाने वाले राजस्व में हुई वृद्धि के सापेक्ष, प्रतिभूति-जमा राशि की राशि को बढ़ाने में विफल रहा है, जिससे इस प्रतिभूति-जमा राशि वसूली में कुछ करोड़ रुपयों की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप, अब तक दूरसंचार-इकाइयों को प्रतिभूति-जमा राशि में इकाई-वार कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस संबंध में जिम्मेवार श्रमिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाएं

4374. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन करने में असफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि सभी विमानपत्तनों पर इसके प्रबंधन अधिक स्पष्ट और सक्रिय हों; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन और अनुरक्षण किए जाने वाले सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों/सिविल एनक्लेवों पर यात्री सुविधाओं की मांग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नियमित रूप से स्तरोन्नयन किया जाता है।

(ग) और (घ) सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व टर्मिनल भवनों में कार्यरत विमानपत्तन प्रबंधक के कार्यालय द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इनका प्रचालन 24 घंटे होता है और यात्री/टर्मिनल के अन्य प्रयोक्ता किसी भी जरूरत के लिए ड्यूटी पर उपस्थित विमानपत्तन प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 31 हवाई अड्डों पर विमानपत्तन सलाहकार समितियां (ए.ए.सी.) बनाई गई हैं। विमानपत्तन सलाहकार समितियों में स्थानीय संसद सदस्य स्थानीय विधान सभा सदस्य, गणमान्य नागरिक, स्थानीय प्रशासन/नगरपालिका निकाय और एयरलाइनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं में हुए सुधार पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक तीन महीने में एक बार समिति की बैठक होती है।

सी-डॉट स्विचिंग उपकरण

4375. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी-डॉट द्वारा तैयार किए गए स्विचिंग उपकरणों में साफ्टवेयर तकनीक लगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) स्विचिंग उपस्कर में प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर रीयल टाइम एप्लीकेशन के लिए है तथा इसे "एम्बेडिड" सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर बैकअप से डॉउन लोड किया जा सकता है तथा मैमोरी में लिखने तथा पढ़ने पर आधारित है।

केरल से नई उड़ानें

4376. श्री टी. गोविन्दन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से वर्ष 2000-2001 में केरल से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली विमान सेवाएं शुरू करने के सबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) केरल से खाड़ी देशों के स्टेशनों के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करने के बारे में इंडियन एयरलाइंस को कई अनुरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने दिनांक 29.10.2000 से कोचीन और दोहा के बीच विमान सेवाएं प्रचालित की है और त्रिवेन्द्रम तथा माले और केरल खाड़ी देशों के बीच अतिरिक्त क्षमता भी लगायी है। यद्यपि, इस समय केरल तक/से नई सेवाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है। एअर इंडिया कोजिकोड़े से होकर मस्कट, दुबई, आबूधाबी, तिरूवनन्तपुरम से होकर मस्कट, दुबई, आबूधाबी और कुवैत तथा कोचि से होकर मस्कट, दुबई, आबूधाबी, दोहा/बहरीन दम्मान और कुवैत तक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रही है।

मई 2001 से इसका निम्नांकित अतिरिक्त सीधी उड़ानें प्रचालित करने का भी प्रस्ताव है:

उद्गम स्थल		अवतरण स्थल
1.	कोजिकोड़े	जेद्दाह, आबूधाबी
2.	तिरूवनन्तपुरम	दम्माम
3.	कोचि	आबूधाबी, दम्माम, बहरीन/दोहा

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस का किराया

4377. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या नागर विमानन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का किराया अन्य निजी एयरलाइनों की तुलना में ज्यादा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) घरेलू वैमानिक किराए का विनियमन नहीं किया जाता है और एयरलाइनें समय-समय पर विपणन-क्षेत्र के रुख के अनुरूप अपने किराए को समायोजित करती हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में बाहृय सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4378. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या जल संसाधन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 1999 तक गुजरात की बाह्य सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं उनके मंत्रालय में जांच के लिए लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त ''गुजरात लवणता निवारण परियोजना'' नामक एक परियोजना प्रस्ताव की 31 दिसम्बर, 1999 से संवीक्षा इस मंत्रालय में की जा रही थी। यह प्रस्ताव 14.6.2000 को विश्व बैंक को भेजा गया है।

विमानपत्तनों पर विस्फोटक खोजी उपकरणों की स्थापना

4379. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या नागर विमानन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी विमानपत्तनों पर विस्फोटक खोजी उपकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने इन परीक्षण उपकरणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां इनकी स्थापना की जानी है; और

(घ) इनकी स्थापना पर कितनी लागत आएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

डायरेक्ट डायलॉग टेलीफोन फेसिलिटी

4380. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे उपनगरीय क्षेत्र विशेषकर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दाहानू, पालघाट, कासोरा और करजात क्षेत्रों में एम.टी.एन.एल. की डायरेक्ट डायलॉग टेलीफोन फेसिलिटी उपलब्ध कराने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) दूरी आधारित टैरिफ सहित बिना ''0'' लोकल डॉयलिंग (सीधी डॉयलिंग) मुम्बई से धानु (धानु रोड) और करजात तक शुरू की जा चुकी है। महाराष्ट्र के जिला ठाणे में पालघाट, कासोरा नामक स्थान नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

4381. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं और ये किन-किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से किसी उपक्रम ने इंटरनेट के क्षेत्र में कदम रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) संचार मंत्रालय के निम्नलिखित 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनके कार्य क्षेत्र निम्नवत हैं:-

1.	भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), दिल्ली	-	सभी प्रकार की दूर संचार सेवाएं।
2.	विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.), मुम्बई	-	अन्तर-राष्ट्रीय दूर संचार सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं।
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.), दिल्ली	- -	दिल्ली और मुम्बई के महानगरीय शहरों में दूर संचार सेवाएं।
4.	टेलीकॉम कन्सल्टैन्ट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), दिल्ली	-	भारत और विदेशों में परामर्श (कन्सल्टैंसी) और टर्नकी परियोजनाएं।
5.	इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई.टी.आई.), बंगलौर	-	दूर संचार उपस्करों का उत्पादन।
6.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड (एच.टी.एल.), चैन्नई	-	दूर संचार उपस्करों का उत्पादन।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादन (करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र) का उपक्रम		पैरामीटर	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	वीएसएनएल	आय	6436	7175	7230
		कर से पूर्व लाभ	1428	1965	1942
2.	एम.टी.एन.एल.	आय	4654	5259	5356
		कर से पूर्व लाभ	1654	1889	1399
3.	टीसीआईएल	टर्न ओवर	592	647	731
		कर से पूर्व लाभ	46.6	56.9	58.7
4.	आईटीआई	बिक्री/टर्नओवर	1267	1681	1869
		कर से पूर्व लाभ	15.26	27.10	39.00
5.	एचटीएल	बिक्री/टर्नओवर	274.58	358.14	449.32
		कर से पूर्व लाभ	6.77	8.54	21.06

जहां तक बी.एस.एन.एल. का संबंध है, इस कम्पनी की स्थापना केवल 1.10.2000 से की गई।

(घ) और (ङ) बी.एस.एन.एल., वी.एस.एन.एल. और एम.टी.एनए.ल. ने इंटरनेट सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है।

31.3.2001 के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या निम्नवत है:

बी.एस.एन.एल. - 207404

वी.एस.एन.एल. - 457404

एम.टी.एन.एल. - 53739

[हिन्दी]

केबलों की चोरी

4382. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन की केबल की चोरी की कितनी घटनाएं हुई और इससे कितना नुकसान हुआ; और

(ख) भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन केबलों की चोरी की 676 घटनाएं हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप 2,01,04,372/-रु. की हानि हुई है।

(ख) इस प्रकार की चोरियों को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

1. भंडारों की समुचित रूप से जिम्मेदारी सौंपना।
2. इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए भंडार सामग्री की पर्याप्त सुरक्षा।
3. सतर्कता अनुभाग द्वारा आकस्मिक जांच।
4. सामग्री प्रबंधन अनुभाग का कम्प्यूटरीकरण।
5. गेट पास जारी करने पर ही सामान को लाना-ले जाना और स्टोर में प्रवेश करने की अनुमति केवल ड्यूटी पर स्टाफ तक ही प्रतिबंधित करना।
6. मेन होल्स को लॉक करना।
7. पुलिस प्राधिकरणों से समन्वय बनाए रखना।

श्रमिकों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा

4383. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्य श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों विशेषकर चिन्म्मा विद्यालय, गुंटूर से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन और श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा उपलब्ध कराने में इसकी असफलता के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ई.एस.आई. के कार्यकरण और निमित्त लोगों को लाभ पहुंचाने में इसकी असफलता के कारणों की जांच कराई, है; और

(ग) सरकार द्वारा ई.एस.आई. की सेवाओं में सुधार करने और श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसे कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कतिपय नकद लाभों के भुगतान और चिकित्सा देखरेख का प्रावधान है। नकद लाभों के प्रावधानों का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे किया जा रहा है जबकि चिकित्सा देखरेख के प्रावधानों का प्रशासन राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। केवल दिल्ली और नोएडा में चिकित्सा देखरेख का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नकद लाभों का प्रशासन सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, कुछ छुटपुट शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिनमें से कुछ शिकायतें कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में चिकित्सा और परा-चिकित्सा स्टाफ में कमी, औषधि, मरहमपट्टी, उपकरण इत्यादि के बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त हुई थीं। चिकित्सा देखरेख का प्रशासन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है इसलिए ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। निगम ने एक सामान्य प्रयोजन उपसमिति की नियुक्ति भी की है जिसमें एक संसद सदस्य को रखा गया है। यह समिति प्रत्येक वर्ष एक या दो राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों का दौरा करती है। सामान्य प्रयोजन उपसमिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को भी सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की जानकारी में लाया जाता है। चिकित्सा देखरेख का प्रशासन करने के लिए राज्य सरकारों की संसाधन संबंधी स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1.4.1999 से चिकित्सा देखरेख पर व्यय की अधिकतम सीमा प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में एक कार्य योजना तैयार की थी और उसे निगम के परामर्श से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अल्ट्रा-सोनोग्राफी, पल्स आक्सीमीटर, आटो एनालायजर, सेमी-आटो एनालायजर, कार्डिएक मानीटर, डेन्टल यूनिट, रिससिटेशन उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराते हुए चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन/आधुनिकीकरण को शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत अति-विशिष्ट उपचार के लिए देश के विख्यात चिकित्सा संस्थानों के साथ टाई-अप व्यवस्था भी की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्यों में क्षेत्रीय निदेशकों के पास एक परिक्रामी निधि का गठन किया गया है ताकि अति-विशिष्ट उपचार पर बीमित व्यक्तियों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की तुरन्त प्रतिपूर्ति करने में सुविधा हो सके।

[हिन्दी]

चंबल नदी के पानी का उपयोग

4384. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चम्बल नदी के पानी का उपयोग करने से संबंधित परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में चम्बल नदी के बहाव को नियंत्रित करने और सुप्रवाहित बनाने हेतु कितनी योजनाएं लंबित हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) सिंचाई/बहुद्देश्यीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

(ग) राजस्थान के चम्बल बेसिन में स्कीमों की स्थिति इस प्रकार है:-

1. वृहद और 1 मध्यम स्कीम पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है।
2. मध्यम स्कीमें—कुछ शर्तों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य।
3. वृहद और 4 मध्यम स्कीमें—एक वर्ष से अधिक समय हो जाने पर टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण राज्य सरकार को वापस भेजी गई है।

(घ) परियोजनाओं की स्वीकृति, मूल्यांकन, अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों पर राज्य सरकार के तुरन्त उत्तर दिए जाने पर निर्भर करती है।

सड़क विकास योजना

4385. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोई 20 वर्षीय सड़क विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को पूरा किए जाने के लिए मांगी गई विदेशी सहायता राशि सहित कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से सड़क विकास योजना-परिदृश्य 2021 दस्तावेज तैयार कराया है। इस दस्तावेज में भारत में समग्र सड़क नेटवर्क के लिए अपर्याप्त बजट आबंटन, परिसंपत्तियों के संरक्षण, सड़क क्षेत्र में क्षमता निर्माण, वर्ष 2021 के लिए सड़क नेटवर्क लक्ष्य आदि मुद्दों का उल्लेख है। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके लिए यह मंत्रालय मुख्यत: जिम्मेदार है, के कोई स्कीमवार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। चूंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, इसलिए अभी और ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

नौवहन संबंधी दुर्घटनाओं के कारण प्रदूषण

4386. श्री ए. नरेन्द्र: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के समुद्र क्षेत्र में हुई नौवहन संबंधी दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक दुर्घटना के कारण समुद्री वातावरण में कितना प्रदूषण फैला है; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्र में हुई नौवहन संबंधी दुर्घटनाओं तथा इनमें से प्रत्येक दुर्घटना के कारण समुद्री पर्यावरण में हुआ प्रदूषण निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	तिथि	पोत/पोतों का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	28 मई, 1998	एम.टी. ओरिऐंट ग्रेस	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
2.	जून, 1998 से दूसरे सप्ताह में	कई छोटे तथा बड़े पोत	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ

1	2	3	4
3.	जून, 1998	एम.टी. ओरिनोको	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
4.	7 जुलाई, 1998	एम.वी. टाइगर फोर्स	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
5.	21 जुलाई, 1998	एम.टी. ओसूल	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
6.	11 अगस्त, 1998	ए.टी. रश्मि	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
7.	8 जुलाई, 1999	एम.वी. पेसिफिक एकेडियन	500 टन ईंधन तेल का रिसाव हुआ
8.	30 जुलाई, 1999	एम.वी. करूनिया पेसिफिक	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
9.	9 नवम्बर, 1999	ए.वी. दुबई ओएसिस	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
10.	10 अप्रैल, 2000	एम.वी. प्रानिक प्रवेश	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
11.	15 मई, 2000	एम.टी. राजेंद्र प्रसाद	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
12.	7 जून, 2000	एम.वी. रिवर प्रिंसेस	60 टन ईंधन तेल का रिसाव हुआ
13.	3 जुलाई, 2000	एम.वी. वेनचुरा	मामूली प्रदूषण हुआ
14.	19 जुलाई, 2000	एम.वी. प्राइम वेल्यु	40 टन ईंधन तेल का रिसाव हुआ
15.	9 अक्तूबर, 2000	एम.वी. मंगलम्	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ
16.	16 अक्तूबर, 2000	एम.वी. जुबिलिएंट	इससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ

(ख) केन्द्र सरकार ने समुद्री प्रदूषण और पोतों से तेल रिसाव की रोकथाम के संबंध में जो कदम उठाए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) राष्ट्रीय तेलरिसाव आपत्तिक योजना तैयार करना, (2) तेल रिसाव से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक को कार्रवाई उपस्करों और पोतों से सुसज्जित करना, और (3) पोतों की दुर्घटनाओं के संबंध में समुद्री नौ वहन अधिनियम, 1958 के भाग-10 के अनुसरण में पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा नियमित जांच पड़ताल करना तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के सुझाव देना शामिल है।

[हिन्दी]

बाल श्रम उन्मूलन

4387. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस राज्य में बाल मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है; और

(ख) बाल श्रम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई और इससे क्या लाभ प्राप्त हुए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) बाल श्रम पर प्रामाणिक सूचना दसवर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार की जाती है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बाल श्रम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निम्नानुसार राशि जारी की गई है:

वर्ष	राशि (लाखों में)
1998-1999	2731.21 रु.
1999-2000	3796.78 रु.
2000-2001	3798.24 रु.

अभी तक 13 बाल श्रम बहुल राज्यों में 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से 2.13 लाख बाल श्रमिकों को दायरे में लिया गया है।

31 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 23,000 बच्चों को औपचारिक स्कूलों में मुख्य धारा में लाया गया है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून

4388. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्तावित विधेयक को कब तक संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कृषि कामगारों के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। इस मामले पर राज्य के श्रम मंत्रियों की बैठकों और विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। इस संबंध में कोई निश्चित मतैक्य न होने के कारण अब कृषि कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है।

मोबाइल टेलीफोन का दुरूपयोग

4389. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोबाइल टेलीफोनों का दुरूपयोग बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान और अब तक मोबाइल टेलीफोनों का दुरूपयोग करने के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) भविष्य में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

4390. **श्री रामदास आठवले:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र के ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े और दलित बाहुल्य वाले क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में स्थापित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पी.सी.ओ.) की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त क्षेत्र में ऐसे डाकघर कितने हैं, जहां पी.सी.ओ. स्थापित हैं और देश में ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है, जिनमें अभी तक पी.सी.ओ. स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र सहित देश के पिछड़े, आदिवासी और दलित बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में और अधिक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने और पी.सी.ओ. स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेष तौर पर उक्त क्षेत्र में इस योजना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए कितनी राशि खर्च की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर कोसी योजना

4391. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर आपातकालीन सुविधा मुहैया कराने हेतु कोसी योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, नहीं। ''कोसी योजना'' नामक कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

4392. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अधीर चौधरी:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिये विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और प्रबंधन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निधियों के उपयोग का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना-वार सड़क परियोजनाओं के लिये राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी/मुहैया कराये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में परियोजनाओं के लिए वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से 516 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण प्राप्त हुआ।

(ख) और (ग) विभिन्न रा.रा. परियोजनाओं पर राज्यवार व्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यीय राजमार्ग क्षेत्र की दो परियोजनाओं अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्यीय राजमार्ग परियोजना (350 मिलियन अमरीकी डालर) और गुजरात राज्यीय राजमार्ग परियोजना (381 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। कर्नाटक, केरल और मिजोरम राज्यों के लिए विश्व बैंक सहायता का प्रस्ताव है किन्तु बैंक ने किसी धनराशि का वायदा नहीं किया है।

विवरण

(धनराशि लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	विकास संबंधी व्यय			अनुरक्षण संबंधी व्यय		
		1997-1998	1998-1999	1999-2000	1997-1998	1998-1999	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5200.16	4273.04	3736.51	3507.24	4069.47	3278.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1388.24	1577.99	2769.61	1215.78	2282.33	2668.50
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	2094.54	3238.60	5950.16	3410.77	3336.97	4925.69

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	चंडीगढ़	19.20	78.82	73.93	42.93	45.40	90.86
7.	दिल्ली	858.21	1225.54	422.13	264.80	309.82	133.27
8.	गोवा	1003.02	1172.54	1670.19	430.34	617.08	663.54
9.	गुजरात	4916.93	6785.70	8683.39	3835.81	3296.94	2210.22
10.	हरियाणा	2181.24	6913.18	9045.72	845.90	1040.32	1544.73
11.	हिमाचल प्रदेश	1664.94	2500.00	3502.72	2034.52	2256.01	2348.44
12.	जम्मू एवं कश्मीर	25.00	6.15	0.91	8.00	4.51	2399.00
13.	कर्नाटक	4085.65	3772.04	6846.09	3059.13	306.34	3993.36
14.	केरल	8182.48	8820.63	10808.59	2702.97	2090.63	3807.72
15.	मध्य प्रदेश	3045.47	7932.47	9547.45	3313.78	3787.80	5302.70
16.	महाराष्ट्र	8062.43	11659.74	16661.86	5757.68	4957.67	4769.99
17.	मणिपुर	670.06	828.29	884.90	277.21	365.59	584.60
18.	मेघालय	900.51	911.03	1372.61	512.72	620.50	761.82
19.	मिजोरम	0.00	0.00	282.90	42.22	0.00	269.29
20.	नागालैंड	134.77	210.87	886.17	2537.05	382.90	598.63
21.	उड़ीसा	6417.39	8711.02	9198.19	13.58	2760.77	2255.13
22.	पांडिचेरी	15.39	86.30	281.27	1400.13	18.06	86.67
23.	पंजाब	4977.53	7672.10	4233.38	3536.19	1440.83	335.68
24.	राजस्थान	4522.36	4620.18	4311.94	0.00	3642.29	2857.96
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	4703.98	0.00	24.00
26.	तमिलनाडु	1948.93	3652.38	5348.20	0.00	3597.85	5383.46
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	4703.98	0.00	24.00
28.	उत्तर प्रदेश	11899.20	10722.86	11776.30	3832.06	6071.10	6070.66
29.	पश्चिम बंगाल	7641.38	8394.40	8072.55	0.00	2757.83	3700.00
30.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	मंत्रालय	4647.00	498.62	374.15	0.00	0.00	0.00
32.	बी.आर.डी.बी.	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
33.	एन.एच.ए.आई.	20000.00	16317.00	49160.00	0.00	274.00	4000.00
34.	अन्य संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	107746.03	122581.49	175901.82	50185.37	50333.01	65064.25

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त महाराष्ट्र की वानिकी परियोजना

4393. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-93 में शुरू हुई विश्व बैंक से सहायता प्राप्त महाराष्ट्र की वानिकी परियोजना पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि प्रयुक्त हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो निर्धारित अवधि के अनुसार कोष के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में वर्तमान में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं और उनके पूरा होने की समयावधि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, हां। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त महाराष्ट्र वानिकी परियोजना 31 मार्च, 2000 को पूरी कर ली गई है।

(ख) यह परियोजना 431 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत (108 मिलियन अमरीकी डालर का आईडीए ऋण) से 1992-93 में आरंभ की गई थी और यह राशि लगभग साढ़े छः वर्षों में खर्च की जानी थी। इस परियोजना को 30.9.98 से 31.3.2000 तक 18 महीनों का विस्तार दिया गया था और उसके पश्चात इसे 31.3.2000 को पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) 431 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की तुलना में परियोजना के अन्तर्गत 416 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना के लिए रुपयों के सन्दर्भ में 96 प्रतिशत तक धनराशि का उपयोग किया जा चुका है जबकि डॉलर के सन्दर्भ में यह खर्च विनिमय दरों के उतार-चढ़ावों तथा डालर के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन के कारण 79 प्रतिशत रहा।

(ङ) महाराष्ट्र में इस समय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई वानिकी परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए टेली चेक इन सुविधा

4394. श्री नरेश पुगलिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए टेली चेक इन सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विभिन्न एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई गई टेली-चेक-इन सुविधा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न घरेलू एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई गई टेली-चेक-इन सुविधा के ब्यौरे

1. इंडियन एयरलाइंस

टेली-चेक-इन सुविधा सभी अधिशासी श्रेणी के सभी यात्रियों, इकोनोमी श्रेणी में पुष्टिकृत आरक्षण टिकट वाले सभी फ्लाईंग रिटर्न मैम्बरस और अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों को केवल घरेलू उड़ानों में उपलब्ध है।

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै में चौबीस घंटे तथा हैदराबाद और बंगलूर में 04.30 बजे से 23.00 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध है।

बिना पंजीकृत सामान वाले यात्री टेली-चेक-इन सुविधा पाने के अर्हक हैं।

टेली-चेक-इन काउंटर के बन्द होने का समय किफायती दर्जे के लिए विमानों के प्रस्थान से 30 मिनट पहले और अधिशासी दर्ज के लिए विमानों के प्रस्थान करने से 20 मिनट पहले है।

2. एयर इंडिया

प्रथम/अधिशासी दर्जे के सभी यात्रियों के लिए अथवा महाराजा क्लब, लीडिंग एज क्लब के सदस्य बहुधा यात्रा करने वाले यात्रियों तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए कुछ चुने हुए हवाई अड्डों पर टेली-चेक-इन सुविधा उपलब्ध है।

3. जेट एयरवेज

यह क्लब प्रीमियर (क्लब क्लास) के यात्रियों और जेट प्रीविलेज गोल्ड कार्ड और जेट प्रीविलेज सिल्वर कार्ड धारकों को

ही टेली-चेक-इन सुविधा प्रदान करती है। यह केवल टेली-चेक-इन द्वारा यात्रियों के द्वारा अनुरोध की गई अधिमान्य सीट को ही रोक कर रखती है। (12 महीने में जेट एयरवेज से 60 बार से अधिक एकतरफा यात्रा करने वाले यात्रियों को गोल्ड कार्ड और 12 महीने में 30 से 59 बार के बीच एकतरफा यात्रा करने वाले यात्रियों को सिल्वर कार्ड दिया जाता है।)

4. सहारा एयरलाइंस

यह दर्जे का ध्यान रखे बिना सभी यात्रियों को टेली-चेक-इन सुविधाएं प्रदान करता है। यदि सिर्फ हस्तगत सामान वाले यात्रियों को विमान के प्रस्थान करने से 20 मिनट पहले और चेक-इन वाले सामान वहन करने वाले यात्रियों को विमान के प्रस्थान-समय से 30 मिनट पहले रिपोर्ट करनी पड़ती है।

विमान चालकों को प्रशिक्षण

4395. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने विमानचालकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में कितने विमान चालकों को प्रशिक्षण दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने विमान चालकों हेतु विशेषीकृत प्रशिक्षण देने के लिये विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पिछले चार दशक से इंडियन एयरलाइंस का सेन्ट्रल ट्रेनिंग इस्टैब्लिशमेंट (सी.टी.ई.) पहले ही पायलटों को विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण देता रहा है। सन् 2001 के दौरान, सी.टी.ई. द्वारा 115 पायलटों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकृत विमानन प्रशिक्षण पैकेज के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम की सदस्यता ग्रहण करने के लिए इन्डियन एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) से अनुरोध किया है।

आप्टिकल फाइबर की कमी

4396. श्री अनन्त नायक: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आप्टिकल फाइबर की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान निविदाशुदा 24 एफ/12 एफ ऑप्टीकल फाइबर केबल के प्रति विभिन्न बिक्रेताओं द्वारा निविदा कीमतों को स्वीकार न करने के कारण, ऑप्टीकल फाइबर केबल की कमी हुई है। एक लाख किलोमीटर आप्टीकल फाइबर केबल की जरूरत के मुकाबले, मात्र लगभग 58,000 किलोमीटर केबल उपलब्ध हुई है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए अपेक्षित अतिरिक्त केबल तथा वर्ष 2000-2001 की शेष केबल उपलब्ध कराने हेतु, नई ग्लोबल निविदा तथा स्थानीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

4397. श्री विजय गोयल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और इन पर राज्यवार कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(ग) इन पर होने वाले व्यय को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें किस अनुपात में वहन करेंगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य, धनराशि की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजना में किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए नए कार्यों की स्वीकृति हेतु राज्य-वार योजना प्रावधान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर समग्र व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

विवरण

वार्षिक योजना 2001-2002

क्रम सं.	राज्य	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	140.00
2.	असम	548.58
3.	बिहार	83.50
4.	चंडीगढ़	4.38
5.	छत्तीसगढ़	84.45
6.	दिल्ली	21.91
7.	गोवा	33.75
8.	गुजरात	145.04
9.	हरियाणा	75.00
10.	हिमाचल प्रदेश	82.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	9.50
12.	झारखंड	71.05
13.	कर्नाटक	123.60
14.	केरल	178.26
15.	मध्य प्रदेश	115.75
16.	महाराष्ट्र	94.04
17.	मणिपुर	44.00
18.	मेघालय	124.90
19.	मिजोरम	28.40
20.	नागालैंड	38.00
21.	उड़ीसा	160.40
22.	पांडिचेरी	16.50
23.	पंजाब	92.39
24.	राजस्थान	144.20
25.	तमिलनाडु	171.40
26.	उत्तर प्रदेश	199.80
27.	उत्तरांचल	98.88
28.	पश्चिम बंगाल	117.55
	जोड़	3051.47

*बोगीबील पुल के निर्माण के लिए 435 करोड़ रु. का योजना प्रावधान भी शामिल है।

प्रदूषण के लिए पारिस्थितिकीय मानदंड

4398. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए किफायती तकनीकें उपलब्ध करवाने और ऐसे उपस्करों का उत्पादन करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसंधान संस्थानों का वित्तपोषण करने और उत्पादन की विधियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सुरक्षित पारिस्थितिकीय मानदंड अपनाया जाना अनिवार्य करने के लिए विधान अधिनियमित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सतत उत्पादन एवं खपत पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए सेक्टोरल नीतियों में पर्यावरणीय तथ्यों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए स्रोत स्तर पर

प्रदूषण निवारण तथा उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है जो आगे चल कर आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक सिद्ध होंगी। एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें प्रदूषण को स्रोत स्तर पर नियंत्रित करने के साथ-साथ समन्वित अंतर्विभागीय कार्य नीतियों की सहायता से समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वित करना निर्धारित किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय मानकों के विकास, अपशिष्ट न्यूनीकरण पर्यावरणीय लेखा परीक्षा को मान्यता और सहमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन को कानूनी ढांचे के भीतर अंगीकृत किया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन चुनिंदा क्षेत्रों में जीवन चक्र मूल्यांकन, प्राकृतिक संसाधन लेखा विधि जैसी विधियां अपनाई गई हैं।

(ग) और (घ) अपशिष्ट पुन:प्रयोग पुन:चक्रण सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उन्नयन, विकास एवं अंगीकरण के लिए स्कीम की शुरूआत की गई है जिससे काफी सारे उद्योगों को लाभ हुआ है। शॉप फ्लोर स्तर के कर्मियों तक सूचना के प्रसारण के लिए अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल तैयार किए गए हैं। इस अन्योन्य क्रिया से विभिन्न अपशिष्ट न्यूनीकरण विकल्प तैयार हुए हैं जिनमें से सर्वाधिक स्वीकार्य विकल्प को अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा संसाधन संरक्षण के लिए एक उपाय के तौर पर अंगीकृत किया जाता है। औद्योगिक पारिस्थितिकी की अवधारणा की शुरूआत के लिए चुनिंदा औद्योगिक सम्पदाओं में एक परियोजना शुरू की गई है। स्वच्छतर प्रौद्योगिकयों के क्रियान्वयन हेतु आंशिक निधियन के माध्यम से प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने स्टोन क्रशर, सीमेंट प्लांट, लघु सीमेंट प्लांट, लघु औद्योगिक ब्वायलर आदि जैसे मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में लागत प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां विकसित की हैं। अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रदर्शन परियोजनाओं को इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चावल मिलों, डाई तथा डाई इंटर मिडिएट्स खाद्य तेल, वस्त्र, चर्मशालाओं, एग्रो-रेजिडयू पल्प तथा कागज मिलों आदि में अपशिष्ट न्यूनीकरण/प्रदूषण निवारण के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है।

(ङ) से (छ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उद्योगों की लगभग 80 श्रेणियों के लिए बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परिवेशी वायु तथा जल गुणवत्ता के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों का उद्योगों द्वारा अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।

लुप्तप्राय जड़ी-बूटियां

4399. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के वनों से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की जड़ी-बूटियों को निर्यात के लिए मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से किस सीमा तक जड़ी-बूटियों का निर्यात बढ़ने की संभावना है;

(ग) क्या वर्ल्ड कंजर्वेशन इंटरनेशनल रेड लिस्ट ऑफ इनडेंजर्ड प्लांट्स के अंतर्गत देश में जड़ी-बूटियों की किसी सूची को लुप्तप्राय घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ की 1997 की संकटापन्न पौधों की रैड लिस्ट के अनुसार भारत की 1236 पौधों की प्रजातियों को संकटापन्न श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने की योजना

4400. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को राजमार्गों से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और किन-किन राजमार्गों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित है; और

(घ) राज्य में राजमार्गों को आपस में जोड़ने से भारी यातायात की आवाजाही में किस सीमा तक सुविधा प्राप्त होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले राजमार्गों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार है।

(घ) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने से यातायात के आवागमन में निश्चित रूप से सुविधा होगी।

ग्रामीण विकास निधि

4401. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए कोई ग्रामीण विकास निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण उपभोक्ताओं को अन्य क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई ग्रामीण विकास निधि नहीं बनाई है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

4402. डा. चरणदास महंत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में विस्तार हेतु चालू बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का व्यय किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) छत्तीसगढ़ में चल रही किसी भी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण नहीं किया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 17 अप्रैल, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 अप्रैल, 2001/27 चैत्र, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/16/22/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।